Thursday 21, Nov,1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

Preservation 1-9-96
Fumigated On 30-2-85
Parliament Library

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7, गुरुवार, 21 नवम्बर, 1974/30 कार्तिक 1896 (शक)

No. 7, Thursday, November 21, 1974/Kartika 30, 1896 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
141	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बोझ	Inflationary Burden on National Economy due to Additional Expenditure by H.S.L.	1
142	दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र संघ से निकालना	Expulsion of South Africa from U.N.O.	4
144	कलकत्ता के निकट हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण में विलम्ब	Delay in construction of Second Bridge over Hooghly near Calcutta . .	7
145	अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट की भारत यात्रा	Visit to India by US Secretary of State	10
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
143	बिजली की कमी के कारण गुजरात में औद्योगिक एककों में श्रमिकों को जबरन छुट्टी देना	Workers laid off in Industrial Units in Gujarat due to power shortage .	14
146	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बोनस पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन के संबंध में बातचीत	Discussion with Employees Representatives on Bonus Review Committee Report	15
147	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र को हुआ घाटा	Loss suffered by Durgapur Steel Plant and Durgapur Alloy Steel Plant .	15
148	हरियाणा में सोनीपत में मच्छरों के पैदा होने पर नियंत्रण संबंधी प्रयोग	Experiments on Genetic Control of Mosquitoes at Sonepat, Haryana. .	16
149	ब्रिटेन में अश्वेतों पर रोक लगाया जाना	Ban on Non-Whites in U.K. .	16

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
150	चिली के राजनीतिक बन्दियों को रिहा करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र का संकल्प	U.N. Resolution for Release of Political Prisoners of Chile	17
151	फरीदाबाद-बल्लबगढ़ उद्योग समूह में बिजली की कटौती के कारण श्रमिकों को जबरन छुट्टी	Workers laid off due to power cut in Faridabad-Ballabhgarh Industrial Complex	18
152	बोनस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार बोनस देना	Payment of Bonus according to recommendations of Bonus Review Committee	18
153	चीन-भारत संबंधों को सामान्य बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही	U.N. Role to Normalise Sino-Indian Relations	19
154	बोनस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों का प्रभाव	Impact of recommendations of Bonus Review Committee . . .	19
155	भारत और पुर्तगाल में राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations between India and Portugal . . .	19
156	केरल में एक अमरीकी तेल टेंकर में से तेल निकल कर फैलने के कारण क्षति	Damage due to spreading of oil by an American Oil Tanker in Kerala .	20
157	केरल में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना	Establishing National Institute of Ayurved in Kerala	20
158	रूंगटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को उड़ीसा में पट्टे पर दिया गया खनन क्षेत्र	Mining area in Orissa Leased out to Rungta and Sons Private Limited .	21
159	स्क्रैप के री रोलर	Scrap Re Rollers .	21
160	सिरोही जिले में पाया गया लोहा	Iron found in Sirohi District	22
161	राउरकेला इस्पात संयंत्र को हुआ घाटा	Loss to Rourkela Steel Plant .	22

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
1401	दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल का उत्पादन करने वाली मिलें	Mills producing Mustard oil in Dehi and U.P.	23
1402	भारतीय सेना द्वारा अमरीकी तेलवाही जहाज के कर्मचारियों का बचाया जाना	Saved Crew of a U.S. Tanker by Indian Navy	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1403	संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान दिलाने के बारे में संसद् सदस्यों का प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister from M.Ps. regarding place of Hindi in UNO	24
1404	शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु विस्फोट	Nuclear Explosions for Peaceful Purposes	24
1405	इस्पात बिलेट का निर्यात	Export of Steel Billets	24
1406	उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, मिर्जापुर जिले में कर्मचारी राज्य बीमा सुविधाओं की व्यवस्था	ESI Facilities at Renukott, Mirzapur District U.P.	25
1407	पाकिस्तान में ननकाना साहिब की तीर्थ यात्रा	Pilgrimage to Nankana Saheb in Pakistan	25
1408	हैदराबाद से विजयवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग	National Highway from Hyderabad to Vijayawada	26
1409	अल्लेपी और पणजी में जहाज निर्माण की सुविधायें	Ship Building Facilities at Alleppey and Panaji	27
1410	कृषि कार्यों में डी० डी० टी० का प्रयोग	Diversion of DDT for Agricultural Use	27
1411	ईरान और जापान द्वारा भारत से एल्यूमिनियम का आयात	Iran and Japan to Import Alumina from India	28
1412	नेपाल स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी वक्तव्य	Anti-India Statements by Chinese Embassy in Nepal	28
1413	देश में प्लास्टिक सर्जनों की कमी	Dearth of Plastic Surgeons in the Country	28
1414	ट्रकों में 500 किलोमीटर तक माल ले जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स एसोसियेशन द्वारा विरोध	Protest by Delhi Transporters' Association on 500 Km Ceiling on Movement of Goods by Trucks . .	29
1415	दिल्ली के अस्पतालों के लिये धन राशि का नियतन	Allocations of Funds for Delhi Hospitals	29
1416	गोवा में बिजली की कटौती के कारण श्रम दिवसों की हानि	Man days Lost due to Power Shedding in Goa	30
1418	सिंगापुर शिपिंग फर्म द्वारा गुम हुए भारतीयों के लिये मुआवजा देना	Compensation to Missing Indians by Singapore Shipping Firm . .	31
1419	लोहा तथा इस्पात की कमी के कारण उड़ीसा में लघु उद्योगों का प्रभावित होना	Small Scale Units in Orissa affected by shortage of Iron and Steel . .	31
1420	उड़ीसा में बिजली की कटौती के कारण श्रम दिवसों की हानि	Man days Lost due to Power Shedding in Orissa	31

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1421	कलकत्ता से कछार के बीच बंगला देश की नदियों से होकर नौवहन सुविधाओं का फिर से प्रारम्भ किया जाना	Reopening of Shipping Facilities from Calcutta to Cachar Through Bangladesh Waters	32
1422	गुजरात के लिये स्वीकृत राष्ट्रीय राजपथ	National Highways Sanctioned for Gujarat	32
1423	आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में भारत और गैबोन के बीच करार	Indo-Gabon Agreement on Economic and Technical Co-operation . .	33
1424	मध्य प्रदेश में दुलरिया गांव के निकट शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees Near Village Dularia in Madhya Pradesh . .	33
1425	देश में भुखमरी एवं कुपोषण के कारण मरने वालों की संख्या में वृद्धि	Increase in Deaths due to Starvation and under nutrition in the country	33
1426	गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन करने वाले एकक	Steel Producing Units in Private sector	34
1427	आनन्द बाजार तुरहाटोली करदाता समिति दानापुर छावनी द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum Submitted by Anand Bazar Turhatoli Kardate Samiti, Danapur Cantonment . . .	34
1429	इस्पात का आयात	Import of Steel.	35
1430	पांचवीं योजना की अवधि के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	Development of National Highways in Karnataka in Fifth Plan period .	35
1431	बड़े शहरों में नकली दवाइयों का निर्माण तथा उनकी बिक्री	Manufacture and Sale of Spurious Drugs in big cities. . . .	36
1432	पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb by Pakistan	36
1433	सीमा स्तम्भों के पुनर्निर्माण और उनकी मरम्मत के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता	Agreement between India and Pakistan to repair and Reconstruct Boundary Pillars	37
1434	प्रमुख उद्योगों में हड़तालों पर रोक	Moratorium on strikes in Key Industries	37
1435	भारत द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी के निर्यात में बाधा डालने का अमरीकी प्रयास	U.S. bid for restraint on Export of Nuclear Technology by India. .	38
1436	पुनर्बेलन मिलों का संघ	Association of Re-rolling Mills .	38
1437	परिवार नियोजन	Family Planning	39

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1438	खाद्य निरीक्षकों/अधिकारियों को सजा देने के लिये विधान	Legislation for punishment to Food Inspectors/Officers	39
1439	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Hindustan Steel Ltd.	39
1440	भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant .	40
1441	कलकत्ता पत्तन आयुक्त के अधीन प्रोसिक्यूशन सुपरवाइजर के पद को समाप्त करना	Abolition of the Post of Prosecution Supervisor under Calcutta Port Commissioner	40
1442	शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु बम का विस्फोट करने के बारे में भारत का दृष्टिकोण	India's stand regarding Explosion of Atom Bomb for peaceful purposes .	41
1443	संविद श्रम प्रणाली को समाप्त करना	Abolition of Contract Labour system .	41
1444	हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक अड्डों का अमरीका द्वारा उल्लेख	USA Names Soviet Bases in Indian Ocean	42
1445	भारत-ईरान आर्थिक आयोग के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन	Report on working of Indo-Iranian Economic Commission . . .	42
1446	न्यूयार्क में महारानी गायत्री देवी के जेवरातों का लूटा जाना	Robbery of Jewelleries of Smt. Gayatri Devi in New York . . .	42
1447	बिजली संकट के कारण इस्पात उत्पादन में हुई कमी	Drop in Steel Production due to Power Crisis	43
1448	कलकत्ता बन्दरगाह में रंगून बन्दरगाह के कर्मचारी	Rangoon Port workers in Calcutta Port	44
1449	चिकित्सा तथा प्रशासनिक सेवाओं में वेतनमानों तथा पदों में समानता	Parity in Pay Scales and Status in Medical and Administrative Services .	45
1450	नेपाल में भारतीय इंजीनियरों का घेराव	Gherao of Indian Engineers in Nepal.	45
1451	श्री लंका के वायु सेनाध्यक्ष का दौरा	Visit of Air Chief of Sri Lanka. .	46
1452	क्षय रोग विरोधी अभियान	Anti T.B. Drive .	46
1453	प्रमुख सड़क परिवहन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Major Road Transport Companies	46
1454	कोचीन बंदरगाह का विकास	Development of Cochin Port .	47
1455	देश में क्षय रोगियों की संख्या	T.B. Patients in the country.	48

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1456	एयर इंडिया की हड़ताल में हस्तक्षेप	Intervention in Air India Strike .	49
1457	विदेशों में भारतीय राजनयिकों द्वारा हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग	Progress in use of Hindi by Indian Diplomats Abroad . . .	49
1458	लोहे तथा इस्पात का दुरुपयोग करने वाले औद्योगिक एककों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करना	Deregistering of Industrial Units for misutilisation of Iron and Steel .	50
1459	इस्पात की मांगों को पूरा करने के लिये इसकी सभी किस्मों का उत्पादन	Production of all varieties of Steel to meet Requirements . . .	50
1460	बेरोजगार जवानों के लिये प्रशिक्षण संस्था	Training Institute for Unemployed jawans	51
1461	अर्थव्यवस्था के गैर अल्पव्ययी क्षेत्र के लिये श्रम विधान	Labour Legislation for non-oligopolistic Sector of Economy . . .	52
1462	भाड़े के मूल्य में वृद्धि	Increase in Freight Charges.	52
1463	औषधियों में मिलावट करने के कारण गिरफतारियां	Arrests for Adulteration of Drugs .	52
1464	गुजरात राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की प्रतिशतता	Percentage of M.B.B.S. Doctors belonging to S.C. and S.T. in Gujarat State Service	53
1465	राउरकेला इस्पात संयंत्र का उत्पादन	DVC Power to Rourkela Steel Plant .	53
1466	पश्चिम बंगाल में विभिन्न रोगों से हुई मौतें	Deaths due to various diseases in West Bengal	53
1467	सभी संप्रदायों के लिये एक समान विवाह संहिता	Uniform Marriages Code for All Communities	54
1468	दानियों से रक्त लेना	Taking of Blood from Donors .	54
1469	पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा उल्लंघन	Indian Air Space Violation by Pakistan	54
1470	उपदान संदाय अधिनियम का संशोधन	Amendment of Payment of Gratuity Act	55
1471	सैनिक कर्मचारियों के लिये भर्ती संबंधी नीति	Recruitment policy for Army Personnel	55
1473	सोवियत रूस द्वारा सप्लाई किये गए मिग विमानों की मरम्मत और उनकी सफाई	Repairing and Overhauling of MIGs supplied by USSR . . .	56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1474	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर 12 में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय में दवाओं की कमी	Shortage of Medicines in Sector XII Ayurvedic Dispensary R.K. Puram, New Delhi	56
1475	फ्लोरेंस में हुए ग्यारहवें अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान सम्मेलन में बंगाल के डाक्टरों द्वारा भाग लेना	Joining Eleventh International Cancer Research Conference at Florence by Bengal Doctors	57
1476	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिये कानून	Legislation to Protect the Rights of University Employees . . .	57
1477	डाक लेबर बोर्ड कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा अधिक बोनस की मांग	Higher Bonus Demand by Workers of Dock Labour Board, Calcutta. .	57
1478	अर्हता प्राप्त डाक्टरों रहित औषधालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र	Dispensaries and Health Centres without Qualified Doctors . . .	58
1479	नई दिल्ली स्थित तिलक नगर, पंजाबी बाग तथा ओखला के कारखानों में अपमिश्रित दवाओं का निर्माण	Production of adulterated Medicines by Factories of Tilak Nagar, Punjabi Bagh and Okhla in Delhi. . .	59
1480	रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण देने के बारे में अनुदेश	Instructions to Defence Public Sector Undertakings for Pre-Entry Training to S.C. and S.T. Candidates . .	60
1481	कलकत्ता गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Calcutta Dock workers .	60
1482	जनजाति क्षेत्रों से बीमारियों को दूर करने हेतु व्यापक योजनाओं के लिये सर्वेक्षण	Survey for comprehensive Plans for eradication of diseases from Tribal areas	61
1483	भारत-पाक संचार संपर्क संबंधी करार की क्रियान्विति	Implementation of Indo-Pak Agreement on communications links . .	61
1484	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड के मरम्मत प्रभाग में धन और जन शक्ति को हानि	Loss of money and man power in overhaul division of HAL . . .	61
1485	सिक्किम की विकास योजनाएं	Development Plans of Sikkim . .	62
1486	गुजरात में श्रमिकों की स्थिति में सुधार	Improvement in Welfare of Labourers in Gujarat	62
1487	सैण्ट्रल रोड बोर्ड	Central Road Board . . .	63

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1488	नौसैनिक अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं के लिये योजना	Scheme of Naval Research Development and Laboratories . . .	63
1489	बंबई पत्तन के गोदामों में अवरोध	Clogging of Bombay port Godown .	64
1490	हिंदुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन, रेणुकूट का प्लांट नं० 2	Plant No. 2 of Hindustan Aluminium Corporation, Renikoot . . .	65
1491	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में केवल पांच देशों को अधिकारों का संकेन्द्रण	Monopoly of power to Five Countries in U.N. Security Council. . .	66
1492	केरल के क्विलोन जिले में उद्योगों द्वारा टिन प्लेटों का दुरुपयोग	Misutilisation of Tin Plates by Industries in Quilon District, Kerala .	66
1493	उड़ीसा में बाक्साइट का पाया जाना	Bauxite found in Orissa	66
1494	राष्ट्रीय कार्मिक संघ नीति	National Trade Union Policy . .	67
1495	आंध्र साइंटिफिक कंपनी का प्रबंध अपने हाथ में लेना	Take over of the management of Andhra Scientific Company . . .	67
1496	इस्पात की उपलब्धता	Steel Availability	68
1497	आंध्र प्रदेश में मृत पशुओं की चर्बी का बेचा जाना	Sale of dead animals fat in Andhra Pradesh	68
1498	जनता को धुम्रपान के परिणामों के बारे में जानकारी देने के लिये कार्यवाही	Steps to Guide Public re: consequences of smoking	68
1499	अमरीका में भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Indian Migrants to USA	69
1500	चम्पारन जिले में एक छावनी का निर्माण	Construction of a Cantonment in Champaran District . . .	69
1501	इस्पात संयंत्रों के लिये फालतू पुर्जों का उत्पादन	Production of spare parts for Steel Plants	69
1502	वर्ष 1973-74 के लिये निर्धारित परिवार नियोजन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति	Achievement of Family Planning targets for 1973-74	70
1503	भारत और बंगला देश के बीच यात्रा प्रबंधों में परिवर्तन	Change in travel arrangement between India and Bangladesh . . .	71
1504	सैनिक स्कूलों के कार्यकरण संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Committee on working of Sainik Schools .	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1505	गोआ के लघु उद्योग एककों पर लोहे और इस्पात की कमी का प्रभाव	Goa Small Scale Units affected by Shortage of Iron and Steel	71
1506	गोआ के निर्धन वर्गों के लिये चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities for poorer sections of Goa	72
1507	पांचवीं योजना के दौरान गोआ में परिवहन सुविधाओं का विस्तार	Expansion of transport facilities in Goa in Fifth Plan	72
1508	विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ टेलीप्रिंटर/टेलेक्स संपर्क	Teleprinter/telex links in Indian Missions Abroad	73
1509	फार्मासिस्टों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Pharmacists	73
1510	फार्मेसिस्टों के वेतनमानों में वृद्धि और उनके सेलेक्शन ग्रेड पदों में वृद्धि की प्रतिशतता बढ़ाये जाने के बारे में निर्णय की क्रियान्विति	Implementation of decision re. revision of pay scales and increase in percentage of selection grade posts for pharmacists	73
1511	फार्मेसिस्टों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Third Pay Commission's recommendations in respect of Pharmacists	74
1512	राजस्थान में निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी योजना	Scheme for medical facilities for poorer sections of society of Rajasthan	75
1513	राजस्थान में बिजली की कटौती करने से जन दिवसों की हानि	Man days lost due to power shedding in Rajasthan	75
1514	राजस्थान के लघु उद्योग एककों पर लोहा तथा इस्पात की कमी का प्रभाव	Small Scale Units of Rajasthan affected by Iron and Steel Shortage	76
1515	पांचवीं योजना में राजस्थान में परिवहन सुविधाएं	Transport facilities in Rajasthan in Fifth Plan	76
1516	उड़ीसा द्वारा समाज के निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिये उड़ीसा को सहायता	Aid to Orissa for improving Medical facilities for poorer sections of Society	76
1517	पांचवीं योजना में उड़ीसा में परिवहन सुविधाएं	Transport facilities in Orissa in Fifth Plan	77
1518	इस्पात का उत्पादन और उसके उत्पादन का राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य	Steel production vis-a-vis National Target	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1519	पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण	Construction of roads in Madhya Pradesh in Fifth Plan	79
1520	रविवार को गाड़ियां चलाने पर प्रतिबन्ध	Prohibition on plying of vehicles on Sundays	79
1521	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 30 के खराब स्थिति	Poor condition of National Highway No. 30	79
1522	पी०एल० 480 निधि से चलायी गयी सैनिक महत्व की अनुसंधान परियोजनायें	Research project of Military Significance Financed by PL 480 Funds .	80
1524	अमरीकी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पालम हवाई अड्डे पर भारतीय फोटोग्राफरों के कैमरा बाक्सों तथा बैगों की तलाशी	Search of Camera Boxes and Bags of Indian Photographers by US Security Personnel at Palam Airport . .	80
1525	हैदराबाद में इलैक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इंसट्रयूमेंटेशन के लिये प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना	Setting up of a Training Institute for Electronics and Process Instrumentation at Hyderabad . . .	81
1526	दिल्ली में विभिन्न उद्योगों को जन उपयोग की सेवायें घोषित करना	Declaring various Industries in Delhi as Public Utility Services. . .	81
1527	अल्युमीनियम का उत्पादन	Aluminium Production .	82
1528	उत्तर बंगाल में छोटा इस्पात कारखाना	Mini Steel Plant in North Bengal .	83
1529	जम्मू तथा काश्मीर नगर, पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय इल्युमीनियम निगम	Aluminium Corporation of India J & K Nagar, West Bengal . . .	83
1530	भारी इस्पात संयंत्रों की संख्या	Number of Heavy Steel Plants .	83
1531	इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड राडार डिवेलपमेंट एस्टेबलिशमेंट, बंगलौर द्वारा इलेक्ट्रोस्लीप उपकरण का बनाया जाना	Developing of electro sleep apparatus by the Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore .	84
1532	हिंद महासागर में अमरीकी युद्ध-पोत	US warships in Indian Ocean	85
1533	पश्चिम बंगाल में कंडोम निर्माण संयंत्र	Condom manufacturing plant in West Bengal	85
1534	औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा में संशोधन	Amendment of definition of Industry under Industrial Disputes Act .	85

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1535	गुजरात में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र	Health and Family Planning Centres in Gujarat	86
1536	गुजरात में खेतिहर मजदूरों के लिये कल्याण योजनाएं	Welfare Schemes for Agricultural Labour in Gujarat	86
1537	सरसों के तेल का दिल पर प्रभाव	Effect of mustard oil on heart	88
1538	पांचवीं योजना के दौरान गुजरात तट पर पत्तनों का विकास	Development of ports on Gujarat Coast during Fifth Plan . . .	88
1539	पश्चिम बंगाल में तालाबंदी के कारण जन दिवसों की हानि	Man days lost due to lock out in West Bengal	89
1540	असैनिक कार्यों के लिये सैनिकों को तैनात किया जाना	Deployment of army Personnel for civilian jobs	89
1541	उड़ीसा और बिहार में गैर सरकारी क्षेत्र में लौह अयस्क खानों का कार्यकरण	Operations of private sector Iron Ore Mines in Orissa and Bihar . .	90
1542	दिएगो गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे के बारे में ब्रिटेन के साथ पत्र व्यवहार	Correspondence with Britain regarding U.S. Naval Base at Diego Garcia .	90
1543	भारत पाक द्विपक्षीय वार्तायें	Indo-Pak bilateral talks .	90
1544	कानपुर ग्लूकोस कांड के बारे में जांच कार्य का पूरा होना	Completion of investigation re: Kanpur Glucose case	91
1545	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारियों की मजूरी तथा उनकी कार्य की शर्तें	Wages and working conditions of employees in ESIC	91
1546	अण्डमान समुद्र में नौसैनिक अड्डा बनाने का थाइलैन्ड का निर्णय	Thailand to set up Naval Base in Andaman Sea	92
1547	विशिष्ट व्यक्तियों के लिये औषधियां	Drugs for V.I.Ps .	92
1548	सिक्किम के संबंध में भारत के विरुद्ध चीन का प्रचार	Chinese propaganda against India regarding Sikkim	93
1549	शिमला समझौते का पुनर्विलोकन	Review of Simla Agreement .	93
1550	मध्य प्रदेश में चूना पत्थर तथा बाक्साइट निक्षेपों को निकाला जाना	Explosion of lime stone and Bauxite Deposits in M.P. . . .	94
1551	पाकिस्तान द्वारा प्रतिरक्षा पर व्यय	Pakistan Defence Expenditure .	94

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1552	विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र	Proposed Steel Plant at Visakhapatnam	94
1553	मच्छरों द्वारा फैलाये जाने वाले ज्वर में भारत को खतरा	Mosquito Fever poses Danger to India	95
1554	ब्रिटेन को जहाजों का निर्यात	Export of Ships to Britain . . .	95
1555	चांदीपुर प्रूफ एण्ड इस्टेब्लिशमेंट हाऊस के गुम हुए अधुनातन टेलिस्कोप का बरामद किया जाना	Recovery of Missing Telescope of Chandipur Proof and Establishment House	95
1556	लघु इस्पात संयंत्र के लाभ	Advantages of a Mini Steel Plant. .	96
1557	दिल्ली नगर निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना	Non-Deposit of E.P.F. by Delhi Municipal Corporation	96
1558	वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान आए शरणार्थियों की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति	Employment to Refugees of 1971 Indo-Pak Conflict in Government Services.	96
1559	रॉयल थाई नौसेना के कमांडर इन चीफ से बातचीत	Talks with Commander-in-Chief of Royal Thai Navy	97
1560	आयुद्ध कारखानों में उत्पादन और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिये आयात	Production of Ordnance Factories and import of Defence requirements .	97
1562	हरियाणा में अविवाहित युवकों का नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operation of unmarried Youths of Haryana . . .	98
1563	दूसरे हुगली पुल का डिजाइन	Design of Second Hooghly Bridge .	98
1564	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस के बदले मजूरी का भुगतान	Payment of Wages in lieu of Bonus to workers in Calcutta Dock Labour Board	98
1565	संयुक्त राज्य अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट के साथ डिएगो गार्सिया के मामले पर बातचीत	Discussion with U.S. Secretary of State on Diego Garcia Issue . .	99
1566	साइप्रेस समस्या का समाधान करने के लिये प्रस्ताव	Proposals for Solution of Cyprus Problems	99
1567	भारत एल्युमीनियम कारपोरेशन के अधिकारियों का घेराव	B.A.L.C.O. Officers Gheraoed .	100
1568	रतनागिरि परियोजना का पूरा होना	Completion of Ratnagiri Project. .	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1569	इजराइल ताइवान तथा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के साथ राजनैतिक संबंध	Political Relations with Israel, Taiwan, and North and South Vietnams .	101
1571	मालवाही जहाजों को अदा किया गया विलम्ब शुल्क	Demurrage paid to Cargoships. .	101
1572	भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में अनियमितताएं	Irregularities in Bharat Dynamics Ltd. Hyderalad	101
1573	कश्मीर के प्रश्न पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिये पाकिस्तान का प्रस्ताव	Pak Move for Bilateral Talks on Kashmir Issue	102
1574	दक्षिण एशिया को अणु रहित क्षेत्र बनाने के लिए पाकिस्तान का राष्ट्र संघ में प्रस्ताव	Pak proposal in U.N. to make Nuclear Free Zone in South Asia . .	102
1575	फिलीस्तीन मुक्ति संगठन द्वारा निर्वासित सरकार का गठन करना	P.L.O. to set up Government in Exile	103
1576	कलकत्ता पत्तन आयुक्त के समुद्री विभाग में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर देय राशि के बारे में निर्णय करने में विलम्ब	Delay in setting retirement dues of Employees in Marine Department of Calcutta Port Commissioner .	103
1577	देश में होम्योपैथिक इलाज को लोकप्रिय बनाना	Strengthening Homoeopathy Treatment in the country	104
1578	राजस्थान में भू सर्वेक्षण	Geological Survey in Rajasthan. .	105
1579	भारतीय जहाजों के विदेशी व्यापार में गिरावट	Fall in Foreign Trade by Indian Ships	105
1580	श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of Labour Ministers' Conference . .	106
1581	यूनिफार्म टेस्ट स्टेंडर्ड	Uniform test standard .	106
1582	रक्षा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु का बढ़ाना	Raising the retirement age of Defence Officers.	107
1583	नेपाल स्थित भारतीय दूतावास को क्षति	Damage to Indian Embassy in Nepal .	107
1584	मुंगेर में दो बीड़ी प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना	Coverage of two beedi establishments in Monghyr under E.P.F. Act. .	108

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1585	कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत आने वाले शीतगार प्रतिष्ठान	Coverage of Cold Storage establishments under E.P.F. and F.P.F. Act 1952	108
1586	मैसर्ज बिहार सिरेमिक वर्क्स, मुंगेर के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामले	Criminal cases under E.P.F. Act against M/s Bihar Ceramic, Works, Monghyr	109
1589	मिलावटी औषधियों का बरामद होना	Recovery of Adulterated Drugs in Bombay	109
1590	इस्पात के मूल्य	Prices of Steel	109
1591	गुजरात में सामरिक सीमावर्ती सड़कों का निर्माण	Construction of Strategic Border Roads in Gujarat	110
1592	दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा का विस्तार	Augmentation of DTC Bus Service .	110
1593	दिल्ली में बसे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के स्वामित्व अधिकार	Ownership rights to West Pakistani Refugees Rehabilitated in Delhi .	111
1594	सलेम, विशाखापत्तनम और विजयनगर स्थित इस्पात मिलों में बहु राष्ट्रीय निगमों की अभिरुचि	Multinational Corporation interest in Steel Mills at Salem, Vizag and Vijayanagar	111
1595	निर्वासित पूर्व पाकिस्तान सरकार के गठन के बारे में समाचारपत्रों में समाचार	Press Report regarding setting up of East Pakistan Government in Exile .	111
1596	रत्नगिरी के कुडल तालुक में इस्पात की काले बाजार में बिक्री	Steel sale in blackmarket in Kudal Taluk Ratnagiri	11
1597	मच्छरों को मारने के लिये डी०डी० टी० का प्रयोग	Use of DDT for killing mosquitoes .	112
1598	सैनिक स्कूलों के स्थान	Location of Sainik Schools . .	112
1599	नौगांव, छतरपुर (मध्य प्रदेश) में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की पुन: स्थापना	Re-establishing of Military Training Centre in Naugaon, Chhatarpur, (Madhya Pradesh)	112
1600	कुछ स्टील फर्मों द्वारा कथित जालसाजी	Alleged racketeering by some Steel Firms	113
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	113

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आयात लाइसेंस संबंधी मामला	Import Licence Case . .	113
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	125
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	128
आसाम में आदिम जातियों के लोगों तथा पुलिस के बीच कथित मुठभेड़	Reported Clash between Tribals and Police in Assam	128
कुछ राज्यों में कपास के मूल्यों की कथित कमी के बारे में वक्तव्य	Statement Re:reported decline in prices of cotton in certain States. .	133
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Pr. D.P. Chattopadhyaya	133
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुर: स्थापित—	Representation of the People (Amendment) Bill—Introduced . . .	134
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Representation of the People (Amendment) Ordinance 1974	141
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale . . .	141
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक	Indian Telegraphs (Amendment) Bill .	141
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	141
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	141
डा० कैलाश	Dr. Kailas	143
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	143
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . . .	143
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhadeo Prasad Verma . .	143
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . .	144
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal . . .	144
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi . . .	144
डा० शंकर दयाल शर्मा	Dr. Shanker Dayal Sharma . .	144
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	146
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	146
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya . .	146
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	146

46 LSS/74—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री हेमेंद्र सिंह बनेरा	Shri Hemendra Singh Banera .	147
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	147
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	147
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav .	147
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey . .	148
डा० शंकर दयाल शर्मा	Dr. Shanker Dayal Sharma	148

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 21 नवम्बर, 1974, 30 कार्तिक, 1896 (शक)
Thursday, November 21,1974 / *Kartika* 30, 1896 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बोझ

*141. श्री डी०डी० देसाई +:
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 और 1973-74 के बीच हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन संयंत्रों में किये गए अतिरिक्त व्यय एवं उसके अनुरूप उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बोझ पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ; और

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात के लागत ढांचे का अध्ययन किया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1970-71 से 1973-74 के दौरान हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा पूंजी लेखे में किया गया कुल व्यय लगभग 130.9 करोड़ रुपये था जिसमें से लगभग 56.3 प्रतिशत खर्च नई/विस्तार

योजनाओं और अतिरिक्त बस्ती सुविधाओं पर किया गया था और लगभग 36.4% खर्च अतिरिक्त सुविधाओं/संशोधनों/पूरक सुविधाओं आदि पर किया गया था। यह स्वाभाविक है कि इस्पात उद्योग जैसे उद्योग को जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश होता है ऐसी योजनाओं के पूरा होने में समय लगता है और तत्काल उत्पादन में वृद्धि नहीं होती अन्यथा चार वर्षों में खर्च की गई इतनी राशि के कारण ही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक नहीं हो सकती।

(ग) उद्योगक्रम के आधार पर इस्पात के लागत ढांचे का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं करवाया गया है परन्तु कुछ अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां लागत में कमी करनी संभव है लागत में कमी करने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : इस्पात संयंत्र सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिसंपत्तियां हैं और हम उनके कार्यकरण के बारे में बहुत चिंतित हैं। सरकारी क्षेत्र के विस्तार का हमारा ध्येय भूतकाल में किये गये निवेश के कार्यनिष्पादन पर आवश्यक रूप से निर्भर करता है। इसको देखते हुए और मंत्रालय द्वारा किये गये अध्ययन को देखने पर प्रकट हुआ है कि इस्पात संयंत्रों का मुद्रास्फीति दबाव 825 करोड़ जी० डी० पी० का हुआ है और इनके कारण प्रतिवर्ष 8.25 लाख नौकरियों की हानि हुई। निवेश तथा अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं? मैं जानना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय द्वारा इस बात को देखने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं कि कार्मिक संबंधों में सुधार हो जिससे प्रतिव्यक्ति उत्पादकता उपकरण एवं पूंजी निवेश विश्व के अन्य भागों के तुलनीय हो सके?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय सदस्य से इस बात से सहमत हूं कि इस्पात एक बहुत ही मूल उद्योग है और देश का विकास काफी सीमा तक इस पर निर्भर करता है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण में कुछ कमियां रही हैं और हम इस्पात संयंत्रों की निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। परन्तु इस्पात जैसा उद्योग समुचित रूप से स्थापित होने के लिये समय लेता है। सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निर्देशन के अधीन हमने समन्वय समिति का गठन किया है जो इस बात को देख रही है कि कोयले की सप्लाई रेल परिवहन आदि में समुचित समन्वय हो और संयंत्र का रखरखाव समुचित हो व समुचित औद्योगिक संबंध बनाए रखे जा सकें। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग गत एक वर्ष से कोई बड़ी प्रमुख औद्योगिक अशांति की घटना नहीं हुई है। कार्मिक संबंध सुधर रहे हैं और हम इस्पात उत्पादन के लिये आवश्यक अन्य वस्तुओं की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि गत सात मास में, जहां तक उत्पादन का संबंध है, स्थिति में पर्याप्त पर्याप्त सुधार हुआ है। उदाहरण के लिये, भिलाई अपने लक्ष्यों की 106 प्रतिशत क्षमता प्राप्त कर सका, दुर्गापुर में जहां पर स्थिति पहले खराब थी 92 प्रतिशत क्षमता प्राप्त की गई और राउरकेला में 95 प्रतिशत। अतः सभी पांचों एकीकृत संयंत्रों में हम गत सात मास में लक्ष्यों की दृष्टि से 100 प्रतिशत प्राप्त कर सके। आशा है कि आगामी पांच मास में स्थिति में और भी सुधार किया जा सकेगा,

श्री डी० डी० देसाई : प्रारम्भिक अवस्था जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है तो 1964-65 थी जब कि 1973-74 की तुलना में अधिक उत्पादन हुआ। माननीय मंत्री ने कोयले एवं परिवहन समस्या का उल्लेख किया है। 1964 अथवा 1965 में रेलों द्वारा 2040 लाख टन माल की ढुलाई की गई जबकि गत वर्ष केवल 1800 लाख टन की ही ढुलाई हुई। दूसरे शब्दों में हम अनुभव की कमी व

क्षमता का अभाव उस स्थिति के कारण नहीं बता सकते क्योंकि 1964-65 अथवा 1965-66 में हमारा कार्य निष्पादन चालू वर्ष की अपेक्षा अधिक अच्छा था । अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति के वास्तविक कारणों का पता लगायें विशेष रूप से इस बात का कि क्या क्रय के समय जिन उपकरणों का उल्लेख किया गया था, वे निर्धारित क्षमता के थे अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्या इस स्थिति को सुधारा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप को प्रश्न पूछना चाहिये न कि भाषण देना चाहिये ।

श्री डी० डी० देसाई : यह उल्लेख किया गया था कि परिवहन एवं कोयला, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके संबंध में मंत्री महोदय काफी चिन्तित थे । इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं और आगामी वर्षों के संबंध में उत्पादन लक्ष्य क्या हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रश्न के एक भाग का उत्तर तो मैं पहिले ही दे चुका हूं । माननीय सदस्य विशेषरूप से गत वर्ष की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं । गत वर्ष बिजली की कटौती और कोयले के उत्पादन में कमी के कारण उत्पादन लक्ष्यों से बहुत ही कम हुआ । रेल वैगनों के धीमे-धीमे संचालन के कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई । अब इस दिशा में समुचित सावधानी बरती गई है । उन्होंने अनुमानों की बात की है । गत सात मास में उत्पादन लक्ष्यों का लगभग 100 प्रतिशत रहा है । आगामी पाच मास में स्थिति में और अधिक सुधार होगा ।

Shri Atual Bihari Vajpayee : Sir, the hon. Minister has said in his reply.

"No formal study of the cost structure of steel on an Industry-wise basis has been commissioned."

May I know the reasons for this? Why no study of the cost structure on an Industry-wise has been done and without the study of the cost-structure how the hon. Minister is claiming that we are producing steel on the proper rate? Whether the hon. Minister knows that Japan purchases Iron-ore from our country and carries that through ships and then produces steel with that. That steel is better and cheaper than our steel. What are the reasons for this?

Shri Chandrajit Yadav : Sir, so far as cost-structure of Iron our country is concerned, its price is fixed by Joint Plant Committee. The prices are fixed after taking into account all factors such as cost of coal, transport cost, electricity charges, cost of wages and other facilities to workers. SAIL has not made any study in this regard. In fact it is making a study how the cost of Iron could be brought down, how cost of production could be brought down....

Shri Jyotirmoy Bosu : How it can be brought down.... (*Interruptions*).

Shri Chandrajit Yadav : It has come down. I was saying that the SAIL is making efforts to find out how to make better utilization of Finances, which would affect the cost.

Second thing relates to distribution. Previously we used to send even one-two wagons and that also took more time and involved more cost. That used to affect the market also. But now we would despatch iron through rates only. It involves less transportation cost and less time.

You will thus see that efforts are being mad to reduce the cost of production. But so for as cost is concerned I would submit that cost of Indian Steel is less in comparison to cost in other countries. It is not more. Uou have referred to Japan....

Shri Madhu Limaye : What are the wages there?

Shri Chandrajit Yadav : The wages being paid in Indian Steel Mills are not less keeping in view the standard of our country. Steel workers are getting Rs. 383 p. m. including Dearness Allowance and Basic Pay and this is not less as per standards of our country.

So far as Japan is concerned, you know that Japan is our competitor in Steel Market. You also know that in the competition in International markets some such methods are also adopted to out do the competitor. I do not want to go into details, but I would request that our price is good.

Shrimati T. Lakshmi Kantamma : The Technicians and Scientists of our country had suggested a process, Bharti Process to the Government. With that process steel could be produced at cheaper rates. Whether the Government knows that process, if so, what steps the Government is taking in that regard?

Shri Chandrajit Yadav : Sir, this question is not related to the original question.

Mr. Speaker : Even then you may reply. Don't disappoint her. You have come here for the first time.

Shri Chandrajit Yadav : Sir, National Metallurgical Laboratory and 'Mekon' are two such organisations in our country which are continuously trying to produce steel in the country at cheaper cost.

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा : वैज्ञानिक यह बताते रहे हैं कि यह प्रक्रिया भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है और अन्य देशों में भी इस की बहुत अधिक मांग की जा रही है और उन्होंने इसका उपयोग भी किया है । सरकार इसे प्रयोग में क्यों नहीं ला रही ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आप उस वैज्ञानिक से कहें कि वे आकर मुझ से मिलें ।

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे : मुझे गोआ में यह बताया गया था कि 100 लाख लौह अयस्क "फाइन्ज" का जापान को निर्यात किया जा रहा है । जब मैंने इस बात की पूछताछ की कि इसे हमारे इस्पात संयंत्रों में उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता, तो मुझे बताया गया कि हमारे इस्पात संयंत्र उसका उपयोग करने के योग्य नहीं हैं । क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि जबकि जापान को इतनी अधिक मात्रा में इनका निर्यात किया जा रहा है, भारत में इनका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कोई परिवहन समस्या है अथवा क्या उनका उपयोग करने में असमर्थ हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : उपयोग के बारे में हमारी असमर्थता का कोई प्रश्न नहीं है, भारत सौभाग्य से, एक ऐसा देश है, यह लौह-अयस्क की दृष्टि से बहुत अधिक सम्पन्न है । जहां तक हमारी आवश्यकताओं का संबंध है हम अच्छी स्थिति में हैं । हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं । परन्तु लौह-अयस्क एक ऐसी वस्तु है जिसका हम निर्यात करते हैं और विदेशी मुद्रा कमाते हैं । जहां तक गोआ का संबंध है, हम पिंड अयस्क, 'फाइन्ज' और 'बल्यू डस्ट' का जापान को निर्यात कर रहे हैं क्योंकि उनसे हमें अच्छी विदेशी मुद्रा आय होती है ।

दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र संघ से निकालना

*142. **श्री कै० मालन्ना** :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका द्वारा जाति भेद की नीति का निरन्तर अनुसरण किये जाने तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की उपेक्षा किये जाने के कारण उसे विश्व संगठन से निकाल देने का सुरक्षा परिषद् में दृढ़ समर्थन करके भारत सरकार ने हाल ही में कोई पहल की थी ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी हां, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र से निकाले जाने के हाल के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया है ।

इस संबंध में, भारत ने महासभा में दूसरे देशों के साथ मिलकर दो प्रस्ताव भी रखे । पहले प्रस्ताव में परिचय-पत्र समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया जिसने दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के परिचय पत्रों को अस्वीकार किया था, और दूसरे प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद् से अनुरोध किया गया था कि वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकारों की विश्वजनीन घोषणा के सिद्धांतों का निरन्तर उल्लंघन किये जाने के प्रकाश में, संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों की जांच करे

भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों स्थानों पर इस प्रस्ताव के समर्थन में वक्तव्य दिये थे कि दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से हटाया जाये । लेकिन इस संबंध में कीनिया द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव पारित नहीं हो सका क्योंकि फ्रांस, यू० के० और अमरीका इन तीन स्थायी सदस्यों ने नकारात्मक मत दिये थे ।

12 नवम्बर, 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की उस व्यवस्था को चुनौती दी गई थी जो असफल रही और जिसमें दक्षिण अफ्रीका को महासभा के चालू सत्र से निलम्बित किया गया था; इस व्यवस्था के पक्ष में 91 मत आये और विरोध में 22, तथा 19 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया । अध्यक्ष की व्यवस्था का समर्थन करने वालों में भारत भी था ।

श्री के० मालन्ना : दक्षिण अफ्रीका द्वारा जाति भेद की नीति के निरन्तर अनुसरण और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन के कारण उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाल देने के लिये एक प्रस्ताव लाया गया था । जातिभेद की यह नीति 20वीं शताब्दी की शर्मपूर्ण बात है । मैं यह अनुभव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर 'वीटो' मानव अधिकारों पर 'वीटो' है । क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या किसी देश ने इस प्रस्ताव पर 'वीटो' का प्रयोग करने अथवा इस प्रस्ताव का विरोध करने की कोशिश की ?

श्री बिपिनपाल दास : जैसा कि मैंने पहले बताया है, सुरक्षा परिषद् के तीन स्थायी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर नकारात्मक मत दिये, जिस कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका ।

श्री के० मालन्ना : संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाले जाने के पश्चात् दक्षिण अफ्रीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या उसने अपनी नीति बदल दी है ?

श्री बिपिनपाल दास : दक्षिण अफ्रीका सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र बजट में अपना अंशदान अदा नहीं करेगा ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 2 का अनुच्छेद जो सदस्यों को सदस्यता से हटाये जाने के बारे में है, कहता है :

"सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा किसी भी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र संगठन की सदस्यता से हटाया जा सकता है ।"

तीन स्थायी सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया और इस प्रकार सदस्यता से हटाये जाने की इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं हो सका । इस बारे में पूर्वोदाहरण है —मैं कोरियाई युद्ध पर विचार कर रहा हूं —जब महासभा ने "शांति के लिये एकता" के अन्तर्गत बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार इस मामले पर विचार किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यों को नकारात्मक मत के कारण अवरुद्ध हो गई थी । क्या भारत ने इस संभावना पर विचार किया है अथवा उसका "शांति के लिये एकता" प्रक्रिया के अन्तर्गत जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, ऐसा करने का विचार है ?

श्री विपिनपाल दास : जब सुरक्षा परिषद् ने, तीन स्थाई सदस्यों के नकारात्मक मत के कारण केन्या के इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप से रद्द कर दिया तो मामला महासभा के समक्ष आया और महासभा के अध्यक्ष को अपनी व्यवस्था देने को कहा गया । अध्यक्ष ने दक्षिण अफ्रीका को महासभा के चालू सत्र से निलम्बित करने की व्यवस्था दी । इस व्यवस्था को अमरीका द्वारा चुनौती दी गई और उस पर मतदान हुआ जिसमें व्यवस्था के पक्ष में 91 मत आये और विरोध में 22 तथा 19 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया ।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : मेरा "प्रश्न शांति के लिये एकता" के अन्तर्गत देश से निकालने के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोरिया का उदाहरण दे रहे हैं, परन्तु पीछे बहुत सी बातें हो चुकी हैं ।

Shri R. R. Sharma : Sir, the policy of racialism is a blot on the fair name of humanity. The hon. Minister has said that three permanent members of the security council have voted against it. May I know whether our representatives have tried to make these permanent members understand the position privately?

श्री विपिनपाल दास : हमारे प्रतिनिधियों ने अन्य देशों के साथ केवल बातें ही नहीं की अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने जनरल एसेम्बली तथा सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया । जिसमें उन्होंने भारत सरकार की स्थिति तथा नीति बताई ।

श्री के० लकप्पा : संयुक्त राष्ट्र के मांगपत्र के विरोध में रंगभेद के विचार का बहुत से देशों ने दक्षिण अफ्रीका सहित उल्लंघन किया है और इसके विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिये जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत से कदम उठाये हैं । परन्तु मत पर्याप्त नहीं है। क्या भारत ने इन साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रंग भेद की नीति चला रहे हैं, कोई ठोस कदम उठाया है । क्या इस रंग भेद के विरूद्ध बहुत से देशों की एकता पैदा की गई है विशेषतया समजवादी देशों को एकता पैदा करने के लिये जनमत जागृत किया गया है और इन प्रयासों में कहां तक सफलता मिली है

श्री विपिनपाल दास : रंग भेद की नीत के विरुद्ध भारत वर्ष 1913 से, जब महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, जनमत जागृत करने का प्रयास कर रहा है । यह भारत को स्वतन्त्रता से मिलने से भी पहले की बात है । हमने वर्ष 1946 में दक्षिण अफ्रीका से संबंध विच्छेद कर लिये और तभी से हम प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक सम्मेलन में हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं और हमारी सफलता का प्रमाण इन सम्मेलनों की कार्यवाही है ।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के प्रयासों के बारे में है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपके कुछ शब्दों के प्रयोग से ही आपके भाषण का उद्देश्य पूरा हो जाता है।

श्री के० लकप्पा : यदि अध्यक्ष पीठ संतुष्ट है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, according to the decision in UN, South Africa's participation have been debarred only during current session. No decision had been taken so far regarding the expulsion of South Africa from U.N. May I know whether India would continue its efforts to see that South Africa for its policy of racialism is expelled from U.N.

श्री विपिनपाल दास : श्री वाजपेयी ने जो कहा है कि दक्षिण अफ्रीका को अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं निकाला गया है वह ठीक है। वर्तमान सत्र में भाग लेने से उन्हें रोका गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से दक्षिण अफ्रीका को निकालने के लिये अपने प्रयास जारी रखेगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : निश्चय ही, रंगभेद के विषय में हमारी सरकार का दृष्टिकोण विश्व विदित है। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल की घटनाओं को देखते हुए रंगभेद की नीति के संबंध में भारत सरकार अन्य क्या प्रयास कर रही है? क्या सरकार अफ्रीका के लोगों के विशेषतया दक्षिण अफ्रीका में मुक्तिसंग्राम को अपना समर्थन देगी?

श्री विपिनपाल दास : हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र से निकालने के संबंध में भारत के विचार तथा कार्यकर्ता की प्रशंसा करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र तथा ब्रिटेन की तरह के जो इस मामले में सिक्योरिटी काऊन्सिल आदि में मतदान के द्वारा बाधक सिद्ध हो रहे हैं राष्ट्रमंडलीय देशों के संबंध में अपने प्रयास जारी रखे हैं? क्या भारत दक्षिण अफ्रीका को न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ से निकलवाने अपितु विश्व निकाय की विभिन्न विशेष एजेंसियों से भी निकलवाने के संबंध में मामले पर उनके साथ सक्रिय है?

श्री विपिनपाल दास : श्री मावलंकर बहुत योग्य व्यक्ति हैं। मुझे खेद है कि इस मामले में उन्हें कम जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित यूनेस्को, एफ० ए० ओ०, डबल्यू एच० ओ, आई० एल० ओ० आदि संगठनों से दक्षिण अफ्रीका को निकाल दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र मंडल का सदस्य नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने पूछा था कि क्या भारत सरकार राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन से कहेगी कि वे संयुक्त राष्ट्र से दक्षिण अफ्रीका को निकलवायें मुझे पता है कि दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। अन्य विश्व संगठनों के बारे में क्या स्थिति है?

श्री विपिनपाल दास : मैंने बताया है कि भारत सरकार के प्रयास सफल रहे हैं।

कलकत्ता के निकट हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण में विलम्ब

144. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकता के निकट हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या निर्माण-कार्य करने वाली एजेंसी के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

(क) हुगली पर प्रस्तावित दूसरा पुल मुख्यतः एक राज्य परियोजना है, क्योंकि यह राज्य सड़क पर पड़ता है और "हुगली पुल अधिनियम, 1969" नाम के राज्य अधिनियम से शासित होता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने इस परियोजना से संबंधित सभी मामलों के निपटाने के लिये हुगली नदी पुल आयुक्त नाम वाली सांविधिक संस्था का सृजन किया है । भारत सरकार इस पुल के निर्माणार्थ राज्य सरकार की आर्थिक तौर पर सहायता करने के लिये केवल ऋण की व्यवस्था कर रही है । उपलब्ध सूचना के अनुसार पुल के पहुंच मार्गों के भाग के रूप में मार्ग हेतु के पाटों का कार्य प्रगति पर है । जहां तक मुख्य पुल का संबंध है, हुगली नदी पुल आयुक्तों के परामर्शदाताओं ने प्रारम्भिक डिजाइन की जांच कर ली है और उसे पुल के ठेकेदारों के परामर्शदाताओं को भेज दिया है । ठेकेदारों के सलाहकारों द्वारा डिजाइन की तैयारी और आयुक्तों के परामर्शदाताओं द्वारा अंतिम रूप से इसके अनुमोदन के बाद ही मुख्य पुल का कार्य चालू किया जायेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विवरण में उन बातों का कोई उल्लेख नहीं है जो पुल के बारे में मैंने उठायी हैं । सरकार पश्चिम बंगाल की इस परियोजना के बारे में उपेक्षापूर्ण रवया अपना रही है । प्रस्ताव पर वर्ष 1964 में निर्णय कर लिया गया था । आधारशिला भारत के प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 1972 में रखी गई । कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है और कार्य आरम्भ करने के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है । डिजाइन भी तैयार नहीं किये गये हैं और परामर्शदाता अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं । यह वर्तमान स्थिति है । क्या मंत्री महोदय को पता है कि क्या प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास किये जाने से पूर्व कोई डिजाइन बनाया जाता है । यदि है, तो क्या दिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ? क्या सरकार को पता है कि निर्माण का पर्यवेक्षण करने के लिये नियुक्त दो परामर्शदात्री फर्मों के बीच विवाद चल रहा है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : कारण के बारे में विवरण में बताया गया है । परियोजना से संबंधित आयोजन, निष्पादन आदि सभी बातों के लिये राज्य सरकार ने एक सांविधिक निकाय बनाया है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है वह थोड़ी सी निगरानी रखती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार पुल के निर्माण के लिये 100 प्रतिशत ऋण सहायता के रूप में दे रही है । जहां तक दूसरे भाग का संबंध है ठेकेदार द्वारा चुनी गई परामर्शदात्री फर्म द्वारा दिया गया दिडजाइन उन्होंने चुना है । निविदायें मांगी गयी थी और पुल के निर्माण के लिये उत्तरदायी सांविधिक प्रातिकरण हुगली नदी पुल आयुक्त के विचार से डिजाइन का निरीक्षण उनके अपने परामर्शदाताओं द्वारा होनी चाहिये । जहां तक केन्द्रीय सरकार

की बात है प्रत्येक स्तर पर आवश्यक कदम उठाये गये हैं। आयुक्तों के परामर्शदाताओं द्वारा डिजाइन अन्तिम रूप से मंजूर किये जाने के बाद ही पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार 100 प्रतिशत सहायता राशि दे रही है। मूल अनुमान क्या था और निर्माण सामग्री का मूल्य बढ़ जाने के कारण अनुमान के कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि परियोजना के पूरा होने में बहुत विलम्ब हो गया है। इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा दी गई है? क्या विदेशी फर्मों के परामर्शदाताओं के विभिन्न दौरों के लिये, जिन पर काम किया जा चुका है, भारत सरकार न कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई है?

श्री एच० एन० त्रिवेदी : पहले अनुमान के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 16 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना के दौरान लगभग आधी राशि की सहायता देने का विचार किया। पश्चिम बंगाल सरकार तथा हुगली नदी आयुक्तों के अनुसार अब अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये के निकट है। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। विलम्ब के मामले में केन्द्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं है। विदेशी मुद्रा संबंधी आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं परन्तु मैं ये आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समाचार पत्रों से पता चलता है कि जो परामर्शदाता विदेशों से अक्सर भारत आते हैं उनके लिये भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : दोनों मामलों में विदेशी परामर्शदाताओं के लिये केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने को सहमत हो गई है।

Shri Jagannath Mishra : May I know whether it is a fact that the approved design of the bridge is proposed to be changed and if so, whether this change is recommended by the technicians or by the administration?

What was the estimated expenditure involved? May I know the time by which this project is likely to be completed despite all the difficulties?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : प्रश्न के अधिकांश भाग का उत्तर मैं दे चुका हूं। जहां तक डिजाइन पर चर्चा की बात है हमारी नवीनतम जानकारी यह है कि नदी पुल आयुक्तों के विदेशी परामर्शदाताओं के विचार ठेकेदार के विदेशी परामर्शदाताओं को भेज दिये गये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार भूमि अभी तक अर्जित नहीं कर सकी है क्योंकि सतारूढ़ एक राजनैतिक दल इसमें रोड़ा अटका रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि परामर्शदाता वही फ्रीमैन फाम्स तथा भागीदार है नामक परामर्शदाता हैं जिन्होंने पीछे भी बहुत से डिजाइन तैयार किये हैं परन्तु दोषपूर्ण होने के कारण वे बहुत से पुल बह गये हैं?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक हमारा संबंध है हमें भूमि अर्जन संबंधी किसी कठिनाई का पता नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री त्रिवेदी को इसका उत्तर देना चाहिये । क्या फ्रीमैन काम्स तथा भागीदार परामर्शदाताओं ने पीछे पुलों के ऐसे डिजाइन बनाये और उनके दोषपूर्ण होने के कारण बहुत से पुल बह गये ? इसका उत्तर क्या है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : केन्द्रीय सरकार का पुलों के डिजाइनों से कोई तात्पर्य नहीं है । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री त्रिवदी, ऐसा न कहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिवदी उनका प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि क्या यह फर्म अन्तर्ग्रस्त है । वह केन्द्रीय सरकार पर आरोप ही लगा रहे हैं । उन्होंने फर्म के बारे में एक प्रश्न पूछा है ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैंने बताया है कि नदी पुल आयुक्तों को माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका पता था । इसी कारण इन्होंने सोचा कि फ्रीमैन फाम्स तथा भागीदारों द्वारा दिये गये डिजाइन का नदी पुल आयुक्तों के अपने परामर्शदाताओं द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । क्या यह सच है अथवा नहीं परामर्शदाताओं के बहुत से डिजाइन दोषपूर्ण होने के कारण ही पुल बन गये ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यह राष्ट्रीय कार्य का विषय है । निश्चय ही परामर्शदाता अन्तर्ग्रस्त हैं ? यह सच है । मंत्रालय को जांच करानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को जागरूक रहना चाहिये । कुल पुल गिर रहे हैं ।

अमरीका के सेक्रेट्री आफ़ स्टेट की भारत यात्रा

*145. **श्री पी० जी० मावलंकर** :
श्री राज राज सिंह देव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट डा० हेनरी किसिंजर अक्तूबर, 1974 में नई दिल्ली आये थे ;

(ख) उन्होंने जिन विषयों पर हमारी सरकार के साथ बातचीत की उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस यात्रा के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच कौन से समझौते हुए; और

(घ) क्या भारत-अमरीका संबंध अब फिर से सामान्य हो गये हैं और सदभाव तथा सहयोग अधिक हो गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) यह वार्ता विविध विषयों पर हुई जिनमें उभयपक्षीय संबंध, दक्षिण एशिया और आसपास के देशों की स्थिति, विश्व व्यापी मामलों की समीक्षा, तनाव कम करना तथा विश्व की आर्थिक स्थिति भी शामिल है ।

(ग) भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की स्थापना के लिये 28 अक्तूबर को अमरीका के विदेश मंत्री तथा भारत के विदेश मंत्री के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुये थे।

(घ) इस यात्रा से दोनों देशों के बीच और अधिक समझ-बूझ बढ़ाने में सहायता मिली है। इससे अमरीकी विदेश मंत्री को उभयपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतराष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर भारत के विचारों को और अच्छी तरह समझने का मौका मिला।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह सच है कि डा० केसिंजर ने अनेक बार अपनी यात्रा स्थगित की थी और अब यह यहां पर पहुंच गये हैं और भारत सरकार के नेताओं से बातचीत भी कर ली है—प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने कुछ अन्य विषयों का भी उल्लेख किया है--क्या भारत सरकार ने इस माननीय अतिथि को भारत सरकार और भारतीय जनता की हिंद महासागर में अमरीकी तथा अन्य देशों द्वारा किये जाने वाले नौसैनिक अभ्यासों के बारे में भावनाएं और चिंता बताई है और क्या अमरीका से भारत को खाद्यान्न की सप्लाई के बारे में भी बातचीत की गई थी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीन-अमरीका संबंधों और रूस-भारतीय संबंधों के बारे में भी बातचीत की गई थी?

अध्यक्ष महोदय : आप सब बातें एक साथ पूछ रहे हैं। मंत्री महोदय ने कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दिया परन्तु यदि वह दोहराना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री पी० जी० मावलंकर : जिन विषयों का उत्तर में उल्लेख नहीं किया गया मैंने उनके बारे में पूछा है कि क्या उन पर चर्चा की गई थी और यदि हां तो किस रूप में?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : हमने हिंद महासागर के मामले पर बातचीत की थी। हमने समस्त विश्व में खाद्य समस्या और रोम कांफ्रेंस के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की थी जिसमें अमरीका अपनी नीति घोषित करना चाहता था जो उसने कर दी है। हमने अन्य देशों के संबंधों के बारे में कोई चर्चा नहीं की, हमने केवल आपस के संबंधों पर विचार-विमर्श किया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : चीन-भारत संबंधों के संदर्भ में चीन-अमरीकी संबंध।

श्री बिपिन पाल दास : मेरे विचार में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उन्होंने एक समझौते का उल्लेख किया है क्या वह उसका ब्यौरा बतायेंगे? भाग (घ) के उत्तर के संबंध में जानना चाहूंगा कि क्या डा० किसिंजर की यात्रा के बाद भारत-अमरीकी संबंध पुनः सामान्य हो गये हैं ताकि उनमें और सुधार किया जा सके क्या यह भी सच है कि प्रधानमंत्री श्रीनगर चली गई थी जबकि डा० किसिंजर अभी दिल्ली, में थे और क्या यह बात माननीय अतिथि को बुरी लगी थी।

श्री बिपिन पाल दास : विदेश मंत्री और डा० केसिंजर ने भारत-अमरीका संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे जिसे प्रकाशित भी किया जा चुका है। अतः मुझे उसका ब्यौरा बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक भारत और अमरीका के परस्पर संबंधों की बात है हमने बातचीत के दौरान एक दूसरे के विचार समझने का प्रयत्न किया और इसके परिणामस्वरूप एक-एक दूसरे को अधिक समझ सके हैं और अब स्थिति सामान्य होती जा रही है।

श्री भागवत झा श्राजाद : क्या यह सच है कि अभी इस समझौते की सियाही भी नहीं सूखी थी कि अमरीका के युद्धपोत हिंद महासागर में दाखिल हो गये थे और सेंटों शक्तियों के साथ नौसैनिक अभ्यास आरंभ हो गये थे ? क्या स्थापित किये गये भारत-अमरीकी आयोग के संदर्भ में उन गतिविधियों से भारत और अमरीका के बीच सद्भावना पैदा होगी ? क्या इससे दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति स्थापित करने में सहायता मिलेगी ? और यदि हां तो किस प्रकार ? अमरीका के युद्धपोतों की इस उत्तेजनात्मक कार्यवाही और इस समझौते के प्रयोजन में क्या संगति है ? क्या एटलांटिक सागर अमरीका और 'सेंटों' के युद्धपोतों के लिये इतना छोटा हो गया है कि अब वे हिंद महासागर में आना चाहते हैं और विश्व के इस भाग में शांति समाप्त करना चाहते हैं जिससे उस सद्भावना को चुनौती दी गई है जो उक्त समझौते के माध्यम से अमरीका भारतीय जनता के प्रति व्यक्त करना चाहता है। क्या भारत सरकार ने इस संबंध में अमरीका को कोई पत्र लिखा है कि उनको इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता ?

श्री बिपिन पाल दास : हमने अनेक बार कहा है कि हमें हिन्द महासागर में किये जाने वाले नौसैनिक अभ्यासों के बारे में और अमरीकी सैनिक अड्डे स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव से भारी चिंता है। हमने इस बारे में कोई दुराव नहीं किया। हमने अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट को स्पष्ट शब्दों में अपने विचार बताये हैं। इस बारे में हमारा उनसे अब भी मतभेद है।

श्री समर मुखर्जी : क्या यह सच है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि सरकार ने इन नौसैनिक अभ्यासों के विरूद्ध पार्श्ववर्ती देशों की लोक राय बनाने के बारे में कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की है ? क्या इसका कारण यह है कि भारत और अमरीका के बीच ऐसा कोई करार हुआ है ?

श्री बिपिन पाल दास : विदेश मंत्री का आशय यह था कि यदि हम पार्श्ववर्ती देशों की राय एकत्र करना चाहें और उसे केवल इस क्षेत्र तक सीमित रखे तो कुछ कठिनाइयां सामने आयेंगी, कुछ पार्श्ववर्ती देश दूसरे पक्ष के हैं और इसी लिये राय भिन्न भिन्न होगी। हमने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व लोक राय बनाने के प्रयत्न किये हैं ताकि हम बड़े देशों पर दबाव डाल सकें। और वे इस प्रकार की गतिविधियों में भाग न लें।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या भारत कोई कार्यवाही आरंभ करेगा ? उन्होंने इस काम को क्यों छोड़ दिया है ?

श्री बिपिन पाल दास : इसमें कार्यवाही आरंभ करने की कोई बात नहीं है। हम पार्श्ववर्ती देशों के साथ विश्व लोक राय बनाने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर रहे हैं।

Shri Md. Jamilurrahuman : It appears from the statement that some understanding has been reached between India and U.S.A. I would like to know whether it was pointed out during the course of discussion that C.I.A. is enlarging its activities by taking undue advantage of the economic situation of India and it should stop such ventures?

श्री बिपिन पाल दास : यह मामला हमारे दूतावास ने वाशिंगटन में ही उठाया था और अमरीकी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस देश में सी०आई०ए० के कोई एजेंट नहीं थे; यदि हम उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकें तो वह उसे वापस बुला लेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाएं।

श्री भगवत झा आजाद : क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश में कोई अमरीकी गुप्तचर एजेंट नहीं हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। आप क्या कर रहे हैं?

श्री भगवत झा आजाद : हम यह जानना चाहते हैं कि यह बात भारत सरकार की जानकारी में है कि देश में कोई अमरीकी गुप्तचर एजेंट नहीं है? मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि अमरीका में, अमरीका सरकार ने वाशिंगटन में यह बात स्पष्ट की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के विचार से देश में अमरीकी गुप्तचर एजेंटों की गतिविधियां चल रही हैं अथवा नहीं (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस शोर-शराबे की बजाय आप कुछ और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दी है। लेकिन वे शोर-शराबे में पूरक प्रश्नों से ज्यादा रूचि लेते हैं।

जब तक सब सदस्य बैठ नहीं जाते मैं किसी भी सदस्य का नाम नहीं पुकारूंगा। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन उन्हें ऐसा करने में प्रसन्नता होती है।

श्री आर० एस० पाण्डे : एशिया में स्थायी शांति बनाये रखने के उद्देश्य से क्या डा० हेनरी किसिंजर का ध्यान इस ओर दिलाया गया था और उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वह पाकिस्तान को शस्त्र न सप्लाई करने के मामले में अपने पद का उपयोग करें और यदि हां तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हैं? क्योंकि कुछ अमरीकी समाचार-पत्रों ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सब देशों में अमरीकी गुप्तचर एजेंसी सक्रिय है और चिली इससे प्रभावित होने वाला एक देश है। क्या उक्त मामले पर डा० किसिंजर से प्रश्न किया गया था और अमरीकी गुप्तचर एजेंसी, जिसने हमारी प्रभुसत्ता को अस्त-व्यस्त कर दिया है, के बारे में उन्होने क्या उत्तर दिया था?

श्री बिपिनपाल दास : डा० किसिंजर ने जो हमें बताया था उसका उन्होंने 30 अक्तूबर को हुए अपने प्रेस सम्मेलन में उल्लेख कर दिया था। उन्होंने स्पष्टतया दो बातों का उल्लेख किया था। पहले यह कि अमरीका इस उप महाद्वीप में शस्त्रों की होड़ में भाग नहीं ले सकता और दूसरे, अमरीका ने प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के मामलों में प्रभाव डालने का कोई प्रयास नहीं किया था।

श्री एस० एम० बनर्जी : अमरीकी गुप्तचर एजेंसी के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था कि अमरीका के राजदूत ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में अमरीकी गुप्तचर एजेंसीं कोई कार्य नहीं कर रही है। मैं उनका ध्यान डा० शंकर दयाल शर्मा द्वारा, जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हाल ही में, जारी किए गए विभिन्न वक्तव्यों की ओर दिलाना चाहूंगा (**व्यवधान**) श्री उमाशंकर दीक्षित, जो उस समय गृह मंत्री थे, ने भी यह कहा था कि अमरीकी गुप्तचर एजेंसी की गतिविधियां न्यूनतम करने के लिये कार्यवाही की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अमरीकी दूतावास के कुछ उच्च अधिकारियों की गंदी गतिविधियों,—मैं उनके नाम बता सकता हूं,—जिन्हें अमरीकी गुप्तचर एजेंसी के प्रमुख समझा जाता है, के बारे में उनका ध्यान दिलाया गया है और इस बारे में क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है? क्या श्री किसिंजर के दौरे के दौरान यह बात उठाई गई थी कि अमरीकी सरकार या तो इन अधिकारियों को वापिस बुला ले नहीं तो उन्हें इस देश से बाहर निकाल दिया जायेगा?

श्री बिपिनपाल दास : कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उल्लेख की गई किसी बात का मैं उत्तर नहीं दे सकत यह पूछा गया था कि क्या इस मामले पर श्री किसिंजर से बातचीत हुई थी, मैं पहले ही इस बारे में श्री किसिंजर द्वारा दिये गये उत्तर का उल्लेख कर चुका हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : गत वर्ष मैंने गृह मंत्रालय से चाणक्यपुरी में काम कर रही वर्ल्ड यूथ एसेम्बली के बारे में एक प्रश्न पूछा था कि क्या उसे अमरीकी डालर अथवा विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है? गृह मंत्री ने इसे स्वीकार किया था। मैंने उस बारे में आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दिया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उक्त मंत्रालय अमरीकी गुप्तचर एजेंसी और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस तथा वर्ल्ड यूथ एसेंबली जैसे संगठनों की गतिविधियों के कार्य के बारे में जो युवक कल्याण के नाम पर एक हजार से अधिक डालर प्रतिमास खर्च कर रही है और विभिन्न स्थानों पर अशांति पैदा कर रही है, गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करेगा? क्या श्री किसिंजर के भारत में आगमन से पूर्व उन्होंने अमरीका में यह स्वीकार किया था कि अमरीका की यह नीति रही है कि वह विभिन्न विकासशील देशों में लाखों डालर खर्च कर वहां की सरकारों को पलट दे और इस बात की राष्ट्रपति फोर्ड ने भी पुष्टि की है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर मंत्री महोदय ने श्री किसिंजर से बातचीत की थी और इसके प्रति सरकार का क्या रुख है और इस बारे में उनका क्या उत्तर है?

श्री बिपिनपाल दास : जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, उसे गृह मंत्रालय को भेजा जाना चाहिये। दूसरे प्रश्न का मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री चव्हाण द्वारा यह कहे जाने के संबंध में कि देश में चार केन्द्रों बंगलौर कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में सी०आई०ए० की गतिविधियां सक्रिय है, माननीय मंत्री को क्या कहना है?

श्री बिपिनपाल दास : मैं गृह-मंत्री की ओर से उत्तर नहीं दे सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

बिजली की कमी के कारण गुजरात में औद्योगिक एककों में श्रमिकों को जबरन छुट्टी देना

*143. **श्री वेकारिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद बिजली की कमी के कारण किन किन औद्योगिक एककों में श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई है; और

(ख) इस संबंध में कितने श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) तत्काल उपलब्ध अनंतिम सूचना के अनुसार, गुजरात में बिजली की कमी के कारण 45 औद्योगिक एककों ने फरवरी, 1974 से 10,384 श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजा। इस मामले के संबंधित पहलुओं के बारे में अधिक तथा पूर्ण सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बोनस पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बातचीत

*146. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि सरकारी, विभागीय उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों में बोनस पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप असंतोष बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सैण्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाईजेशन के नेताओं के साथ इस प्रतिवेदन पर बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जो कुछ समाचार-पत्रों में छपा है, उसके अलावा सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र को हुआ घाटा

*147. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर में मिश्र-इस्पात संयंत्र को वर्ष 1972-73 के अन्त तक कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) यह घाटा राउरकेला और भिलाई संयंत्रों की तुलना में कम है या अधिक ; और

(ग) इन भारी घाटों के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 के अन्त तक भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने की संचित हानियां इस प्रकार हैं :—

	करोड़ रुपये
भिलाई इस्पात कारखाना	(—) 13.288
राउरकेला इस्पात कारखाना	(—) 27.697
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 157.188
दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात कारखाना	(—) 36.222

(ग) इन कारखानों में विशेषतः दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने में हानि होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से कम हुआ है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि लागत में जितनी वृद्धि हुई है मूल्यवृद्धि में उसकी पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति नहीं हुई है।

हरियाणा में सोनीपत में मच्छरों के पैदा होने पर नियंत्रण संबंधी प्रयोग

*148. **श्री हरी सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय अनुसंधान परिषद् के विभाग हरियाणा में सोनीपत में मच्छरों के पैदा होने पर नियंत्रण रखने संबंधी प्रयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रयोग सफल रहे हैं और क्या इस अनुसंधान के लाभ भारत के शेष भाग को भी मिलेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मच्छर पैदा न होने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की परियोजना के अन्तर्गत एक विशेष प्रकार के मच्छर के पैदा होने के कारणों का अध्ययन शुरु कर दिया गया है। सोनीपत में कृत्रिमरूप से मच्छर पैदा करने की स्थिति तक अभी नहीं पहुंचा जा सका है।

(ख) मच्छरों की उत्पत्ति रोकने की इस परियोजना का प्रसिद्ध भारतीय विशेषज्ञों के एक दल ने व्यापक रूप से पुनरीक्षण किया है। उन्होंने एक मत से यह बात कही है कि मच्छरों से पैदा होने वाले रोगों पर काबू पाने के लिए कुछ और उपाय ढूंढ निकालने की दृष्टि से यह परियोज़ना महत्वपूर्ण है तथा कुछ और संरक्षण देकर इसे जारी रखा जाना चाहिए। फील्ड रिलीज शुरु करने से पहले इन्हीं संरक्षणों को देने का विचार है। यह परियोजना सीधे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के नियंत्रण में चले यह निश्चित करने के लिए भी सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है। इस परियोजना के लाभ जब मिलने लगेंगे तो उनका उपयोग जहां कहीं व्यावहारिक समझा जायेगा वहां किया जायेगा।

मच्छर पैदा न होने देने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का इस परियोजना संबंधी एक विस्तृत नोट सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया/ देखिए संख्या एल०टी० 8530/74]

ब्रिटेन में अश्वेतों पर रोक लगाया जाना

*149. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के एक न्यायालय के इस निर्णय पर भारत ने अपनी नाराजगी प्रकट की है कि वहां के 4000 गैर-सरकारी क्लब अश्वेतों पर रोक लगा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश मंत्रालय से यह संकेत मिले हैं कि लेबर सरकार ने इस मामले में कानून को बदलने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) हमने ब्रिटिश सरकार के साथ हाउस लार्डस् के उस निर्णय के प्रश्न को उठाया है जिसके अनुसार ब्रिटेन के वर्किंग मैंस में क्लब अश्वेतों को ऐसे क्लबों के प्रयोग से रोक सकते हैं।

(ख) और (ग) ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने हाल के अपने एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा कि जातीय संबंधों के कानून के पुनरीक्षण की आवश्यकता है और यह भी कि गृह सचिव इस मामले पर आवश्यक रूप से विचार कर रहे हैं।

चिली के राजनीतिक बन्दियों को रिहा करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र का संकल्प

*150. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में चिली के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के संकल्प पर मतदान के समय भारत ने उसमें भाग नहीं लिया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) संकल्प की मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वान) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर मतदान के मूल रिकार्ड में यह गलत दिखाया गया है कि भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने एक लिखित सूचना में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को यह बताया था कि मतदान के समय भारतीय प्रतिनिधि ने भूल से गलत बटन दबा दिया था और साथ ही यह अनुरोध भी किया था कि रिकार्ड को तदनुसार ठीक कर लिया जाये ताकि यह पता चले कि भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था।

(ख) संकल्प के कार्यकारी पैराग्राफ संबंधी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इस प्रस्ताव के कार्यकारी पैराग्राफ नीचे उद्धृत हैं:—

(1) इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है कि चिली में मूलभूत मानवीय अधिकारों और बुनियादी स्वतन्त्रता के घोर उल्लंघन की बराबर सूचना मिल रही है;

(2) उत्पीड़न तथा अन्य सभी प्रकार के क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार या दंड के सभी रूपों के परित्याग को एक बार फिर दोहराता है;

(3) चिली के प्राधिकारियों से अनुरोध करता है कि वे मानव अधिकारों की सार्वभोम घोषणा के सिद्धांतों का पूरी तरह सम्मान करें; तथा मौलिक मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं की पुनस्थापना तथा सुरक्षा के लिए, विशेषरूप से उनकी, जिनका संबंध मानव जीवन और मानवीय स्वतन्त्रता से है; उन सभी व्यक्तियों को रिहा करने के लिए, जिन्हें बिना किसी आरोप के नजरबन्द कर रखा है अथवा जिन्हें सिर्फ राजनीतिक कारणों से कैद कर रखा है; और उन व्यक्तियों को निरंतर सुरक्षित व्यवहार देते रहने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता है जो सुरक्षित व्यवहार चाहते हैं;

(4) अपने प्रस्ताव 8 (सत्ताईसवां) में भेदभाव दूर करने तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उप-आयोग द्वारा की गई इस सिफारिश का समर्थन करता है "मानव अधिकार आयोग अपने इकत्तीसवें सत्र में चिली में मानव अधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट का अध्ययन को विशेषरूप से उत्पीड़न एवं हिंसा, अमानवीय या निम्न व्यवहार या दंड के संदर्भ में";

(5) महासभा के उन्नतीसवें सत्र के अध्यक्ष से तथा महासचिव से निवेदन करता है कि उपरोक्त पैरा 3 के संदर्भ में चिली में बुनियादी मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रता की पुनस्थापना के लिए जैसे भी वे उचित समझें सहायता करें;

(6) महासचिव से अनुरोध करता है कि पैराग्राफ 3, 4 और 5 के बारे में की गई कार्रवाई और प्रगति पर महासभा के तीसवें सत्र में वे रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

फरीदाबाद-बल्लभगढ़ उद्योग समूह में बिजली की कटौती के कारण श्रमिकों की जबरन छुट्टी

*151. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फरीदाबाद-बल्लभगढ़ उद्योग समूह में बिजली की भारी कटौती के कारण लगभग 60,000 श्रमिकों की जबरन छुट्टी की गई है अथवा उनकी छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या बिजली की सप्लाई को सामान्य बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार अप्रैल-सितम्बर, 1974 की अवधि के दौरान बिजली की कटौती के कारण जबरी छुट्टी पर भेजे गए तथा छंटनी किए गए श्रमिकों की संख्या क्रमशः 20,984 और 303 है। नियोजकों द्वारा जबरी छुट्टी पर भेजे गए/छंटनी किए गए श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 के संबंधित उपबंधों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। जहां तक बिजली की आपूर्ति को सामान्य बनाने की किसी योजना का संबंध है, राज्य में राज्य सरकार द्वारा बिजली पैदा करने वाले और केन्द्र बिजली की कमी को दूर करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्रालय भी, देश में बिजली की कमी को दूर करने और बिजली की उपलब्धता को सुधारने के लिए परिकल्पित विभिन्न योजनाओं/उपायों की कार्यान्विति की ध्यानपूर्वक देख रेख कर रहा है और उन की प्रत्याशा है कि हाल के महीनों में देखे गए बिजली के अधिक उत्पादन और उसकी समुन्नत उपलब्धता का रुख आगामी महीनों में बना रहेगा।

Payment of Bonus According to Recommendations of Bonus Review Committee

*152. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the names of the Central and State Governments Undertakings where it has been decided to pay bonus according to the recommendations of the Bonus Review Committee;

(b) the names of the undertakings where employees will not get bonus and the reasons for taking this negative decision; and

(c) the reaction of the leading Trade Unions regarding the main recommendations of the Committee?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) The report is under study and the decisions on the recommendations contained in the report of the Bonus Review Committee are yet to be taken.

(c) Apart from what has appeared in the Press, no representations in this regard have been received by Government.

चीन-भारत संबंधों को सामान्य बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही

***153. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के माध्यम से चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कोई पहल की है ; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के सम्मिलित होने के बाद इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध यद्यपि बने हुए हैं, फिर भी दोनों देशों ने एक-दूसरे की राजधानी में, रिहायशी राजदूतावासों के रूप में स्थापित राजनयिक सूत्रों के माध्यम से सीधा सम्पर्क कायम रखा है, जिनका नेतृत्व वरिष्ठ कार्य-दूत करता है। इसको देखते हुए भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए किसी तीसरे देश से पहल करवाने की आवश्यकता नहीं है। चीन के साथ भारत के वर्तमान गतिरोध का कारण संचार के सूत्रों का अभाव नहीं है अपितु चीन की ओर से कोई ऐसा संकेत न मिलना है कि वह भारत के साथ संबंध सामान्य करना चाहता है। भारत ने अपनी ओर से इस दिशा में कई ठोस और रचनात्मक कदम उठाये हैं परन्तु चीन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोनस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों का प्रभाव

***154. श्री आर० एन० बर्मन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) बोनस पुनरीक्षा समिति पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इसका अनुमान समिति की रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ख) बोनस पुनरीक्षा समिति पर सितम्बर, 1974 तक खर्च की गई कुल राशि क ीब 4 लाख रुपये आती है।

भारत और पुर्तगाल में राजनयिक सम्बन्ध

***155. श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत **और** पुर्तगाल में आपस में राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के राजनयिक मिशनों की स्थापना कब तक की जायेगी ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) आशा है कि इस बा में शीघ्र ही बातचीत होगी।

केरल में एक अमरीकी तेल टैंकर में से तेल निकल कर फैलने के कारण क्षति

*156. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तेल टैंकर ट्रांसहेरोन से, जो अरब सागर में प्रबाल चट्टान (कोरल राक) पर अटक गया था, केरल के निकट समुद्र में तेल निकल कर फैलना शुरु हो गया है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पम्प कर के बाकी तेल निकालने के लिए कोई टैंकर दिया है;

(ग) क्या तेल के फैलने से नारियल ताड़ को क्षति पहुंचनी आरंभ हो गई है और वहां मछलियां नष्ट हो गई ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां। अमरीकी तेल टैंकर "ट्रांसहेरोन" के धंस जाने के फलस्वरूप किल्टन द्वीप (लक्षद्वीप) से दूर लगभग 3000 टन तेल बिखरा।

(ख) तेल निकालने के कार्य के लिए "जग ज्वाला" और "एक्वेरियस" तेल वाहक पोत लगाये गये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना

*157. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**

श्री प्रबोधचन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के मुख्य मंत्री का दिनांक 22-8-1974 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सुझाव दिया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना केरल में की जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आयुर्वेद का यह राष्ट्रीय संस्थान कहां होगा और इसका क्या ढांचा होगा इस पर विचार किया जा रहा है।

रूंगटा एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को उड़ीसा में पट्टे पर दिया गया खनन क्षेत्र

*158. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में रूंगटा एन्ड संस प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न अयस्कों के संबंध में कुल कितना खनन क्षेत्र पट्टे पर दिया गया है ;

(ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में उड़ीसा में लौह अयस्क तथा अन्य अयस्क प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में निकाले गये; और

(ग) क्या उनकी सभी खानों में कार्य चालू है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चंद्रजीत यादव) : (क) से (ग) उड़ीसा में रूंगटा एण्ड संस प्राइवेट लिमिटेड को कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। परन्तु, मैसर्स एम० एल० रूंगटा के पास सिलजोरा कालीमाटी ग्राम में मैंगनीज का एक पट्टा है। रूंगटा माइंस (प्राइवेट) लिमिटेड के पास कटासाई में मैंगनीज़ का एक पट्टा तथा जजांग ग्राम में लौह व मैंगनीज़ अयस्कों, दोनों के लिए एक पट्टा है। सभी खानों में कार्य हो रहा है। केवल जजांग में 1970 से मैंगनीज अयस्क का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इसमें लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है। इन पट्टों का क्षेत्र तथा 1971-72 से हो रहा वार्षिक उत्पादन निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	स्थान	उत्पादित खनिज	क्षेत्र एकड़ों में	उत्पादन टनों में			
				1971	1972	1973	(जनवरी 1974 से सितम्बर, 1974)
			मैसर्स एम० एल० रूंगटा				
(1)	सिलजोरा कालीमाटी	लोहा	1771.50	29,862	29,782	22,246	16,599
			रूंगटा माइन्स (प्रा०) लि०				
(2)	कटासाई	मैंगनीज	560.00	6,258	3,869	4,424	—
(3)	जजांग	लोहा	1654.00	234,118	205,526	119,247	70,832

स्क्रैप के री-रोलर

*159. **श्री कुमार माझी** :
श्री एन० ई० होरो :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य इस्पात संयंत्रों के स्क्रैप की कुल छीलन व टुकड़ों में से 33 प्रतिशत तो एस० आर०एम०ए० के सदस्य 96 स्क्रैप री-रोलरों को मिल रहा है जब कि छीलन का शेष 67 प्रतिशत भाग ए०आई०एस०आर०ए० के सदस्य के रूप में डी० 1 सैक्टर में लगभग 750 स्क्रैप री-रोलरों को मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) एक ही उद्योग में इस विषमता को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग) मुख्य इस्पात उत्पादकों के पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप की बड़ी मात्रा स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के स्क्रैप पुनर्बेलकों और विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों के पास पंजीकृत स्क्रैप पनर्बेलकों में 1:2 के अनुपात में वितरित की जाती है। पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप के वितरण की व्यवस्था में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। स्क्रैप की कमी को देखते हुए राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे नई पुनर्बेलन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन न दें परन्तु इसके बावजूद कई इकाइयां लग गई हैं।

सिरोही जिले में पाया गया लोहा

*160. **श्री राजदेव सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरोही जिले में बढ़िया किस्म का लोहा पाया गया है और डेरी नामक स्थान पर आरंभ की गई खुदाई से पता चला है कि वहां अनुमानतः दस लाख टन लोहा और समूचे क्षेत्र में लगभग 80 लाख टन लोहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लोहा खोज कार्य बहुत बड़े क्षेत्र में करने के बाद केवल इसी क्षेत्र में मिला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, झुनझुनु तथा सीकर जिलों में पहले ही लौह अयस्क के निक्षेप होने का पता लगाया जा चुका है परन्तु अभी तक सिरोही जिले में पता नहीं चला है। किन्तु सिरोही जिले के डेरी नामक स्थान में एक निक्षेप का पता लगाया गया है, जिसमें कुछ तांबा सहित सीसा-जस्ता अयस्क का 8 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। भंडारों का खोज कार्य चल रहा है तथा हो सकता है कि यह निक्षेप गुजरात के बनास कंठा जिले के समीपवर्ती अम्बामाता निक्षेप की श्रृंखला में हो।

राउरकेला इस्पात संयंत्र को हुआ घाटा

*161. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को उत्पादन में 20 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां। अनुमान है कि 1-4-1972 से 31-8-1974 की अवधि में बिजली की कमी के कारण राउरकेला इस्पात कारखाने की कुल बिक्री में लगभग 28 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

(ख) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई पर लगाये गये प्रतिबंध तथा बिजली की सप्लाई में घट-बढ़ तथा वर्ष 1973-74 में दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बिजली की कमी होना था, जिससे कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा और इस तरह सभी कारखानों को (राउरकेला कारखाना भी शामिल है) कोयले की सप्लाई कम हुई।

जबकि राउरकेला में रक्षित संयंत्र में बिजली का इष्टतम उत्पादन करने के लिए उपाय किए गए हैं केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा उड़ीसा राज्य विद्युत् बोर्ड तथा पूर्वी क्षेत्र में दूसरे पावरग्रिडों से सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि राउरकेला इस्पात कारखाने को प्राथमिकता के आधार पर बिजली मिल सके। दीर्घकालीन उपाय के रूप में राउरकेला में बिजली पैदा करने को रक्षित क्षमता में 120 मैगावाट की वृद्धि करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल का उत्पादन करने वाली मिलें

1401. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन कार्यवाही की आशंका के कारण दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरसों के तेल का उत्पादन करने वाली लगभग सभी मिलें बन्द पड़ी हैं, क्योंकि सरसों में सामान्यतः धतूरे के बीज पाये जाते हैं ;

(ख) क्या दोनों प्रकार के बीजों को पृथक् करने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि वे एक जैसे ही होता हैं और खेतों में से ही अपमिश्रित हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या धतूरे की ऐसी सुरक्षित प्रतिशतता की अनुमति देने के लिए कुछ उपाय अपनाये जायेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो और उत्पादकों में विश्वास जाग्रत हो सके तथा तेल का उत्पादन शुरू हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) सरसों और आर्गेमोन के बीज खेतों से ही मिले रहते हैं यह मानना सही नहीं है।

(ग) अन्य खाद्य तेलों में खासकर सरसों के तेल में आर्गेमोन तेल किसी सीमा तक बर्दाश्त किया जा सकता है या नहीं यह जानने के लिए टाटा कैंसर अनुसंधान संस्थान, बंबई, पोषण के राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद और अन्य स्थानों में एक-दूसरे के सहयोग से अध्ययन किये जा रहे हैं।

Saved Crew of a U. S. Tanker by Indian Navy

1402. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the Indian Navy has saved the crew of a U.S. oil tanker; and

(b) if so, the facts in this regard?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) On 26th September 1974, at about 1830 hours, an American Oil Tanker TRANS HURON developed engine breakdown and ran around on a coral reef off KILTAN Island in the LAKSHDWEEP Group of Islands. Twentyeight survivors made their way to KILTAN Island but 5 members including the Greek master and Chief engineer remained on board.

2. Indian Naval Ship GAJ arrived at the scene of incident on 29th September, 1974 to render assistance. Later, on 28th September, a tug from BOMBAY, named CHALLENGER, arrived at KILTAN Island. The 29 crew members on KILTAN Island embarked Naval tug INS GAJ, the other five on CHALLENGER, and all survivors were brought to COCHIN on 30th September, 1974.

Memorandum to Prime Minister from M.Ps. Regarding Place of Hindi in U.N.O.

1403. **Shri Shankar Dayal Singh :**

Shri Bhagatram Rajaram Manhar :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister has received any memorandum from some Members of Parliament to the effect that Hindi gets a place in U.N.O.;

(b) if so, the number of Members of Parliament who have signed this memorandum and the main points contained therein; and

(c) the steps taken so far by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट

1404. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु शस्त्रास्त्र वाले बड़े देशों द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाने वाल परमाणु विस्फोट तथा गैर-परमाणु शस्त्रास्त्र वाले देशों द्वारा किए जाने वाले ऐसे विस्फोटों के बारे में अमरीका के विदेश मंत्री के उन विचारों को देखा है जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों के प्रश्न पर अपनी नीति पर स्थिर है । भारत का विश्वास है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट करने का उसे अधिकार है ।

इस्पात बिलेट का निर्यात

1405. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात बिलेट का निर्यात करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ;

(ग) क्या री-रोलिंग मिलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी आपत्तियां क्या हैं तथा सरकार का विचार किस प्रकार उनको दूर करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) लोहे और इस्पात की वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार बिलेटों का निर्यात गुणावगुण सूची में रखा गया है ताकि फालतू मात्रा का निर्यात किया जा सके ।

(ग) और (घ) कुछ पुनर्वेलकों ने सुझाव दिया है कि बिलेट उन्हें दे दिए जाएं और उनके पुनर्वेलित उत्पादों के निर्यात के लिए सुविधा दी जाए । मुख्य उत्पादकों को ने पुनर्वेलकों द्वारा वित्तीय प्रबन्ध कर लेने पर बिलेट देने का प्रस्ताव रखा है । परन्तु उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है ।

E.S.I. Facilities at Renukoot, Mirzapur District U.P.

1406. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) the number of employees who are members of the Employees' State Insurance Scheme at Renukoot, Mirzapur district in Uttar Pradesh and the facilities being provided to them ; and

(b) the time by which the building to house the dispensary will be constructed and whether there is any proposal to purchase a vehicle for the employees?

The Deupty Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:—

(a) 6,500. The insured persons are being provided all the benefits, cash as well as medical, under the Scheme. The families of the insured persons are being provided only out-door medical treatment from a two doctored Dispensary set up at Renukoot.

(b) No proposal for the construction of building for the dispensary has so far been received from the State Government.

A proposal for the purchase of one ambulance van at an estimated cost of Rs. 50,000- was received from the State Government. It has, however, been decided in consultation with the State Government that the provision of ambulance van for Renukoot will not be economical. The State Government have been requested to explore the possibilities of making some other arrangement for transport.

पाकिस्तान में ननकाना साहिब की तीर्थ यात्रा

1407. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सिखों ने सरकार से कम-से-कम उन को दो हजार तीर्थ यात्रियों के लिये व्यवस्था करने को कहा है जो इस वर्ष 29 नवम्बर को पड़ने वाले गुरु नानक जन्म दिवस के अवसर पर पाकिस्तान में ननकाना साहिब तथा अन्य सिख गुरुद्वारों की यात्रा करना चाहते हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल में हुए भारत पाकिस्तान समझौते को देखते हुए इन तीर्थ यात्रियों के लिये पाकिस्तानी अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत में सिख संगठनों से तीर्थ यात्रियों का दल ले जाने की सुविधाओं की प्रार्थना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वह गुरु नानक के जन्म दिवस के अवसर पर तीर्थ यात्रियों को ननकाना साहिब

जाने की अनुमति प्रदान करे । पाकिस्तान सरकार ने सूचना दी है कि प्रशासनिक कारणों से वे इस वर्ष केवल 500 सिख तीर्थयात्रियों के लिये प्रबंध कर सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद से विजयवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग

1408. **डा० के० एल० राव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** 29 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 990 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 विजयवाड़ा नगर की सीमा पर समाप्त होती है तथा मंत्री पर नगर को जाने वाली सड़क की स्थिति जानने की जिम्मेदारी नहीं है तथा यहां तक कि सड़क के उस छोटे-से भाग में होने वाली अनेक दुर्घटनाओं के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 का यातयात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से जोड़ना आवश्यक नहीं है जबकि विशेषकर दोनों को मिलाने से नगर का थोड़ा-सा भाग आयेगा; और

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई छह वर्ष की अवधि अपेक्षित कार्यवाही के लिये पर्याप्त नहीं समझी गई है विशेषकर जब कि प्रस्तावित रेखांकन में रेलवे पुल लगभग तैयार हो चुके हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एन० त्रिवेदी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 कृष्णा नदी पुल के निकट विजयवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 से जुड़ा हुआ है और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर विशाखापत्तनम की ओर जाने के लिये दक्षिण की ओर उप-मार्ग है । इस यात्रा मार्ग के साथ-साथ नगर से होकर जाने वाली योजक सड़कों की तुलना में विजयवाड़ा होकर हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच यात्रा के लिये छोटा-सा घुमाव है। इस प्रयोजन के लिये, विजयवाड़ा नगर सड़कों की अपर्याप्तता के कारण विजयवाड़ा शहर के उत्तर में हैदराबाद-विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम धुरी के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उप-मार्ग कड़ी की आवश्यकता स्वीकार करते हुए, उसी के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये चौथी योजना में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । इस व्यवस्था में से भूमि प्राप्त करने के कार्य के लिये लगभग 8.86 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से 4 किलोमीटर लम्बाई के दो अनुमान पहले ही स्वीकार कर लिये गए हैं और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति में है । कुछ संरेखन पहलुओं का समाधान करने के लिये शेष भाग में भूमि अधिग्रहण करने के लिय एक दूसरे अनुदान के बारे में राज्य से इस समय पत्र-व्यवहार किया जा रहा है । इसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, जोकि इस समय बहुत कम है । जैसा भी है धन की काफी कमी के कारण ऐसी कड़ियों और उप-मार्गों को बहुत निम्न प्राथमिकता दी गई है।

प्रश्न में उल्लिखित रेलवे लाइनों के ऊपर रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य के भाग के रूप में उपरिगामी पुल नहीं बना रही, बल्कि शायद विजयवाड़ा नगर सीमा के अन्दर मौजूद समपारों के स्थान पर उपरिगामी पुल बना रही है । परन्तु इन उपरिगामी पुलों के निर्माण स्थल और दिक विन्यास इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है ।

अल्लेपी और पणजी में जहाँज निर्माण की सुविधाएं

1409. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 26 अगस्त, 1974 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव तथा अल्लेपी और पणजी में जहाज निर्माण की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

अल्लेपी में नदी जलयान के लिये निर्माण सुविधाओं के संबंध में केरल सकार के कुछ विषयों पर अभी भी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । बेतिम तथा पणजी में समुद्री कार्यशाला के विस्तार के लिये गोआ, दमन तथा दीव सरकार से अभी तक कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

कृषि कार्यों में डी० डी० टी० का प्रयोग

1410. **श्री एम० एस० पुरती : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० टी० के उपलब्ध न होने के कारण देश के बड़े भागों में मलेरिया पुनः फैल गया है परन्तु फिर भी डी० डी० टी० का 50 प्रतिशत कोटा कृषि कार्यों में प्रयोग हेतु नियत किया गया है ;

(ख) क्या किसान डी० डी० टी० का प्रयोग फसल के संरक्षण तथा अनाज के संग्रहण कार्य में अंधाधुंध ढंग से कर रहे हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में अनुपयोगी कीटाणु नाशक औषधियों तथा रसायनों का जमाव रोकने के लिये क्या सरकार एक पेस्टीसाईड्स एण्ड इन्सैक्टीसाइड्स बोर्ड की स्थापना करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) यद्यपि मलेरिया का प्रकोप देश के कुछ भागों में बढ़ा है तथापि इसका कारण एक मात्र डी० डी० टी० का उपलब्ध होना नहीं है । मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये जितनी डी० डी० टी० की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कुछ तो देश में ही तैयार की जा रही है और कुछ डी० डी० टी० बाहर से भी आयात की जाती है ।

(ख) और (ग) कीटनाशक अधिनियम 1968 के अधीन एक केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड पहले ही खोला जा चुका है । इस बोर्ड ने एजेंसियां खोल दी हैं और देश में कीटनाशक दवाओं के निर्माण बिक्री और उपयोग की संवीक्षा के लिये प्रतिमान निधारित कर दिये हैं । इसमें पौधों की रक्षा और अनाज के भंडार रखना भी शामिल हैं । कीटनाशक दवाओं के उपयोग के सभी पहलुओं पर जिनमें उनका जहरीला प्रभाव भी शामिल है, यह बोर्ड निरन्तर नजर रखे हुए हैं ।

ईरान और जापान द्वारा भारत से एल्यूमीना का आयात

1411. श्री धामनकर : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और जापान ने एल्यूमीना का आयात करने में रुचि दिखाई है तथा उन्होंने भारत में एल्यूमीना कारखानों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों द्वारा की गई पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह मामला किस चरण पर विचाराधीन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) से (ग) ईरान द्वारा भारत से एल्यूमीना आयात की रुचि दिखाने के फलस्वरूप, गुजरात में कच्छ के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित 3 लाख टन की वार्षिक क्षमता का एक एल्यूमीना संयंत्र लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रस्तावित एल्यूमीना संयंत्र ईरान में लगाए जाने वाले प्रस्तावित एल्यूमीना प्रद्रावक की जरूरतों को पूरा करेगा और बदले में वहां से अपनी जरूरतों की पूर्ति करेगा । इस समूची परियोजना के लिये ईरान से आसाम किश्तों पर ऋण मिलने की आशा है । इस परियोजना के बारे में अन्य विवरण ईरानी अधिकारियों से परामर्श के बाद तय किये जायेंगे ।

एक जापानी फर्म ने भी भारत में एक निर्यात-प्रवण एल्यूमीना संयंत्र लगाने की इच्छा प्रकट की है, किन्तु इस संबंभ में कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं आया है ।

नेपाल स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी वक्तव्य

1412. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नेताओं के बारे में अपमानजनक बातों का उल्लेख करने वाले सिक्किम संबंधी दो प्रेस वक्तव्य जारी करने की चीनी दूतावास की कार्यवाही के विरुद्ध काठमण्डू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाली विदेश मंत्रालय से कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नेपाली सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। यह मामला नई दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत के साथ भी उठाया गया है ।

(ख) नेपाल सरकार ने कहा है कि वह इस मामले पर गौर कर रही है ।

देश में प्लास्टिक सर्जनों की कमी

1413. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक सर्जरी किये जाने वाले मामलों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए देश में प्लास्टिक सर्जनों की कमी की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) देश के बड़े बड़े अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं और कई मेडिकल कालेजों/एसोसिएटिड अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी के विभाग भी हैं जहां इसकी काफी सुविधायें हैं। इनके अलावा, देश में अनेक मेडिकल कालेज हैं जहां प्लास्टिक सर्जरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। वहां पर सर्जनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ट्रकों में 500 किलोमीटर तक माल के जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन द्वारा विरोध

1414. **सरदार महेन्द्रसिंह गिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रकों में 500 किलोमीटर तक माल ले जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में दिल्ली ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है,

(ख) क्या यह अधिकतम सीमा अन्य बातों के साथ साथ केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच हुए उस समझौते का उल्लंघन करती है जिसके अंतर्गत बिना किसी व्यवधान के सभी जोनल राज्यों से माल ले जाने के लिये परिवहन परमिट धारकों की सुविधा हेतु जोनल व्यवस्था लागू की गई है, और

(ग) यदि हां, तो क्या माल को शीघ्र तथा सुरक्षित रूप से ले जाने के हित में जबकि रेलगाड़ी पूरा माल ले जाने में समर्थ नहीं है, इस मामले पर पुनः विचार किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एन० त्रिवेदी) (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : अगस्त, 1974 में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने, सड़क परिवहन गाड़ियों द्वारा हाई स्पीड डीजल के उपयोग में बचत करने के लिये राज्य सरकारों संघ प्रशासनों को कुछ हिदायतें जारी की। इन में 500 किलोमीटर के आगे वाणिज्यिक मोटर गाड़ियां चलाने और नये परमिट देने पर प्रतिबन्ध भी शामिल थे। परिवहन परिपालकों/संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, सड़क परिवहन संबंधी हिदायतों पर फिर से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के अस्पतालों के लिए धन राशि का नियतन

1415. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में चल रहे विभिन्न अस्पतालों को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा अस्पताल-वार कितनी राशि का नियतन किया था ;

(ख) क्या यद्यपि औषधि, भोजन –आदि के मूल्य बढ़ गए हैं परन्तु फिर भी राशि के नियतन की आनुपातिक वृद्धि नहीं की गई है ;

(ग) इस अवधि के दौरान अस्पताल के वार्ड में एक रोगी की देखभाल में खर्चा कितना बढ़ गया है ;

(घ) क्या राशि के नियतन में पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण रोगों की देखभाल उपेक्षा पड़ती है ; और

(ङ) इन अस्पतालों के लिये वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) । (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) ठीक-ठीक कितनी वृद्धि हुई है यह मालूम नहीं है ।

(घ) रोगियों की देख-रेख में कोई कमी नहीं की जा रही है और जो कुछ साधन उपलब्ध हैं उन्हीं से रोगियों की अधिक से अधिक जितनी परिचर्या हो सकती है वह करने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ङ) अस्पतालों की अवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी ।

विवरण

अस्पताल का नाम	वजट व्यवस्था		
	1972-73 रु०	1973-74 रु०	1974-75 रु०
1. सफदरजंग अस्पताल	1,87,00,000	1,94,41,000	2,21,61,000
2. विलिंग्डन अस्पताल . .	1,00,00,000	99,53,000	1,16,46,000
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	2,81,84,000	2,83,90,000	2,70,15,000
विज्ञान . . .	99,69,000		
4. लेडी हार्डिंग मडिकल कालेज तथा अस्पताल . . .	99,69,000	1,04,70,000	1,00,73,000
5. कलावती सरन बच्चों का अस्पताल	20,58,000	21,46,000	21,50,000
6. लाला राम स्वरूप टी० बी० अस्पताल महरौली का रख-रखाव .	5,00,000	6,25,000	6,50,000

गोवा में बिजली की कटौती के कारण श्रम दिवसों की हानि

1416. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में वर्ष 1973-74 के दौरान बिजली की कटौती के कारण कितने श्रम दिवसों की हानि हुई है ; और

(ख) क्या राज्य में बिजली की कटौती के कारण लघु उद्योगों को बंद कर दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सिंगापुर शिपिंग फर्म द्वारा गुम हुए भारतीयों के लिए मुआवजा देना

1418. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री रामसहाय पाँडे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर शिपिंग फर्म न उस दुर्घटनाग्रस्त जहाज के गुम हुए भारतीयों के लिए मुआवजा दिया है जो 21 अगस्त, 1974 को डूब गया था, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना-कितना मुआवजा दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) ताईवान जलडमरू मध्य में 20-8-1974 को डूबने वाले जहाज एम० वी "तौलौस" के लापता भारतीय अधिकारियों के परिवारों को मुआवजा सीधे मैसर्स ट्रोखन शिपिंग लिमटेड, हांग कांग ने देना है, क्योंकि कर्मीदल सिंगापुर में विदेशी माल पर तैनात था। परन्तु हांग कांग में हमारे मिशन की मारफत कम्पनी के साथ मुवावजे के भुगतान के प्रश्न पर बातचीत की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लोहा तथा इस्पात की कमी के कारण उड़ीसा में लघु उद्योगों का प्रभावित होना

1419. श्री अनादिचरण दास :

श्री पी० गंगा देव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात की कमी के कारण उड़ीसा में लघु उद्योगों पर भारी प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग एककों के सामान्य उत्पादन आरंभ करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में बिजली की कटौती के कारण श्रम दिवसों की हानि

1420. श्री पी० गंगादेव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बिजली की कटौती के कारण 1973-74 और नवम्बर, 1974 तक कितने श्रम दिवसों की हानि हुई है ;

(ख) क्या बिजली की कटौती के कारण लघु उद्योगों को बंद कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : यह मामला आवश्यक रूप से राज्य कार्य क्षेत्र में आता है। उड़ीसा में बिजली की कटौती के कारण हानि हुए जन-दिवसों और बिजली की कटौती के कारण लघु उद्योगों की प्रतिवेदित बंदी के बारे में कोई सूचना श्रम मंत्रालय के पास नहीं है। उपलब्ध सूचनानुसार उड़ीसा को अक्तूबर के उत्तरार्ध से काफी मात्रा में बिजली की कटौती आरंभ करनी पड़ी, हालांकि ऊष्मीय उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 39% अधिक था। ऊर्जा मंत्रालय, देश में बिजली की कमी को दूर करने और बिजली की उपलब्धता को सुधारने के लिए परिकल्पित विभिन्न उपायों की कार्यान्विति की ध्यानपूर्वक देख-रेख कर रहा है।

कलकत्ता से कछार के बीच बंगला देश की नदियों से होकर नौवहन सुविधाओं का फिर से प्रारम्भ किया जाना

1421. **श्री नुरुल हुड** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से आसाम के कछार जिले तक बंगला देश की नदियों से होकर नौवहन सुविधाओं के फिर से प्रारंभ किये जाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) गुप्त मामले में सरकार के सामने क्या बाधाएं हैं, और

(घ) उक्त संपर्क कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस सेवा को चलाने के लिए एक जहाज कलकत्ता पत्तन पर रखा गया। संबंधित संस्थाओं को सूचित किया गया तथा स्थानीय पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए परन्तु कोई भी माल प्राप्त नहीं हुआ तथा 10 दिन की प्रतीक्षा के बाद जहाज को वहां से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। चैम्बर आफ कामर्स के साथ बात जारी है तथा निश्चित माल के उपलब्ध होने पर सेवा फिर से चला दी जाएगी।

गुजरात के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय राजपथ

1422. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था के अन्तर्गत गुजरात में कुल कितनी मील लंबे राष्ट्रीय राजपथों के लिए पहिले ही स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) कितने मील ऐसी सड़कों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है अथवा निर्माणाधीन हैं, और

(ग) कितनी राशि की मंजूरी दी गई है तथा कितनी राशि का पहिले ही उपयोग हो चुका है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1352 किलोमीटर है। इस पूरी लंबाई में सभी मौसमों में उपयोग में आने वाली ऐसी सड़कें हैं, जिन पर सभी पुल बने हुए हैं। परन्तु मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा और सशक्त किया जा रहा है तथा उन में सुधार किया जा रहा है। और कमजोर तथा तंग पुलों के स्थान पर नये पुल बनाए जा रहे हैं। चौथी योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्यों से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए गुजरात सरकार को कुल 1129.26 लाख रुपये की कुल रकम आवंटित की गई। इसी अवधि के दौरान इस आवंटन में से कुल 1128.08 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में भारत और गैबोन के बीच करार

1423. श्री वीरभद्र सिंह :
श्री बनमाली बाबू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में भारत और गैबोन के बीच एक करार पर अक्तूबर, 1974 में हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) गाबोन के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा उद्योग एवं सिविल संभरण मंत्री श्री टी०ए० पाई और गाबोन के अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्री श्री पाल मुकम्बी और दोनों के सलाहकारों के बीच बातचीत हुई। बातचीत की सहमत कारंवाई पर 15 अक्तूबर, 1974 को हस्ताक्षर किए गए और उसका आदान-प्रदान किया गया।

(ख) भारत ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है कि वह गाबोन सरकार द्वारा सीधे नियुक्त करने के लिए प्रोफेसरों, इंजीनियरों और डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। दोनों पक्षों ने साबुन, शीशा, प्लाईवुड, जूते, तंबाकू, सीमेंट, कपड़ा और कागज के उत्पादन के लिए संयुक्त कारखाने लगाने तथा तेलशोधन कारखाने, कच्चा लोहा खानों से निकालने, तेल और प्राकृतिक गैस पैदा करने, मत्स्यपालन और मशीनी औजार बनाने में सहयोग देने में रुचि दिखाई। भारत ने गाबोन को परामर्शक सेवाएं देने की पेशकश की है।

Rehabilitation of Refugees near Village Dularia in Madhya Pradesh

1424. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees hailing from Bengal who have been rehabilitated near Village Dularia of Itarsi Tehsil in Madhya Pradesh;

(b) the amounts spent on their rehabilitation during the last three years, year-wise; and

(c) the future plans in this respect and the amount involved in these plans?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) No displaced person has been resettled near Dularia Village in Itarsi Tehsil, Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

(c) We have no plans, at present, for resettling any migrants from erstwhile East Pakistan near Village Dularia.

देश में भुखमरी एवं कुपोषण के कारण मरने वालों की संख्या में वृद्धि

1425. श्री एम० एम० जोजफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार भारत में भुखमरी एवं कुपोषण की समस्याओं के उत्पन्न् होने की आशंका है,

(ख) क्या कार्डियो-वेस्कुलर कठिनाईयों, फेफड़े के कैन्सर और स्थूलता के कारण युवा वर्ग में मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अखबारों में छपे ऐसे समाचार देखने में आये हैं जिनमें यह कहा गया है कि जहां गरीब देशों में भुखमरी और अल्प पोषण की आशंका है वहां भरपूर देशों की समस्या यह है कि वहां चीजों की खपत कैसे की जाये;

(ख) सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी;

(ग) सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में लोगों को श्रव्य-दृश्य उपकरणों से जानकारी दी जा है। इलाज संबंधी सेवाएं संबंधित अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन करने वाले एकक

1426. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन करने वाले एकक कितने हैं;

(ख) इन एककों की उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य क्या है; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तुलना में उत्पादन लागत की प्रतिशतता कम है अथवा अधिक है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) संभवतः अभिप्राय सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से है। गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल दो कारखाने है, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० तथा इन्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि०। इंडियन आयरन एंड स्टील कं० का प्रबंध इस समय सरकार के हाथ में है। वर्तमान उत्पादन लागत की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। जहां तक विक्रेय मूल्यों का संबंध है विभिन्न श्रेणियों के मूल्य समय-समय पर संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किए जाते हैं तथा सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के सभी इस्पात कारखानों पर समान रूप से लागू होते हैं।

Memorandum Submitted by Anand Bazar Turhatoli Kardate Samiti, Denapur Cantonment

1427. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether "Anand Bazar-Turhatoli Kardate Samiti" (Anand Bazar-Turhatoli Tax-payers' Committee), Anand Bazar, Danpur Cantonment has submitted a memorandum to the Executive Officer of Denapur Cantonment Board on the 25th September last and has sent a copy thereof to him as well:

(b) if so, the outline thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) Yes, Sir.

(b) Anand Bazar-Turhatoli Kardate Samiti has urged the Cantonment Board to withdraw the preliminary tax assessment list prepared by that Board as it is alleged to be without any basis.

(c) Under the provision of the Cantonments act, 1924 the Cantonment Board, Denapur has prepared a new tax assessment list. It is obligatory on its part to do so at least once in three years and a new list is due during the financial year 1974-75. A public notice was given to this effect inviting objections from the general public. Certain objections, including the one from Anand Bazar-Turhatoli Kardate Samiti have been received. The objections received by the Board are being examined by Assessment Committee consisting of three elected and three official members constituted by the Board under the Cantonments Act, 1924. This is a matter which is entirely within the jurisdiction of the Cantonment Board.

Import of Steel

1429. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the names of countries from which steel was imported during the last three years, year-wise; and

(b) the value of foreign exchange paid or goods bartered away for these imports to each country in each of the three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) and (b) A statement showing country-wise value of import of Iron and Steel and Ferro Alloys during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is furnished below:—

Name of the country	Value of Imports (In rupees thousand)		
	1971-72	1972-73	1973-74
Belgium	9,63,26	8,46,67	10,46,51
Czechoslovakia	3,23,75	3,34,84	4,54,48
France	6,82,09	4,84,71	5,23,39
Germany FRP	20,68,38	25,99,60	34,56,85
Germany DRP	6,17,83	2,01,31	2,38,37
Japan	67,81,90	62,76,93	1,07,92,78
Poland	8,01,50	4,58,53	4,16,57
U.K.	64,41,63	52,60,30	28,56,25
U.S.A.	29,53,12	7,12,99	10,55,62
U.S.S.R.	7,08,39	8,25,17	9,41,99
Others	21,37,27	40,09,57	31,66,69
	2,44,79,12	2,20,16,64	2,49,49,50

पांचवी योजना की अवधि के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1430. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी मील है ?

(ख) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कर्नाटक में विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :(क) 1996 किलोमीटर।

	रुपये लाखों में
1973-74	308.00
1974-75	275.00

(ग) चूंकि राज्य में पांचवीं योजना अवधि में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से सभी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की ओर ध्यान दिया जाता रहेगा, अतः पांचवीं योजना के विभिन्न वर्षों में किये जाने वाले प्रत्येक कार्य का ठीक ब्यौरा देना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि नये कार्यों के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

बड़े शहरों में नकली दवाइयों का निर्माण तथा उनकी बिक्री

1431. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि बंबई, अहमदाबाद, दिल्ली तथा कलकत्ता जैसे शहर तथा गलत ब्रांड की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण के केन्द्र बन गये हैं जिनको कि समूचे देश में व्यापारियों को बहुत कम मूल्य पर बेचा जाता है और इस प्रकार से दो सौ करोड़ रुपये की वार्षिक बिक्री के कर की चोरी की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने एक सर्वेक्षण किया था और उसकी रिपोर्ट में इस संबंध में एक टिप्पणी की गई है।

(ख) और (ग) औषध नियंत्रक, भारत ने सभी राज्य औषध नियंत्रकों को लिखा है कि वे सौंदर्य प्रसाधन की नकली सामग्री के व्यापार के बारे में सतर्क रहें और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की थोक तथा परचून दुकानों पर निरन्तर छापे मारते रहें।

Manufacture of Atom Bomb by Pakistan

1432. **Shri Tarkeshwar Pandey :**
Shri Hari Singh :
Shri Samar Guha :
Shri S.C. Samanta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement of Pakistan's Prime Minister, Mr. Bhutto in which he has threatened USA that if arms and military hardware are not supplied to Pakistan, Pakistan will start manufacturing atom bomb;

(b) if so, what will be India's reaction to Pakistan being in a position to manufacture atom bomb; and

(c) the measures being taken by India for her security in the event of any future aggression and use of atomic weapons against her?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Government have no information that Pakistan has plans to manufacture an atom bomb ; the question of Government's reaction to such a possibility is therefore hypothetical. However, all related developments are kept under constant review. Government's policy with regard to the production of nuclear weapons has been explained on many occasions. The policy is to use nuclear energy for peaceful purposes only.

सीमा स्तम्भों के पुनर्निर्माण और उनकी मरम्मत के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता

1433. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री पी० वेंकटासुब्बैया :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री बनमाली पटनायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाले स्तम्भों का पुनर्निर्माण करने और उनको मरम्मत करने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये स्तम्भ शिमला समझौते के बाद अभी हाल में निर्धारित की गई सीमा पर बनाए जायेंगे या दोनों के बीच पुरानी सीमा पर निर्मित किये जायेंगे;

(ग) क्या यह सभी सीमाओं के बारे में लागू होगा; और

(घ) क्या सीमा स्तम्भ स्थापित करने का काम राज्य सरकारों से केन्द्रीय मंत्रालय ने हाथ में ले लिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्यों से लगी हुई भारत और पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ लगे स्तम्भों के स्थान पर नए स्तम्भ लगाने, उनकी मरम्त करने और उनका रखरखाव करने के लिएं सहमति हुई है। शिमला समझौते द्वारा किसी प्रकार से, भारत और पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ है, और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के इन सैक्टरों के साथ-साथ सीमा स्तम्भों से संबंधित कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

(घ) भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन केन्द्रीय सरकार का दायित्व है और इसलिये इस कार्य को राज्य सरकार से केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा ले लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख उद्योगों में हड़तालों पर रोक

1434. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग में हड़तालों पर चार वर्षों के लिए रोक लगाने पर सहमति हुई है ;

(ख) क्या देश के प्रमुख उद्योगों में हड़तालों पर रोक लगाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं कि 28 अक्टूबर, 1974 को लखनऊ में हुए चीनी उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय सम्मेलन में चार वर्षों के लिए हड़तालों के अधिस्थगन के बारे में एक समझौता हुआ था।

(ख) और (घ) जबकि हड़तालों पर कानूनी रोक लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार देश में काम रोको को टालने के लगी स्वैच्छिक प्रयासों का स्वागत करेगी तथा उनको प्रोत्साहन देगी।

भारत द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी के निर्यात में बाधा डालने का अमरीकी प्रयास

1435. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1974 को समाचारपत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अन्य देशों को परमाणु-जानकारी देने के लिए भारत द्वारा सहमत न होने की शर्त पर पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई आधारित होगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) अखबार की यह खबर मात्र अटकलबाजी और निराधार मालूम होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्बेलन मिलों का संघ

1436. **श्री टुना उरांव :**
श्री एम० एस० पुरती :
श्री एन० ई० होरो :
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सब पुनर्बेलन मिलें एक संघ के अधीन संगठित नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने संघ पुनर्बेलन मिलों की समस्यायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ;

(ग) प्रत्येक संघ से सम्बद्ध मिलों के राज्यवार नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार उन संघों से समान रूप से व्यवहार नहीं करती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

परिवार नियोजन

1437. श्री अर्जुन सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परिवार नियोजन नगरों में सम्भ्रांत वर्गों तक ही सीमित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Legislation for Punishment to Food Inspectors/Officers

1438. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government will enact a legislation under which Food Inspectors and other concerned officers are also awarded severe punishment in case they fail to perform their duties properly; and

(b) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) and (b) Section 10(9) of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 already provides that any Food Inspector exercising powers under this Act or under the Rules made thereunder who:—

(a) veratiously and without any reasonable grounds of suspicion seizes any article of food ; or

(b) commits any other act to the injury of any person without having reason to believe that such act is necessary for the execution of his duty; shall be guilty of an offence under the Act and shall be punishable for such offence with fine which may extend to five hundred rupees.

In addition, the food Inspectors and other concerned officers are governed by the general administrative rules of the administration to which they belong. A Bill to make certain amendments in the Prevention of Food Adulteration Act is already receiving the consideration of the 'Joint Committee of Parliament'.

Production of Steel in Hindustan Steel Limited

1439. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the production of Hindustan Steel Ltd. which in particular inciude Durgapur, Rourkela and Bhilai Steel Plants in 1972-73 and 1973-74;

(b) the percentage by which their production fell short of their installed capacity and the percentage of their production capacity that remained idle; and

(c) the amount of loss suffered and profit earned by these plants during the said years?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhodev Prasad) : (a) and (b) : The installed capacity, production in 1972-73 and 1973-74, percentage of capacity utilised and percentage of unutilised capacity in terms of ingot steel and saleable steel in respect of the Bhilai, Durgapur and Rourkala Steel Plants are indicated in the Annexure; [Placed in Library *See* No. L. T. 8531/74]

(c) The working results of these plants during 1972-73 and 1973-74 are indicated below:—

Plant	(Profit +) (Loss —) (Rs. in crores) 1972-73	1973-74
Bhilai Steel Plant .	(+) 6.00	(+)17.78
Durgapur Steel Plant	(—)25.72	(—)18.44
Rourkela Steel Plant	(+) 1.19	(+) 9.74

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

1440. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री 1 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उत्पादन कब तक आरंभ होने की संभावना है ; और

(ख) इससे देश की आवश्यकता कहां तक पूरी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) परियोजना प्रतिवेदन में एल०डी० कन्वर्टरों की स्थापना, कन्टीन्यूअस कास्टिंग की सुविधाओं और एक प्लेट मिल की परिकल्पना की गई है। आशा है कि विस्तार योजना की इकाइयां पांचवीं योजना के अन्त तक चालू हो जाएंगी ।

(ख) विस्तार कार्य पूरा होने पर बिक्री के लिए 250,000 टन बिलेट तथा 900,000 टन प्लेटों का उत्पादन होने लगेगा ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्त के अधीन 'प्रोसिक्यूशनस सुपरवाइजर' के पद को समाप्त करना

1441. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्त द्वारा 1960 के संकल्प संख्या 542 के अधीन बनाए गए 'प्रोसिक्यूशन सुपरवाइजर' के पद को 6 अगस्त, 1974 को समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में रहे प्रोसिक्यूशन सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या 1969 में मजूरी बोर्ड की प्रश्नावली के उत्तर में कलकत्ता पत्तन आयुक्त ने यह उल्लेख किया था कि 'प्रोसिक्यूशन सुपरवाइजर' के पद में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त पद पर संतोषपूर्ण ढंग से कार्य हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पद को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) प्रोसिक्यूशन सुपरवाइसर का पद 1-8-1974 से समाप्त कर दिया गया।

(ख) श्री सुनील कुमार घोष केवल एक ही पदधारी थे, जो प्रोसिक्यूशन सुपरवाइजर के पद पर रहे।

(ग) जी नहीं। केवल यह कहा गया कि प्रोन्नति की वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

(घ) चूंकि प्रोसिक्यूशन सुपरवाइजर का एक अकेला पद था जिसमें किसी सामान्य प्रोन्नति के अवसर नहीं थे, यह निर्णय किया गया कि उस पद को समाप्त करके उसके समान वेतन मान में एक वाणिज्यिक सुपरवाइजर के ऐसे अतिरिक्त पद का सृजन किया जाए जिसमें प्रोन्नति के अवसर हैं। इसके अतिरिक्त, इससे यह आशय भी था कि कार्मिकों की नियुक्ति के मामले में हेरफेर की गुंजाइश हो सके।

शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु बम का विस्फोट करने के बारे में भारत का दृष्टिकोण

1442. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु बम का विस्फोट करने संबंधी हमारे दृष्टिकोण की अब भी कौन-कौन से राष्ट्र आलोचना कर रहे हैं ; और

(ख) इस प्रश्न पर कौन-कौन से राष्ट्र निष्पक्ष हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत ने 18 मई, 1974 को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग के तौर पर एक भूमिगत परमाणु विस्फोट किया था।

शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों के प्रश्न पर, परमाणु हथियारों का विस्तार-प्रसार न करने से संबद्ध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में से कुछ की स्थिति तो भारत से भिन्न है और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ दूसरे देशों ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है।

संविद् श्रम प्रणाली को समाप्त करना

1443. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविद् श्रम प्रणाली को समाप्त करने की सभी क्षेत्रों से प्राप्त मांग पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां। जब कभी विभिन्न उद्योगों में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन के लिए मांगें प्राप्त होती हैं, इन्हें केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को, प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर, उन की सुविचारित राय देने के लिए भेजा जाता है।

(ख) अब तक सरकार ने कोयला खनन उद्योग में, गैर-कोयला खानों में कार्य के कुछ वर्गों में, और भारतीय रेलवे के लोको शेडों में कोयला और राख उठाने संबंधी काम में ठेका श्रम पद्धति की उन्मू-

खन संबंधी मांगें केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को विचार के लिए भेजी हैं। बोर्ड ने कोयला खनन उद्योग ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन की सिफारिश कर दी है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य दो उद्योगों में ठेका श्रम की उन्मूलन संबंधी मांगें, बोर्ड के विचाराधीन हैं।

U.S.A. Names Soviet 'Bases' in Indian Ocean

1444. Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Madhavrao Scindia :
Shri Ishwar Chaudhury :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press news on the 5th September, 1974 that according to U. S. President, Russian Navy is making use of three major bases in Indian Ocean namely Berbera in Somalia, Umm Qasr in Iraq and Aden in South Yemen;

(b) the facts in this regard and Government's reaction thereto; and

(c) whether there are similar reports about certain other countries also and if so, the names thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir.

(b) As far as the Government of India are aware, there are no Soviet military bases in the Indian Ocean.

(c) Similar press reports have appeared from time to time about foreign bases of the USA, France and the UK.

भारत-ईरान आर्थिक आयोग के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

1445. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में स्थापित भारत-ईरान आर्थिक आयोग के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूयार्क में महारानी गायत्री देवी के जेवरातों का लूटा जाना

1446. **श्री एच० एम० मुकर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दियाला गया है कि हाल ही में श्रीमती गायत्री देवी, संसद सदस्या से, जब वह वाल्डोरफ्-एस्टोन में एक नृत्य से अपने निवास को वापस आ रही थी, उनके जेवरात लूट लिये गये ;

(ख) क्या उन्होंने अमरीका में भारतीय मिशन को एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने लूटे गये जेवरातों का व्यौरा व उनका मूल्य बताया था; उस घटना के समय उनके साथ और कौन-कौन व्यक्ति थे और उक्त नृत्य गृह में उन्हें आमंत्रित करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) यदि हां, तो वक्तव्य का व्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उनकी अमरीकी यात्रा के उद्देश्य की सरकार को जानकारी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी, हां । अख़बारों में इस घटना की ख़बरें सरकार के देखने में आई हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वे निजी यात्रा पर आई थीं ।

बिजली संकट के कारण इस्पात-उत्पादन में हुई कमी

1447. **श्री रोबिन सेन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस्पात उद्योग में उत्पादन में हुई कमी अप्रैल, 1973 से चल रहे गंभीर बिजली-संकट के कारण हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) अप्रैल, 1973 और अगस्त, 1974 की अवधि में इस क्षेत्र में उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1973-74 के दौरान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के इस्पात के उत्पादन में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था :

(1) इस वर्ष के दौरान सामान्यतः और अप्रैल से नवम्बर के मध्य तक विशेषतः बिजली की सप्लाई में कटौती तथा बाधाएं जिसमें भिलाई कारखाने को छोड़कर सभी कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा :

(2) कोयले की उपलब्धि पर्याप्त न होना—इसका कारण भी इस अवधि में बिजली की सप्लाई में कटौती तथा बाधाएं थीं जिससे झरिया के समस्त कोयला क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरूप कोयला शोधनशालाओं तथा कोयला खानों में कम काम हुआ ।

(3) अगस्त, 1973 में और बाद में नवम्बर, 1973 के अन्त से लेकर रेलवे विशेषतः दक्षिण-पूर्वी और पूर्व रेलवे में बीचबीच में धीमी गति से काम होना तथा औद्योगिक अशांति जिसे कारखानों को कोयला और कच्चा माल पहुंचाने तथा कारखानों से तैयार माल ले जाने के काम पर प्रभाव पड़ा और कच्चे माल की निम्नतम आवक को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में भारी कटौती करनी आवश्यक हो गई।

चालू वित्त वर्ष में, प्रथमत: रेल कर्मचारियों की हड़ताल की आशंका और बाद में वास्तव में हड़ताल की आशंका और बाद में वास्तव में हड़तालें हो जाने तथा इस के दुष्परिणामों के कारण कच्चे माल के स्टाक के संरक्षण के विचार से अप्रैल-जून, 1974 के महीनों में इन कारखानों के उत्पादन का स्तर निम्न रखा गया। चालू वर्ष में भी बिजली तथा कोयले की सप्लाई में कुछ कठिनाइयों के कारण इस्पात के उत्पादन पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

(ख) जहां तक बिजली की कमी का सम्बन्ध है बिजली की अधिकतम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ निकट तथा सतत सम्पर्क रखा जा रहा है। इस्पात कारखानों की बिजली पदा करने की रक्षित इकाइयों से भी अधिक बिजली पैदा की गई है। इन कारखानों की बिजली पैदा करने की क्षमता बढ़ाने के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि बिजली की कमी और/अथवा बिजली की कमी के कारण हुई कोयले की कमी के कारण वर्ष 1973-74 के दौरान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के विक्रय इस्पात के उत्पादन में 4,13,000 टन से अधिक की हानि हुई है। अनुमान है कि इस कारण से अप्रैल-अगस्त, 1974 की अवधि में विक्रेय इस्पात की 76,000 टन से कुछ अधिक की हानि हुई है।

कलकत्ता बन्दरगाह में रंगून बन्दरगाह के कर्मचारी

1448. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कलकत्ता पत्तन में रंगून पत्तन के कितने भूतपूर्व कर्मचारियों को खपाया गया है;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन में रोजगार देने के मामले में उनके पुत्रों तथा आश्रितों के प्रति भेदभाव बरता जाता है; और

(ग) उक्त कर्मचारियों के कितने पुत्रों/आश्रितों को कलकत्ता पत्तन आयुक्त के अधीन गत तीन वर्ष में रोजगार दिया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कलकत्ता पत्तन में रखे गये रंगून के भूतपूर्व कर्मचारियों की संख्या इस समय 242 है।

(ख) श्रेणी 3 तथा 4 के पदों के लिए सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय से की जाती है। उन पत्तन कर्मचारियों, जो अपने सेवा काल में मर जाते हैं अथवा जो अपंग हो जाते हैं, के आश्रितों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना होता। उनके मामलों पर उपयुक्त रिक्तियों के लिए, जिन के लिए उनके पास अपेक्षित अर्हताएं हों, रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये अभ्यार्थियों के साथ विचार किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, नौकरी के मामलों में रंगून पत्तन के भूतपूर्व कर्मचारियों के पुत्रों एवं आश्रितों के साथ भेदभाव करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रंगून पत्तन के भूतपूर्व कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों की नौकरियों के मामले में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते।

चिकित्सा तथा प्रशासनिक सेवाओं में वेतन-मानों तथा पदों में समानता

1449. **डा० सरदीश राय** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा तथा प्रशासनिक सेवाओं में सभी स्त ों पर वेतनमानों तथा पदों में कोई समानता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य तथा कारण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, गैर तकनीकी क्लास-I सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के वेतन मानों और उनके पदों का एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8532/74]

इस संबंध में वेतन आयोग की जो सिफारिशें थीं और केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के सर्विस एसोसिएशन से उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा के बराबर माने जाने के बारे में जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे सरकार ने उन पर पूरा पूरा विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनेक कारणों से खासकर वर्तमान आर्थिक स्थिति और विभिन्न सेवाओं पर इसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए यह संभव नहीं है कि कुछ छोटे-मोटे समायोजकों के अलावा आयोग की सिफारिशों में कोई भारी परिवर्तन किए जाए।

नेपाल में भारतीय इंजीनियरों का घेराव

1450. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :
श्री नरेन्द्रकुमार सांघी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाली श्रमिकों द्वारा भारतीय इंजीनियरों का घेराव के बारे में 29 अक्तूबर, 1974 को छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारतीय महिलाओं पर भी हमला किया गया और अब वे निर्बाध से नहीं घूम सकतीं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने नेपाली सरकार से इस प्रश्न पर बातचीत की है और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : जी हां।

(ख) जी नहीं, हमें किसी महिला पर आक्रमण होने की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय राजदूतावास ने इस मामले को नेपाल सरकार के साथ तत्परता से उठाया। नेपाल सरकार ने परियोजना स्थल पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। । काम ठीक चल रहा है और स्थिति अब सामान्य है।

श्री लंका के वायु सेनाध्यक्ष का दौरा

1451. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका के वायु सेनाध्यक्ष ने अक्तूबर, 1974 में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन-किन विषयों पर वार्ता हुई ; और

(ग) उक्त दौरे का उद्देश्य क्या था तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) जी हां श्रीमन् । यह एक सद्भाव दौरा था जिसके दौरान दोनों देशों की वायु सेनाओं के आपसी हित की बातों पर वार्ता हुई ।

क्षय रोग विरोधी अभियान

1452. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षय-रोग निरोधी अभियान को व्यापक बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) क्षय रोग के मामलों को ढूंढ निकालने, उन का इलाज करने और बी०सी०जी० का टीका लगाने के कार्य को पूरा करने के लिए पांचवीं योजना अवधि में और भी 75 जिला क्षयरोग केन्द्रों को चलाने का विचार है । इन प्रस्तावित क्षय रोग केन्द्रों के खुल जाने से देश के सभी जिलों में ये सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी । 3500 अतिरिक्त क्षय रोग पलंगों की संख्या बढ़ाने का भी विचार है । इन दोनों योजनाओं को राज्य योजना क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है जिन पर लगभग 931.60 लाख रुपये का खर्च आयेगा ।

जिला क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत घरों पर जा कर इलाज करने वाली योजना का विस्तार करने का विचार है । जिस के लिए इस योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा चलाये जा रहे क्षय रोग केन्द्रों को लगभग 5 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत पर क्षयरोग निरोधी दवाइयां सप्लाई करेगी । स्वैच्छिक निकायों द्वारा चलाये जाने वाले क्षय रोग केन्द्रों को 1 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की क्षयरोग निरोधी दवाईयां सप्लाई करने का भी विचार है । 150 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बी०सी०जी० वैक्सीन की सप्लाई भी जारी रहेगी ।

प्रमुख सड़क परिवहन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

1453. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमुख सड़क परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) संविधान के अधीन सड़क परिवहन के मामलों में कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इसलिए यह निर्णय राज्य सरकार ने करना है कि कौन से मार्ग अथवा किस सड़क परिवहन कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

कोचीन बंदरगाह का विकास

1454. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :
श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोचीन बंदरगाह के विकास के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितना खर्च आएगा, और

(ग) इसके विस्तार के बाद उक्त पत्तन पर कितने जहाज ठहराने की क्षमता होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :(क) तथा (ख) पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के लिए पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तावित मुख्य योजनाओं और प्रस्तावित परिव्यय की सूची संलग्न है ।

(ग) जब तक कि योजनाएं स्वीकृत तथा चालू न हो जाएं यह बताना समय पूर्व होगा कि पत्तन पर कितनी क्षमता बढ़ा दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची	प्रस्तावित पांचवीं योजना परिव्यय
1	2	3
		(रुपये लाखों में)
1.	चार वाफ क्रेनों की खरीद	9.200
2.	हौपर ग्रेब निकर्षक की खरीद	41.840
3.	200 टन स्वनोदित बजरा	18.260
4.	दो उच्च शक्ति वाली कर्ष नाव	54.000
5.	एस डी लार्ड विलिंगडन के स्थान पर हापर चूषण निकर्षक	64.570

1	2	3
6.	सुपर टैंकर बर्थ का निर्माण	2506.970
7.	कन्टेनर बर्थ	100.000
8.	रेल सुविधाओं की व्यवस्था	15.500
9.	ले विलिंगडन के बदले निकर्षक की खरीद	370.000
10.	पत्तन कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था	40.000
11.	राष्ट्रीय राजमार्गों के अंशदान सहित सड़कों का सुधार तथा अन्य सुख सुविधाएं	10.000
12.	ओवर फ्लो शेडों का पुनर्निर्माण	30.000
13.	जल सर्वेक्षण विभाग के लिए वाटर करेंट मीटर तथा इको साउन्डिंग मशीन की प्राप्ति	15.000
14.	पावर हाउस तथा जनरेटिंग सेट में सुधार	11.000
15.	मौजूदा कार्यशाला में अतिरिक्त मशीनों तथा अन्य सुधार	25.000
16.	मेटाचेरी घाट पर मौजूदा क्रेनों के स्थान पर 6 घाट क्रेनें	21.000
17.	एफ०ए०सी०टी० के लिए कच्चे माल की धारा उठाई हेतु उर्वरक घाट	275.000
18.	उर्वरक कच्चे माल की धारा उठाई के लिए क्यू 10 क्षेत्र में अंतिम व्यवस्था	28.000
19.	पट्टे वाले क्षेत्र में गोदाम का निर्माण (बी ओ सी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस तथा बोण्डेड वेयर हाउस)	20.000
20.	दक्षिणी कोयला घाट का नवीकरण	25.000
21.	नई सूखी गोदी	600.000
22.	प्रशासनिक भवन	13.000
23.	पांचवीं तथा बाद की योजनावधि में बढ़ती हुई निकर्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त निकर्षक	40.000
24.	टैंकर घाट पर टर्निंग बेसिन के लिए निकर्षण आवश्यकताएं	37.000
25.	एर्नाकुलम मटनचेरी जलमार्गों में सुधार	25.000

देश में क्षयरोगियों की संख्या

1455. श्री धीरेन दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण भारत में क्षयरोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो देश में क्षयरोगियों की औसत संख्या कितनी है ; और

(ग) कितने रोगियों को इलाज की सुविधा प्राप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां। नमूने के तौर पर कुछ जनसंख्या को लेकर देश के सात क्षेत्रों में 1955 से 1958 तक एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) इस सर्वेक्षण से पता चला है कि विभिन्न क्षेत्रों में शहरों, कस्बों और गांवों में प्रति हजार 13 से 25 तक व्यक्ति स्पष्ट तथा अस्पष्ट रूप से क्षयरोग से पीड़ित थे। इन्हीं क्षेत्रों में ऐसे क्षय रोगियों की संख्या जिनमें इस रोग के जीवाणु मौजूद थे (इनके थूक में क्षयरोग के जीवाणु निकालकर) प्रति हजार 2 से 8 तक पायी गई।

(ग) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष दस लाख क्षय रोगियों का उपचार किया जाता है।

एयर इण्डिया की हड़ताल में हस्तक्षेप

1456. **श्री सरजू पान्डे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एयर इंडिया के चालकों की हड़ताल का परस्पर बातचीत पर आधारित समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय राजनयिकों द्वारा हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

1457. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी देशों में स्थित दूतावास, मिशन तथा अन्य राजनयिक कार्यालयों में राष्ट्रभाषा में लिखापढ़ी करने का पर्याप्त प्रबंध है जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं ;

(ख) क्या दूतावासों, मिशनों आदि के मुखिया सहित सभी कर्मचारीगण हिन्दी का कम से कम काम चलाऊ ज्ञान रखते हैं या नियुक्ति के बाद प्राप्त कर लेते हैं ;

(ग) हमारे राजनयिक किन-किन देशों के साथ राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में संपर्क रखते हैं और राजभाषा का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस दिशा में कब तक संतोषजनक प्रगति हो जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। भारत के विदेश स्थित मिशनों में हिन्दी पत्राचार के लिये आवश्यक प्रबंध मौजूद है।

(ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों में तैनात सभी कार्मिकों से (जिसमें मिशन प्रमुख भी शामिल हैं) यह उम्मीद की जाती है कि उसे कामकाज के लायक हिन्दी का ज्ञान हो और इसका सुनिश्चय करने के लिये, सीधी भरती के भारतीय विदेश सेवा के सभी अधिकारियों को उनके स्थायीकरण से पहले हिन्दी की परीक्षा पास करनी होती है।

(ग) और (घ) चूंकि अधिकांश विदेशी सरकारें हमारे साथ पत्र-व्यवहार में आमतौर से अंग्रेजी का ही प्रयोग करती हैं और भारत सरकार के काम में भी अभी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिये हमारे मिशनों में भी इसका प्रयोग होता है। फिर भी, हिन्दी के प्रयोग को क्रमशः बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु इस बात की समयावधि निश्चित कर पाना संभव नहीं है कि सारा कार्य हिन्दी में कब तक होने लगेगा।

लोहे तथा इस्पात का दुरुपयोग करने वाले औद्योगिक एककों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करना

1458. **श्री एम० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्रोतों से सप्लाई किये गये लौहे और इस्पात का कथित दुरुपयोग करने वाले विभिन्न राज्यों के अनेक औद्योगिक एककों का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए इसकी सभी किस्मों का उत्पादन

1459. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी किस्म के इस्पात की मांग को पूरा करने के लिये इसका उत्पादन बढ़ाने में 'इंडियन स्टील' ने सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक इस्पात संयंत्र का वर्तमान उत्पादन कितना है तथा संयंत्रों एवं स्टाकयार्डों के पास कितना स्टाक पड़ा है ; और

(ग) क्या उत्पादन में वृद्धि होने से इस्पात की चोर बाजार में बिक्री किसी न किसी रूप में रुक गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस्पात की चोर बाजार में बिक्री रोकने के लिये तथा आम उपभोक्ता को इस्पात की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस वर्ष के पहले 6 महीनों में गत वर्ष की तदनुरूपि अवधि के मुकाबिले में विक्रय इस्पात की सभी श्रेणियों के उत्पादन में सामान्य वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) अप्रैल-अक्तूबर, 1974 की अवधि का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
		हजार टन
1. भिलाई इस्पात कारखाना . . .	1075	942
2. दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . .	452	316
3. राउरकेला इस्पात कारखाना . . .	568	431
4. बोकारो इस्पात कारखाना . . .	77	—
5. टाटा आयरन एंड स्टील कं०	961	794
6. इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि० . . .	277	212
कुल	3410	2695

1 नवम्बर, 1974 को स्टाकयार्डों में लगभग 2 लाख टन और इस्पात कारखानों में लगभग 3.16 लाख टन का स्टाक था । पिछले कुछ सप्ताहों में बहुत-सी श्रेणियों के बाजार भाव में कमी हुई है । इस्पात के वितरण की व्यवस्था में भी समय-समय पर परिवर्तन किये जाते हैं ।

बेरोजगार जवानों के लिए प्रशिक्षण संस्था

1460. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन जवानों के लिये जो सेवा से मुक्त होने के पश्चात् बेरोजगार हैं, प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर मंत्रालय विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित योजना का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) उन जवानों के लिये प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जो सेना से विमुक्ति के पश्चात् बेरोजगार हों । तथापि, सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि असैनिक जीवन में रोजगार पाने के मामले में बहुत से जवानों को सहायता की आवश्यकता होती है । अतः असैनिक जीवन में रोजगार पाने में जवानों को सहायता देने के लिये उन्हें इलैक्ट्रानिक्स, मोटर मैकेनिक, शीप मेटल वर्कर, वैल्डर, पेंटर आदि जैसे तकनीकी व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिये दो रेजीमेंटल केन्द्रों में प्रयोगात्मक आधार पर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । यह प्रशिक्षण जवान की सेवा के अन्तिम वर्ष के दौरान दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है । यह योजना अभी सरकार के विचाराधीन है और अनुमोदन के पश्चात् इसके कार्यान्वियन में दो वर्ष लग सकते हैं ।

अर्थव्यवस्था के गैर-अल्पव्ययी क्षेत्र के लिए श्रम विधान

1461. **श्री बी० बी० नायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थ व्यवस्था के गैर-अल्पव्यायी क्षेत्र स्पर्धी में भी श्रम विधान लागू करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों की अनुमति संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) श्रम विधान समान रूप से अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र या चाहे अल्पव्यायी क्षेत्र या गैर अल्पव्यायी क्षेत्र ।

(ख) अर्थव्यवस्था के 'संगठित क्षेत्र' (अर्थात् 10 या) उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गैर कृषि प्रतिष्ठानों और सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में दिसम्बर, 1973 के अन्त में काम कर रहे श्रमिकों की प्राक्कलित कुल संख्या 1 करोड़ 91 लाख 20 हजार थीं ।

भाड़े के मूल्य में वृद्धि

1462. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटेन-पाकिस्तान बंगलादेश–श्रीलंका सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा है कि आगामी वर्षों में भाड़े के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) भारत-पाकिस्तान बंगलादेश–यू० के०/कन्टीनेंटल कान्फ्रेंस ने पोत वणिक परिषदों के साथ विचार विमर्श करके, 1-1-1975 से पश्चिम को जाने वाले माल पर $12\frac{1}{2}\%$ की भाड़ा वृद्धि की अभी हाल ही में घोषणा की है । कान्फ्रेंस ने यह भी घोषणा की है कि वे किसी भी ऐसे परिवर्तन के संबंध में, पोत वणिक परिषदों से संपर्क बनाये रखेंगे, जिससे भाड़ा दरों में चढ़ाव या उतार के स्तर अथवा व्यवस्थित सेवा प्रतिरूप पर असर पड़े ।

(ख) "डिसकशन फारमूला" के अन्तर्गत, कान्फ्रेंस किसी भी वृद्धि को लागू करने के पूर्व संबंधित पोत वणिक परिषदों से किसी भी प्रस्तावित भाड़ा वृद्धि के बारे में विचार विमर्श करता है । वर्तमान मामले में इस क्रियाविधि का अनुकरण किया गया है ।

Arrests for Adulteration of Drugs

1463. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the number of persons arrested in the country during the last three months for adulterating drugs and the names of the drugs adulterated or found to be spurious; and

(b) the action being taken by Government to check such heinous crimes?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) A note setting out the steps that have been taken to combat manufacture and sale of sub-standard and spurious drugs is enclosed. **[Placed in Library See No. L. T. 8533/74]**

गुजरात राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एम०बी०बी०एस० डाक्टरों की प्रतिशतता

1464. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य सरकार की सेवा में एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने डाक्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डाक्टरों का आरक्षित कोटा अभी तक नहीं भरा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात राज्य में एम० बी० बी० एस० डाक्टरों के आरक्षित कोटे में कितने पद रिक्त हैं तथा इनको शीघ्र भरने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का उत्पादन

1465. **श्री गजाधर माझी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में कोई कमी हुई है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम को इस संयंत्र में बिजली की सप्लाई करने के लिये कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां, अनुमान है 1-4-1972 से 31-8-1974 की अवधि में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में हुई कमी से राउरकेला इस्पात कारखाने की बिक्री की आवर्ती में 20 करोड़ रुपये की कमी हुई ।

(ख) और (ग) जी, हां । अक्तूबर के अन्त में दामोदर घाटी निगम राउरकेला को बिहार राज्य बिजली बोर्ड तथा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की ट्रांसमिशन लाइनों से बिजली की सप्लाई कर रही है। दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली के उत्पादन तथा 'पीक लोड' की मांग पर निर्भर करेगी ।

पश्चिम बंगाल में विभिन्न रोगों से हुई मौतें

1466. **श्री समर गुहा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाल ही में अकाल और अर्द्ध-अकाल पीड़ित लोगों द्वारा मिलावटी भोजन खाने से हैजा, आन्त्रशोप और आंतों के अन्य रोगों से हजारों जानें गईं ;

(ख) क्या इन रोगों से गंभीर अकाल से पीड़ित क्षेत्रों में हाल ही में लगभग 35 हजार लोग प्रभावित हुए ;

(ग) क्या अक्तूबर, 1974 के अन्तिम सप्ताह तक पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय सब-डिवीजन में इन रोगों से लगभग 4 हजार लोग हताहत हुए जिनमें से लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई ;

(घ) यदि हां, तो गत नवम्बर तक अकाल पीड़ित क्षेत्रों में इन रोगों की खतरनाक स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये या उठायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Uniform Marriage Code for all Communities

1467. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Family Planning programme has not succeeded;

(b) if so, whether the marriage code is not uniform for various communities in the country;

(c) whether the people of some communities go in for sterilization under the family planning programme, while others do not; and

(d) whether Government propose to take any fresh steps in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) This is not correct, Sir.

(b) The Marriage code is not uniform for all communities in the country but it has hardly any effect on the Family Planning Programme itself.

(c) and (d) The Family Planning Programme in India is a voluntary Programme in which there is no coercion or compulsion. Information available with the Ministry indicates that the programme is accepted by people of all communities and there is no organised resistance against the programme.

दानियों से रक्त लेना

1468. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश प्राइवेट अस्पताल और वाणिज्यिक रक्त बैंक दानियों से 250 सी० सी० के बजाय 400 सी० सी० रक्त लेते हैं और उन्हें कम दर पर मुआवजा देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन

1469. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः मास से पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा के उल्लंघन की गतिविधियों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह उल्लंघन उपरोक्त अवधि में कितनी बार हुआ ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। गत छः मास (15 मई 74 से 14 नवम्बर 74 तक) में पाकिस्तान ने 11 बार वायु सीमा का उल्लंघन किया। इससे पहले के छः मास की अवधि में 3 बार वायु सीमा का उल्लंघन किया गया था।

(ग) पाकिस्तान सरकार को स्विस दूतावास के माध्यम से विरोध पत्र भेजे गए हैं।

उपदान-संदाय अधिनियम का संशोधन

1470. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के संशोधन के लिये प्राप्त हुए सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) प्राप्त हुए सुझावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सैनिक कर्मचारियों के लिए भर्ती संबंधी नीति

1471. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की नई नीति के प्रति सीमावर्ती राज्यों में व्याप्त घोर क्षोभ पर ध्यान दिया है जिसके अनुसार 1971 की जनगणना के देश के विभिन्न राज्यों में 17-25 वर्ष की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुपात के अनुसार भर्ती की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिये गये विभिन्न ज्ञापनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) 25 जुलाई 1974 को उत्तर दिये गये प्रश्न संख्या 650 के उत्तर में जैसा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है हाल ही में न तो कोई नई भर्ती नीति बनाई गई है और न ही भर्ती नीति में हाल ही में कोई परिवर्तन हुआ है। सेना में चार प्रकार की रेजीमेंट हैं जिन्हें "एक वर्ग रेजीमेंट", "निश्चित वर्ग रेजीमेंट", "मिश्रित वर्ग रेजीमेंट" और "सर्व वर्ग रेजीमेंट" कहा जा सकता है। "सर्व वर्ग रेजीमेंटों" के बारे में 1963 में एक निर्णय लिया गया था कि उनके गठन के बारे में स्थिति को धीरे-धीरे विभिन्न राज्यों की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुपात तक ले आया जाना चाहिये। एक वर्ग, निश्चित वर्ग अथवा मिश्रित वर्गों से संबंधित अधिकांश रेजीमेंटों में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। "सर्व वर्ग रेजीमेंटों" के मामले में भी परिवर्तन उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर बहुत थोड़ा है। यह स्थिति सदन में तथा प्रेस दोनों के माध्यम से पर्याप्त स्पष्ट की जा चुकी है।

सोवियत रूस द्वारा सप्लाई किए गए मिग विमानों की मरम्मत और उनकी सफाई

1473. **श्री मधु लिमये** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस ने भारत को पूरी तरह से तैयार मिग विमानों एवं भारत में जोड़े जाने के लिये पुर्जों के रूप में कुल कितने मिग विमान सप्लाई किये ;

(ख) क्या इन विमानों की मरम्मत एवं सफाई के बारे में कोई समझौता है ;

(ग) क्या समझौते की एक शर्त यह है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स कारखानों की विमानों की मरम्मत एवं सफाई क्षमता के होते हुए भी इन विमानों को मरम्मत एवं सफाई के लिये सोवियत रूस भेजना होगा ; और

(घ) क्या सोवियत रूस से समझौते की शर्तों को बदलने के लिये अनुरोध किया जायेगा जिससे कि विमानों को सोवियत रूस भेजने के स्थान पर सोवियत रूस आवश्यक पुर्जे इस देश को सप्लाई करने को सहमत हो जाए ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(ख) जी हां, श्रीमन ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 12 में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय में दवाओं की कमी

1474. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 12 में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय में दवाओं की अनुपलब्धता, घोर कुप्रबन्ध और कथित अधिक समय खाने वाली प्रक्रियाओं की जांच करने के लिये उसके पूरे कार्यकरण की कोई ब्योरेवार जांच करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर 12 में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय में सामान्य कार्य संचालन के बारे में और विशेष कर दवाइयां न मिलने, कुप्रबन्ध अथवा रोगियों का अधिक समय नष्ट करने के बारे में अब तक कोई ऐसी विपरीत बात ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

फ्लोरेंस में हुए ग्यारहवें अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान सम्मेलन में बंगाल के डाक्टरों द्वारा भाग लेना

1475. **श्री ए० के० किस्कु : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर के इलाज की सफल औषधि का दावा करने वाले बंगाल के डाक्टर फ्लोरेंस में हाल में हुए ग्यारहवें अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत सरकार के यात्रा व्यय पर क्यों गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून

1476. **श्री मानसिंह भौरा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि गत एक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिये बिना मनमाने ढग से सेवा से निकाल दिया गया। यदि हां, तो भविष्य में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार उनकी सेवा की सुरक्षा के लिये कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उक्त विधान संसद् में कब पेश किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिये एक तंत्र की व्यवस्था करता है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।

तथापि, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के संघ समय-समय पर सरकार को अभिवेदन करते रहे हैं कि उनको इसके क्षेत्र में लाने के लिये अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। इन कर्मचारियों को अधिनियम के क्षेत्र में लाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

'डाक लेबर बोर्ड', कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा अधिक बोनस की मांग

1477. **श्री रानेन सेन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक लेबर बोर्ड, कलकत्ता के कर्मचारी 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस का अनुग्रह पूर्वक भुगतान करने के लिये दबाव डालते रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चूंकि गोदी कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, अतएव यह निश्चय किया गया है कि उन्हें न्यूनतम अर्थात् 8–1/3% से अधिक दर पर 1973-74 के लिये बोनस के बदले अनुग्रह-पूर्वक अदायगी नहीं की जा सकती।

अर्हता प्राप्त डाक्टरों रहित औषधालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र

1478. **श्री एस० एम० मोहम्मद शरीफ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऐसे औषधालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या काफी है जिसमें अर्हता प्राप्त डाक्टर नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे औषधालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन औषधालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को अर्हता प्राप्त डाक्टर उपलब्ध कराने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1973 की स्थिति के अनुसार 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरों के बिना काम कर रहे थे जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है। ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में लगभग सभी औषधालयों में अर्हता प्राप्त डाक्टर काम कर रहे हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने के लिये डाक्टरों को आकृष्ट करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) असुविधाजनक क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 150 रुपये प्रतिमास का विशेष भत्ता देना।

(2) ग्राम और नगर क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों के लिये एक समान काडर बनाना।

(3) ग्राम भत्ता, परिवहन सुविधायें, फर्नीचर वाले मकान, पीने का पानी, बिजली आदि जैसे कुल सभी प्रोत्साहनों की व्यवस्था।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाओं में सुधार विशेषकर भवनों और रिहायशी मकानों के बारे में।

(5) अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति (गुजरात राज्य में)।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों की काफी मात्रा में व्यवस्था करना।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बिना डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1.	बिहार	5
2.	गुजरात	3
3.	हरियाणा	4
4.	हिमाचल प्रदेश	9
5.	कर्नाटक	5
6.	पंजाब	2
7.	उत्तर प्रदेश	1
8.	अरुणाचल प्रदेश	1
	कुल	30

नई दिल्ली स्थित तिलक नगर, पंजाबी बाग तथा ओखला के कारखानों में अपमिश्रित दवाओं का निर्माण

1479. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नई दिल्ली के तिलक नगर, पंजाबी बाग और ओखला क्षेत्रों में कुछ कारखाने केवल ऐसे अपमिश्रण ही तैयार करते हैं जिनका उपयोग दूसरे कारखाने करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारखानों का पता लगाने के लिये कोई जांच पड़ताल की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण देने के बारे में अनुदेश

1480. श्री एम० एम० सिद्दय्या : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को इस बारे में कोई अनुदेश दिये गये हैं कि वे उपयुक्तता तथा अनुभव के उदार मानवों द्वारा भर्ती के लिये चुने गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि वे अपने कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिये अपेक्षित क्षमता और अनुभव प्राप्त कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदेश जारी करने के बाद विभिन्न वर्षों में प्रत्येक उपक्रम में कितने मामलों में ऐसा प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 28 अक्तूबर, 1971 को सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को एक सरकारी निदेश जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें यह सलाह दी गई थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर उपयुक्ता के मामलों में छूट के आधार पर नियुक्ति के लिये चयन किये गये उनके अभ्यर्थियों को इनके कार्यों में संतोषजनक कार्य निष्पादन के लिये आवश्यक दक्षता तथा अनुभव देने के लिये जहां आवश्यक हो, प्रवेश-पूर्व विशेष प्रशिक्षण देने का प्रबंध करें । तथापि, ऐसे मामलों में विशेष प्रशिक्षण के लिये आवश्यकता का निर्णय उपक्रमों द्वारा स्वयं किया जाना था ।

प्रवेश-पूर्व विशेष प्रशिक्षण की अभी तक किसी भी उपक्रम द्वारा आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया है परन्तु सभी मामलों में कार्य करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

कलकत्ता गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1481. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के गोदी कर्मचारियों ने हाल में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस हड़ताल को भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत अवैध घोषित कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के रजिस्टर्ड गोदी कर्मचारियों ने औसतन उन दिनों की आय के समान 1973-74 के बोनस की अपेक्षा अनुग्रहपूर्वक अदायगी की मांग को लेकर 1-10-1974 से 11-10-1974 तक "नियमानुसार कार्य" एवं "धीमे कार्य" करने की विधि अपनाई ।

(ग) तथा (घ) चूंकि कलकत्ता की गोदियों तथा पत्तन में सेवा समाज के जीवन के लिये अनिवार्य सप्लाई एवं सेवाओं के रखरखाव के लिये आवश्यक समझा गया है, अतः श्रम मंत्रालय ने 6-10-1974 को उक्त सेवा को ऐसी सेवा घोषित कर दिया जिसपर भारत रक्षा का नियम 119 लागू होता

है । चूंकि उक्त पत्तन एवं गोदियों में कोई भी हड़ताल ऐसी सप्लाई एवं सेवाओं के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी, अतः श्रम मंत्रालय ने 8-10-1974 की उक्त नियमों के नियम 118 के अधीन एक आदेश जारी किया जिसमें 6 महीने की अवधि के लिए कलकत्ता के पत्तन एवं गोदियों में किसी भी औद्योगिक विवाद को लेकर हड़ताल करना मना कर दिया गया है ।

जनजाति क्षेत्रों से बीमारियों को दूर करने हेतु व्यापक योजनाओं के लिए सर्वेक्षण

1482. **श्री पी० एम० सईद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजाति क्षेत्रों में व्याप्त बीमारियों संबंधी जानकारी का पूर्ण अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो उन के मंत्रालय ने जनजाति क्षेत्रों से बीमारियों को समाप्त करने हेतु व्यापक योजनायें तैयार करने के लिये औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आस-पास स्थित ग्रामों शीघ्र सर्वेक्षण के द्वारा जनजाति लोगों की स्वास्थ्य दशाओं का अध्ययन करने के संबंध में क्या ठोस कदम उठाया है अथवा विभिन्न राज्य सरकारों को इस संबंध में कौन-से ठोस कदम उठाने का सुझाव देगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) कुछ सामुदायिक विकास खंडों में जिनमें आदिम क्षेत्र भी आ जाते हैं, सामान्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण किये गये हैं ।

(ख) जहां तक मलेरिया, चेचक, हैजा आदि जैसे प्रमुख रोगों का प्रश्न है इनके उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत आदिम क्षेत्र भी आ जाते हैं । जहां तक अन्य ऐसे रोगों के सर्वेक्षण का सवाल है जो कुछ आदिवासी खंडों में भी विशेषरूप से पाये जाते हैं इनके बारे में सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत-पाक संचार सम्पर्क सम्बन्धी करार की क्रियान्विति

1483. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संचार, दूर संचार और व्यापार आदि के बारे में हुए करार की शर्तों को दोनों देशों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : डाक वस्तुओं और दूर-संचार के आदान-प्रदान पर करार, 15 अक्तूबर 1974 से लागू हो गये हैं । व्यापार आरम्भ करने के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच शीघ्र ही बातचीत होने की संभावना है; जबकि सिविल विमानन के मामलों पर बातचीत, 18 नवम्बर 1974 से इस्लामाबाद में आरम्भ हो गई है ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के मरम्मत प्रभाग में धन और जन शक्ति की हानि

1484. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के मरम्मत प्रभाग तथा इस के बैरकपुर स्थित शाखा कारखाने में काम के लिये आर्डर न होने तथा अतिरिक्त अथवा वैकल्पिक परियोजनायें न होने के कारण बेकार श्रम की स्थिति पैदा हो जाने की आशंका है ;

(ख) क्या यह मरम्मत प्रभाग धीरे-धीरे इतना सिकुड़-सा गया है कि उत्पादक श्रमिक बेकार रहने लगे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को समय-समय पर पर्याप्त काम सौंपने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि धन तथा जनशक्ति की हानि न हो ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (बंगाल और कम्पलैक्स) के मरम्मत प्रभाग और इसके बैरकपुर स्थित शाखा कारखाने के पास इस समय अगले 2-3 वर्षों के लिये पर्याप्त कार्यभार है । तथापि, विदेश से फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता/विलम्ब के कारण किसी-किसी समय बेकार श्रम की स्थिति पैदा हो जाती है ।

(ख) बाहर के स्थानों पर रख-रखाव बेसों के बन्द हो जाने के कारण मरम्मत प्रभाग में कार्यभार कुछ सीमा तक कम हो गया है ।

(ग) विमान प्रभाग से कतिपय कार्य का स्थानान्तरण कर मरम्मत प्रभाग के लिये अतिरिक्त कार्यभार की व्यवस्था करने के लिये कार्रवाई की जा रही है । केरीबी विमान की मरम्मत का कार्य पहले ही बैरकपुर स्थित कारखाने में स्थानान्तरित करे दिया गया है । इस संबंध में आगे कार्रवाई विचाराधीन है ।

सिक्किम की विकास योजनाएं

1485. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम की विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और भारत सरकार ने उन के लिये कितनी धनराशि नियत की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : सिक्किम की विकास योजनाओं के बारे में और भारत सरकार द्वारा इनके लिये निर्धारित कोषों की विस्तृत सूचना 22 अगस्त, 1974 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3239 के उत्तर में दी गई थी। माननीय सदस्य का ध्यान उस प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ;

गुजरात में श्रमिकों की स्थिति में सुधार

1486. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद राज्य में श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) क्या राज्य में श्रमिकों में असंतोष है; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय वहां पर विशेषज्ञों का कोई दल भेजने पर विचार कर रहा है ताकि राज्य के श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिये सहायता दे सके ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति शासन के दौरान गुजरात में श्रमिकों के कल्याण संबंधी दशाओं में सुधार हुआ है । उस सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाहियां की हैं :—

(1) श्रमिकों के कल्याण के लिये त्रिपक्षीय अंशदानों संबंधी संशोधी अधिनियम को 30-1-1974 से लागू किया गया है और 30-6-1974 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इसकी पहली किस्त नियोजकों और कर्मचारियों से पूर्णतः वसूल की जा चुकी है ।

(2) गत छः महीनों के दौरान दो और सिनेमा एकक शुरू किये गये हैं और 134 शो दिखाए गए जिन से छः लाख श्रमिक लाभान्वित हुए ।

(3) शिशु-बिहारों के दो उप-केन्द्र खोले गए हैं और प्रवेश-आयु 3 से बढ़ाकर 12 वर्ष तक कर दी गई है।

(4) बालवाड़ियों की संख्या 19 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है ।

(5) शिशु मन्दिरों और बालवाड़ियों को सहायता--अनुदान काफी बढ़ा दिया गया है ।

(6) नवम्बर, 1974 में अखिल गुजरात वर्कर्स गार्बा प्रतियोगिता हुई थी और पहली बार, पहले दस गार्बों में भाग लेने वालों को, नियोजकों से चन्दा प्राप्त करके 60 रुपये से 80 रुपये तक के मूल्य के इनाम दिये गये ।

(ख) महोदय हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

सैण्ट्रल रोड बोर्ड

1487. **श्री जी० वाई० कृष्ण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में सड़कों के निर्माण के लिये सैण्ट्रल रोड बोर्ड स्थापित करने हेतु किसी प्रस्ताव की मंजूरी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नौसैनिक अनुसंधान विकास प्रयोग-शालाओं के लिए योजना

1488. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौसैनिक अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं के लिये कोई योजना बनाई हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिये 1974-79 के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है।

(ख) नौसैना अनुसंधान और विकास की तीन प्रयोगशालाएं हैं नामतः नौसैना भौतिकी और सुमुद्र-विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन, नौसैना रसायन और धातु विज्ञान प्रयोगशाला बम्बई और नौसैना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापटनम ।

कोचीन में नौसैना भौतिकी और समुद्र-विज्ञान प्रयोगशाला जल में पनडुब्बी का पता लगाने की प्रणालियों के बारे में अनुसंधान तथा विकास के लिये और रक्षा के हित में समुद्रविज्ञान अध्ययन के लिये उत्तरदायी हैं।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान, समुद्र-विज्ञान के कार्य में हमारे चारों ओर समुद्र की उष्णीय विशेषताओं का अध्ययन और उपचेय समुद्रनिमज्जी विज्ञान जैसे समुद्र-विज्ञान संबंधी उपस्करों का विकास सम्मिलित होगा । नौसैना संक्रियाओं के लिये अनुरूपक तथा प्रशिक्षण उपकरणों का विकास किया जायेगा।

बम्बई में नौसैना रसायन और धातुविज्ञान प्रयोगशाला विभिन्न प्रकार की सामग्रियों विशेषकर नौसैना के हित की सामग्री के अनुसंधान तथा विकास कार्य को करती है । सामग्रियों पर संक्षारण और अवरुद्ध के प्रभावों और ऐसे प्रभावों को कम करने के तरीकों और समुद्री जीवविज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है । वर्तमान योजना के दौरान, संक्षारण को कम करने के लिये इम्प्रेशड करन्ट कैथोडिक प्रोडक्शन सिस्टम को हमारे बहुत-से जहाजों में लगाया जायेगा । उच्च गति और उग्रता की स्थितियों के अधीन सामग्रियों के संक्षारण का मूल्यांकन किया जायेगा । इस प्रयोगशाला द्वारा संरचना संबंधी सामग्रियों की असफलता से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जायेगा ।

विशाखापत्तनम में नौसैना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला जल में हथियारों और समुद्री इंजीनियरों के अनुसंधान और विकास के लिये उत्तरदायी है । वर्तमान योजना के दौरान रोटेटिंग बूम टैंक और टोह लेने वाले टैंकों जैसी कुछ द्रवगति विज्ञान परीक्षण सुविधायें स्थापित करेंगे । वे नौसैना जहाजों में शोर और कम्पन जो कम करने के कार्य को भी करेंगे ।

योजना में सम्मिल्लित प्रत्येक योजनाओं के बारे में ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा ।

बम्बई पत्तन के गोदामों में अवरोध

1489. श्री वेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल के जमा हो जाने के परिणामस्वरूप जिसमें से कुछ गत 15 वर्षों से बेदावेदार पड़ा है, बम्बई पत्तन के गोदामों में गंभीर अवरोध पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पत्तन के गोदामों में माल को कम करने के लिये पत्तन प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) शेडों और मालगोदामों में जमा माल को हटाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) उन पैकेजों को छते हुए शेडों से खुले में लाया गया है, जो कि मौसम के प्रभाव से खराब नहीं होवे ।

(2) दो महीने से अधिक से रुके 177 खुले पारेषणों की सूची, जिसमें 17,879 पैकेज शामिल हैं, निपटानार्थ प्राथमिकता देने हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि उनसे रोकी गई जगह को खाली कराया जा सके। सीमा शुल्क अधिकारी सूची तैयार कर रहे हैं।

(3) सरल परीक्षण या साधारण औपचारिकताओं तथा बांड भरने पर आयातित माल की सीधी सुपुर्दगी और माल उठाने के लिये सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं का काफी प्रचार किया गया है। आयातकर्ताओं को भी चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने इन सुविधाओं का लाभ न उठाया तो उनका विलम्ब शुल्क माफ नहीं किया जायेगा।

(4) सीमा शुल्क अधिकारी सुविख्यात आयातकर्ताओं और माल छुड़ाने वाले एजेंटों की यह अनुमदि देने में सहमत हो गए हैं कि वे अपने माल को बांड के अन्तर्गत अपने ही माल गोदामों में रख लें।

(5) सुपुर्दगी और पारषणों के लिये ऊनी चिथड़ों के खराब पारेषण जो कि खराब हो रहे हैं, छत वाले शेडों से खुले भंडार क्षेत्रों में लाये जा रहे हैं।

(6) जब्त माल के भंडार के लिये, गोदियों से बाहर छत वाले शड की पेशकश की गई है

(7) गोदियों में रुके हुए जब्त माल के शीघ्र निपटान के लिये सीमा शुल्क अधिकारी सहमत हो गए हैं। सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान उन्होंने नीलामी द्वारा 7,000 पैकेज बेच दिये हैं तथा और 1,000 पैकेजों के 21-11-1974 को निलाम किये जाने की आशा है। इससे जब्त शुदा पैकेजों की संख्या 41,000 से घटकर 33,000 रह जायेगी।

(8) बम्बई पत्तन न्यास अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलाम द्वारा रुके माल के शीघ्र निपटानार्थ बम्बई पत्तन न्यास के गोदी विभाग को सशक्त किया जा रहा है। निलाम द्वारा रुके माल के निपटान के बारे में सीमा शुल्क अधिकारी अपने नियमों में ढील करने हेतु भी सहमत हो गए हैं।

(9) जब्त शुदा माल और सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं के लिये रोके गए माल के भंडार के लिये माल गोदाम बनाने हेतु बम्बई पत्तन न्यास ने सीमा शुल्क अधिकारियों के 17,000 वर्ग मीटर परिमाप के भूखंड की पेशकश की है।

Plant No. 2 of Hindustan Aluminium Corporation Renukoot

1490. **Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the reasons for not running the Plant No. 2 of Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot; and

(b) whether any assistance to the company for installing their own power house is contemplated?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) and (b) The Hindustan Aluminium Corporation is licensed for a capacity of 120,000 tonnes per annum of aluminium against which they have installed a capacity of 95,000 tonnes. Owing to non-availability of power they have not been able to operate up to their full operating capacity of 80,000 tonnes or to commission the newly installed capacity of 15,000 tonnes per annum. Their production during 1974-75 is not likely to exceed 45,000 tonnes.

The company has been permitted to expand their captive power generation by 220 MW so that their entire aluminium production could be linked to captive power.

Monopoly of Power to Five Countries in U.N. Security council

1491. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether 134 countries are Members of the U.N.O. at present;

(b) whether the same five countries continue to be the Permanent Members of the Security Council;

(c) if so, whether U.N.O. has given this monopoly of power only to a few countries in the Security Council; and

(d) the step proposed to be taken by Government to ensure that the Security Council is constituted in a democratic manner by holding elections?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) 138 countries are presently members of the United Nations.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) According to the U. N. Charter, 5 countries, *viz.* China, France, U.K., U.S.A. and U.S.S.R. are Permanent Members of the Security Council which is composed of 15 member states. Any change in the composition of the permanent members of the Security Council will require an amendment of the U. N. Charter with the approval of the 2/3rd of the member states of the U.N. including the approval of all permanent members of the Security Council. The present situation is not appropriate for initiating proposals for such a change.

केरल के क्विलोन जिले में उद्योगों द्वारा टिन प्लेटों का दुरुपयोग

1492. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में क्विलोन जिले में कुछ उद्योगों द्वारा लगभग 61 लाख रुपयों के मूल्य की आयातित तथा देशी टिन प्लेटों का दुरुपयोग किये जाने का हाल ही में पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस दुरुपयोग को रोकने और इन उद्योगों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अप्रैल, 1971 से मार्च, 1974 के दौरान लगभग 61 लाख रुपये के मूल्य की आयातित तथा देशीय टिन प्लेटों की बिक्री के कुछ मामले हाल ही में पकड़े गए हैं ।

(ख) इन इकाइयों को आगे और सप्लाई निलम्बित करने के लिये कदम उठाये गए हैं और लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश के अधीन आगे की सप्लाई से विवर्जित करने के लिये कारंवाई आरम्भ कर दी गई है बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई वैध हो ।

उड़ीसा में बाक्साइट का पाया जाना

1493. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**

श्री डी० के० पंडा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में कोरापुट में बाक्साइट के 5 करोड़ टन निक्षेप का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में वहां एक एल्यूमिनियम प्लान्ट स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोरापुट जिले में बाक्साइट के लिये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा उड़ीसा सरकार द्वारा किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अब तक नियत वर्ग के 9.00 लाख टन तथा अनुमानित वर्ग के 25.00 लाख टन भंडार होने का पता चला है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य खान निदेशालयों द्वारा क्रमशः पोटंगी और पंचपट-माली निक्षेपों में भंडारों की पुष्टि सहित आगे खोज कार्य किया जा रहा है ।

(ख) वाणिज्यिक आधार पर खुदाई की संभावना पर पूरी जानकारी उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कार्मिक संघ नीति

1494. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कार्मिक संघ नीति लागू करने के प्रश्न पर विचार करने और केवल उन्हीं कार्मिक संघों के लिये अनुमति देने का है जो राष्ट्र की नीति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) और (ख) एक व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक सरकार के विचाराधीन है । जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मजदूर संघों से संबंधित विभिन्न मामलों के लिये व्यवस्था की जायेगी ।

आन्ध्र साइन्टिफिक कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

1495. श्री डी० पी० जदेजा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र साइन्टिफिक कंपनी के प्रबन्ध को, जो आधुनिक रक्षा उपकरण बनाती है, अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) आन्ध्र साइन्टिफिक कंपनी के प्रबन्ध को सरकार द्वारा 21 जून, 1972 से पांच वर्ष की अवधि के लिये इंडस्ट्रीज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की व्यवस्थाओं के अधीन ले लिया गया है । यह निर्णय लिये लिया गया क्योंकि कंपनी कुछ मास तक बन्द रही थी और इस प्रकार का बन्द साइन्टि-फिक उपकरण उद्योग के लिये हानिकर समझा गया था । इसके अतिरिक्त, उपक्रम को पुनः चालू करना संभव था और इसे चालू करना सामान्य जनता के हित में समझा गया था ।

सरकार इसके वर्तमान प्रबंध और नियंत्रण को हाथ में लेने के विचार से कंपनी की पुनः संरचना पर अब विचार कर रही है ।

इस्पात की उपलब्धता

1496. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय इस्पात की उपलब्धता आवश्यकता से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है और कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) देश में इस्पात का उत्पादन कुल मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है। आयात नीति में उन श्रेणियों के आयात की व्यवस्था है जिनका उत्पादन काफी मात्रा में नहीं होता। अनुमान है कि देशीय उत्पादन तथा लगभग 11 लाख टन के आयात से इस्पात की मांग पूरी हो सकेगी।

आन्ध्र प्रदेश में मृतय पशुओं की चर्बी का बेचा जाना

1497. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में मृत पशुओं की चर्बी घी के रूप में बेची गई थी; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम इसहाक) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जिसमें आन्ध्र प्रदेश में मरे हुए पशुओं से निकाली गई चर्बी को घी के रूप में बेचने की बात हो।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

जनता को धूम्रपान के परिणामों के बारे में जानकारी देने के लिये कार्यक्रम

1498. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेषकर युवकों में धुम्रपान की आदतें तेजी से बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार ने जनता को साहित्य के माध्यम से इस आदत के परिणामों के बारे में जानकारी देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सिगरेट से होने वाली हानियों के बारे में सरकार ने निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किये हैं :—

(1) धूम्रपान और कैंसर (इंगलिश)।

(2) मुझे अफसोस है कि मुझे धूम्रपान शुरू नहीं करना चाहिये था (अंग्रेजी और हिन्दी)।

(3) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्वस्थ हिन्द नामक एक मासिक जनरल के जनवरी, 1964, जुलाई, 1965, मई, 1967 तथा नवम्बर 1971 के प्रकाशन में इस विषय पर एक लेख लिखा है। अप्रैल और मई, 1972 के स्वस्थ हिन्द के प्रकाशनों में धूम्रपान द्वारा होने वाले हृदय रोगों के बारे में लेख लिखे गये हैं।

(4) देश में कैंसर के विरुद्ध चलाये जाने वाले अभियान के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने भी कैंसर (इंगलिश) पर कई फिल्में तैयार कर ली हैं।

अमरीका में भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि

1499. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री यमना प्रसाद मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री श्री विपिनपाल दास (क) जी हां, आप्रवासियों के रूप में अमरीका जाने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) अमरीका में भारतीय आप्रवासियों की संख्या में वृद्धि का मूख्य कारण है—1965 में अमरीक आप्रवासी नियम की समीक्षा—जिसमें तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित एशियाइयों के लिये उस देश में प्रवेश करना सरल हो गया है।

Construction of a Cantonment in Champaran District

1500. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether there is no cantonment of standard in North Bihar;

(b) if so, whether Government propose to build a cantonment in Champaran District keeping various aspects in view; and

(c) the time by which its construction work is proposed to be started?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (c) There are two Class I Cantonments in Bihar one at Dinapore and the other at Ramgarh. There is no proposal for establishment of any new Cantonment in Bihar.

इस्पात संयंत्रों के लिये फालतू पुर्जों का उत्पादन

1501. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया इस्पात सयंत्रों के लिये आवश्यक फालतू पुर्जों के उत्पादन के लिये केन्द्रीय वर्कशाप लगाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्कशाप कब तक लगा दी जायेगी ; और

(ग) क्या यह वर्कशाप स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड से स्वतन्त्र होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) इस्पात कारखानों को फालतू पुर्जों की सप्लाई की समस्या पर विचार करने के लिये भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) द्वारा नियुक्त की गई समिति ने सिफारिश की है कि सभी इस्पात कारखानों में काम आने वाले कुछ मध्यम और भारी दर्जे के महत्वपूर्ण फालतू पुर्जों का निर्माण करने के लिये एक केन्द्रीय कर्मशाला स्थापित की जाए। भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इस प्रायोजना के लिये शक्यता प्रतिवेदन तैयार करवाने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 1973-74 के लिए निर्धारित परिवार नियोजन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

1502. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 और 1974 के लिये निर्धारित परिवार नियोजन संबंधी लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त हो गये हैं और यदि नहीं, तो प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत इस बारे में कितनी कमी रही ; और

(ख) 1975-76 के लिये संभावी लक्ष्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1973-74 के कार्य निष्पादन के लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

	1972-73		
तरीके	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रतिशत
नसबन्दी .	5,697,070	3,121,426	54.8
गर्भाशयी गर्भरोधक . .	949,149	353,149	37.2
प्रचलित गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता . .	4,257,500	2,387,624	56.1

	1973-74		
तरीके	लक्ष्य	उपलब्धियां*	लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रतिशत
नसबन्दी .	2,267,520	919,225	40.5
गर्भाशयी गर्भरोधक . .	668,950	363,639	54.4
प्रचलित गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता	4,302,700	2,985,432	69.4

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) 1975-76 के लिये निष्पत्ति के लक्ष्य अस्थायी रूप से इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं– 30 लाख नसबन्दियां, 9 लाख गर्भाशयी गर्भरोधक प्रविष्टियां और 45 लाख प्रचलित गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता।

भारत और बंगला देश के बीच यात्रा प्रबन्धों में परिवर्तन

1503. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच यात्रा के वर्तमान प्रबन्धों में परिवर्तन किया जाना है ;

(ख) क्या बंगलादेश सरकार ने भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनका प्रस्ताव क्या है और इस मामले में यदि कोई निर्णय किया गया है तो क्या ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत और बंगलादेश के बीच यात्रा के मौजूदा प्रबंध में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक स्कूलों के कार्यकरण संबंधी समिति की सिफारिशें

1504. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार समिति से अपना प्रतिवेदन शीघ्र देने के लिये कहेगी और प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अगले वर्ष के शुरु में समित्ति द्वारा रिपोर्ट दे दिये जाने की आशा है ।

गोआ के लघु उद्योग एककों पर लोहे और इस्पात की कमी का प्रभाव

1505. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात की कमी का गोआ के लघु उद्योग एककों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके उत्पादन को सामान्य बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ के निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

1506. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के लिये चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिये कोई योजना शुरु की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसाहक) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य संबंधी भाग का उद्देश्य निम्नलिखित विशेष लक्ष्यों की पूर्ति करना है :—

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ;

(2) प्रति दस हजार की आबादी के पीछे एक उप केन्द्र खोलना ;

(3) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिये मकानों की कमी को पूरा करना जिनमें रिहायशी मकान भी शामिल हैं ;

(4) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये और प्रत्येक उप-केन्द्र को 2,000 रुपये तक की दवाइयां देना ; और

(5) हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसे 30 पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाना और उसमें सर्जरी, काय चिकित्सा, प्रसूति, स्त्रीरोग और संवेदनाहरण संबंधी विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करना ।

गोआ में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 9.00 लाख रुपये की रकम रखी गई है ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य संबंधी भाग को कार्यान्वित करने के लिये गोआ को 0.81 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है । यह एक निर्धारित खर्च होगा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में उपलब्ध किया जायेगा ।

पांचवीं योजना के दौरान गोआ में परिवहन सुविधाओं का विस्तार

1507. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में गोआ के लिये परिवहन सुविधाओं के लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) गोआ, दमन और दीव में सड़क परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये 5 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है और 1974-75 के दौरान गुमबारजुआ नहर के निकर्षण के लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ टेलिप्रिन्टर/टैलेक्स सम्पर्क

1508. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां स्थित भारतीय मिशनों का टेलिप्रिन्टर/टैलेक्स द्वारा भारत से सीधान सम्पर्क जुड़ा हुआ है ; और

(ख) भविष्य में किन शेष देशों में स्थित मिशनों के साथ भी ऐसे संपर्क की व्यवस्था की जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8534/74]

फार्मासिस्टों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

1509. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मासिस्टों के वेतनमानों के पुनरीक्षण तथा उनके सैलेक्शन ग्रेड पदों की संख्या में वृद्धि संबंधी दोनों प्रस्तावों को रेलों तथा अन्य मंत्रालयों को भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों में से प्रत्येक प्रस्ताव पर इन मंत्रालयों का दृष्टिकोण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां, । यह प्रस्ताव रेलवे और रक्षा मंत्रालयों को भेज दिये गये थे।

(ख) रेलवे मंत्रालय ने फार्मासिस्टों के वेतनमान को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्होंने इस संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से बाहर जाना वांछनीय नहीं समझा। तथापि, फार्मासिस्टों के सैलेक्शन-ग्रेड पदों के प्रकाशित को वर्तमान दस से बढ़ा कर बीस करने की बात का समर्थन किया है। रक्षा मंत्रालय ने न तो इनके वेतन मान बढ़ाने का समर्थन किया और न केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में सैलेक्शन ग्रेड के पदों को बढ़ाने का। क्योंकि उनके अनुसार ऐसा करने से उस मंत्रालय में कम्पाउंडर/डिस्पैंसर भी, जिनके वेतनमान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहले ही अधिसूचित कर दिए गये हैं, अपने वेतनमान बढ़ाने की मांग करने लगेंगे।

फार्मासिस्टों के वेतनमानों में वृद्धि और उनके सेलेक्शन ग्रेड पदों में वृद्धि की प्रतिशतता बढ़ाये जाने के बारे में निर्णय को क्रियान्विति

1510. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 सितम्बर, 1973 को नेशनल फेडरेशन आफ फार्मेसिस्ट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों की मंत्री स्तर पर हुई बैठक में फार्मासिस्टों के वेतनमानों में वृद्धि और उनके सैलेक्शन ग्रेड पदों में वृद्धि प्रतिशतता बढ़ाये जाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया था ;

(ख) क्या उन्होंने उक्त एसोसियेशन के प्रेजीडेंट के साथ हुए पत्र-व्यवहार तथा संसद में उठाये गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित निर्णय के शीघ्र कार्यान्वियन के लिये फार्मेसिस्टों को आश्वासन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस निर्णय की क्रियान्विति के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (ग) 15 दिसम्बर, 1973 को फार्मेसिस्टों की एसोसियेशनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री ने यह कहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से यह सिफारिश की है कि उन फार्मेसिस्टों को जिनके पास फार्मेसी का डिप्लोमा है, वह वेतनमान दिया जाये जिसकी वेतन आयोग ने इंजीनियरिंग जैसे अन्य तकनीकी विषयों में डिप्लोमा धारियों के लिये सिफारिश की है । जहां तक उन फार्मेसिस्टों का, जिन्होंने किसी संस्थान से अर्हता प्राप्त नहीं की है, संबंध है, उनको वेतन आयोग द्वारा की सिफारिश के अनुसार वेतनमान दिया जायेगा। इसी प्रकार, प्रतिनिधियों को यह भी बताया गया था कि इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से यह पहले ही सिफारिश की है कि फार्मेसिस्टों के लिये सैलेक्शन ग्रेड पदों का प्रतिशत 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया जाये।

ये सिफारिशें अन्य संबंधित मंत्रालयों को स्वीकार्य नहीं पाई गई हैं।

फार्मेसिस्टों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

1511. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग द्वारा फार्मेसिस्टों के लिये सुझाये गये वेतनमान किसी वर्ग पर लागू कर दिय गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो निम्न जानकारी दी जाये ;

(एक) वेतनमानों का ब्यौरा,

(दो) प्रत्येक वेतनमान की वर्षों में अवधि,

(तीन) अधिकतम वेतनमान पर रुके पड़े फार्मेसिस्टों की संख्या,

(चार) आगामी दो वर्षों में अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने वाले फार्मेसिस्टों की संख्या,

(पांच) दस से बीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले फार्मेसिस्टों की संख्या,

(छः) पांच से दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले फार्मेसिस्टों की संख्या; और

(ग) उक्त सिफारिशों की क्रियान्विति से पूर्व भाग (ख) में पूछी हुई जानकारी भी दी जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी योजना

1512. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के लिये चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिये कोई योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य संबंधी भाग को कार्यान्वित करने के लिये राजस्थान राज्य को 11.05 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था करने का विचार है। यह एक निर्धारित खर्च होगा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में उपलब्ध किया जायेगा।

(ग) राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य संबंधी भाग का उद्देश्य निम्नलिखित विशेष लक्ष्यों की पूर्ति करना है :--

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ;

(2) प्रति दस हजार की आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र खोलना ;

(3) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिये मकानों की कमी को पूरा करना जिसमें रिहायशी मकान भी शामिल हैं ;

(4) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये और प्रत्येक उप-केन्द्र को 2,000 रुपये तक की दवाइयां देना ; और

(5) हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसे 30 पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाना और उसमें सर्जरी, काय चिकित्सा, प्रसूति, स्त्रीरोग और संवेदनाहरण संबंधी विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करना।

राजस्थान में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 125.00 लाख रुपये की रकम रखी गई है।

राजस्थान में बिजली की कटौती करने से जन-दिवसों की हुई हानि

1513. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और नवम्बर, 1974 तक राजस्थान राज्य में बिजली की कटौती के कारण कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई है :

(ख) क्या इस कटौती के कारण लघु उद्योग बन्द हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है । राजस्थान में बिजली में कटौती के कारण हानि हुए जन-दिवसों की संख्या और बिजली में कटौती के कारण लघु उद्योगों की प्रतिवेदित बंदी के बारे में श्रम मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है । ऊर्जा मंत्रालय ऐसे विभिन्न उपायों की कार्यान्विति की ध्यानपूर्वक देख-रेख कर रहा है, जिनका उद्देश्य देश में बिजली की कमियों को दूर करना तथा बिजली की उपलब्धता में सुधार करना है ।

राजस्थान के लघु उद्योग एककों पर लोह तथा इस्पात की कमी का प्रभाव

1514. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के लघु उद्योग एककों पर लोहे तथा इस्पात की कमी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग एककों के उत्पादन को सामान्य बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पांचवीं योजना में राजस्थान में परिवहन सुविधाएं

1515. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में राजस्थान में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) राजस्थान में सड़क परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये 1974-75 में स्वीकृत परिव्यय 1.89 करोड़ रुपये का है ।

उड़ीसा द्वारा समाज के निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए उड़ीसा को सहायता

1516. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के लिये चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने हेतु कोई योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने ऐसी योजना के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक : (क) जी हां ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य वाले भाग को कार्यान्वित करने के लिये 14 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है। यह एक निर्धारित खर्च होगा और पांचवीं योजना के राज्य क्षेत्र (स्टेट सैक्टर) में उपलब्ध किया जायेगा ।

(ग) न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के स्वास्थ्य वाले अंग का उद्देश्य निम्नलिखित विशेष लक्ष्यों की पूर्ति करना है :—

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ;

(2) प्रति दस हजार की आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र खोलना ;

(3) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिये मकानों की कमी को पूरा करना जिनमें रिहायशी मकान भी शामिल हैं ;

(4) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये और प्रत्येक उप-केन्द्र को 2,000 रुपये तक की दवाइयां देना , और

(5) हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसे 30 पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाना और उसमें सर्जरी, काय चिकित्सा, प्रसूति, स्त्रीरोग और संवेदनाहरण संबंधी विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करना।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम को उड़ीसा में कार्यान्वित करने के लिये एक करोड़ 31 लाख रुपये की रकम रखी गई है ।

पांचवीं योजना में उड़ीसा में परिवहन सुविधाएं

1517. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में उड़ीसा के लिये परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 में उड़ीसा के लिये सड़क परिवहन के लिये 42 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है । इस व्यवस्था में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये 33 बसों की खरीद शामिल है ।

इस्पात का उत्पादन और उसके उत्पादन का राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य

1518. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में इस्पात का कुल उत्पादन कितना हुआ और कारखाने वार (सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में) उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) चालू वर्ष के लिये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन कितना कम हुआ ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का वर्ष 1973-74 का इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित था :—

हजार टन

कारखाना	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
(क) सरकारी क्षेत्र		
भिलाई इस्पात कारखाना	1894	1682
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	776	377
राउरकेला इस्पात कारखाना	1081	736
बोकारो इस्पात कारखाना	18	—
कुल	3769	2795
(ख) निजी क्षेत्र		
टिस्को	1514	1200
इस्को	439	358
कुल	1953	1558
कुल जोड़	5722	4353

(ख) और (ग) इन कारखानों का अप्रैल—अक्तूबर 1974 की अवधि का कुल उत्पादन का लक्ष्य 35.24 लाख इस्पात पिण्ड तथा 26.81 लाख टन विक्रेय इस्पात था। इस अवधि का वास्तविक उत्पादन 34.02 लाख टन इस्पात पिण्ड तथा 26.92 लाख टन विक्रेय इस्पात था। इस प्रकार

यद्यपि इस्पात पिण्ड के उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की मामूली सी कमी हुई है तथापि विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कुछ अधिक हुआ है ।

Construction of Roads in Madhya Pradesh in Fifth Plan

1519. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount of expenditure to be incurred on construction of roads in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan;

(b) the names of new roads to be constructed during the current plan; and

(c) the length thereof?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) to (c) Constitutionally, the Government of India are primarily responsible for the development of Roads declared as National Highways. All roads other than National Highways in States are essentially the responsibility of the State Governments concerned. So far as State roads are concerned, according to the tentative allocations made under the Draft 5th Plan, a sum of Rs. 35 crores is likely to be available for road development in Madhya Pradesh over the 5th Plan period. Out of this, the outlay for 1974-75 is Rs. 6 crores. Detailed programmes against these allocations have to be formulated by the State Government. As regards National Highways a sum of Rs. 45.50 crores only is available for expenditure during 1974-75 for the country as a whole. Of this, Madhya Pradesh Government's allocation is Rs. 290 lakhs which is intended mainly for on going' works on the existing National Highways in the State. The total length of National Highways in Madhya Pradesh at present is 2670 Kms. In addition, a sum of Rs. 12 lakhs is available to the State Government during 1974-75 by way of loans for already sanctioned Centrally aided State roads of inter-State or economic importance.

रविवार को गाड़ियां चलाने पर प्रतिबन्ध

1520. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खपत में किफायत करने की दृष्टि से कृषि कार्यों में संलग्न गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गाड़ियों को रविवार को चलाये जाने पर रोक लगाने संबंधी कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां। एच० एस० डी० के प्रयोग में किफायत बर्तने के लिये यह सरकार के विचाराधीन अनेक प्रस्तावों में से एक है ।

(ख) सभी वाणिज्यिक गाड़ियों के सप्ताह में पूरे एक दिन, अधिमानतः रविवार को, चलाने पर पूरी पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव है, ताकि पाबन्दी को मारकेटों, नागरिक और व्यापारिक केन्द्रों, कार्यालयों आदि के बन्द रहने से जोड़ा जा सके ।

Poor Condition of National Highway No. 30

1521. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether national highway No. 30 passes through Patna City;

(b) whether this road is in a very poor condition from Maner in Patna District to Patna city where pits have been formed at several places as a result of which travelling public has to face difficulties;

(c) whether the above road is in very bad condition near Sadipur, Vayapur, Sherpur, Chhitnava, Daudpur, Kurji, Mainpura, Mandiri and other villages; and

(d) if so, the action taken by Government to repair the above road?

The Minister of state in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) :

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

पी० एल० 480 निधि से चलायी गई सैनिक महत्व की अनुसंधान परियोजनायें

1522. **श्री सी० के० चन्द्रपन :**

श्री सरजू पांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका सरकार ने पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में पी० एल०–480 निधि से सैनिक महत्व की कुछ अनुसंधान परियोजनायें चलायी हैं ;

(ख) क्या 9 अक्तूबर, 1974 के एक समाचारपत्र में "यू० एस० स्पांसर्ड टॉक्सिन रिसर्च इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) बल्लभ भाई पटेल वक्ष रोग संस्थान, दिल्ली ने बतलाया है कि सार्वजनिक कानून–480 के धन से चलायी गई अनुसंधान परियोजनायें सैनिक महत्व की नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जहां तक अखबारों में छपे इस समाचार का संबंध है इसका पटेल वक्ष रोग संस्थान में किये गये अनुसंधान कार्य के स्वरूप से कोई संबंध नहीं है।

अमरीकी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पालम हवाई अड्डे पर भारतीय फोटोग्राफरों के कैमरा बाक्सों तथा बैगों की तलाशी

1524. **श्री हरी सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अक्तूबर, 1974 को अमरीका के विदेश मंत्री के यहां पहुंचने के अवसर पर पालम हवाई अड्डे पर अमरीकी सुरक्षा अधिकारियों ने प्रेस फोटोग्राफरों के कैमरा बाक्सों तथा बैगों को खोलकर तलाशी ली थी ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) 27 अक्तूबर, 1974 को पालम हवाई अड्डे पर अमरीकी विदेश मंत्री के पहुंचने से पहले अमरीकी सुरक्षा कर्मचारी अपने पक्ष के फोटोग्राफरों आदि की जांच पड़ताल कर रहे थे और ऐसा करते हुए उन्होंने गलती से भारतीय फोटोग्राफरों के कुछ थैलों की जांच करने की भी कोशिश की थी । प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि और ड्यूटी पर तैनात हमारे सुरक्षा कर्मचारियों ने जैसे ही यह देखा उन्होंने अमरीकी पक्ष का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया और अमरीकी पक्ष ने अपनी भूल महसूस की और फिर ऐसी जांच पड़ताल नहीं की ।

हैदराबाद में इलैक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इन्सट्रूमेंटेशन के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना

1525. **श्री धामनकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और स्वीडन सरकार की सहायता के साथ हैदराबाद में इलैक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिये एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यकारी एजेंसी) की सहायता के साथ हैदराबाद में इलैक्ट्रानिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिये एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का विचार है :—

(1) घरेलू इलैक्ट्रानिकी, औद्योगिक इलैक्ट्रानिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रानिकी और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उच्च कार्यकुशल तकनीशनों का प्रशिक्षण ।

(2) उक्त क्षेत्रों में अनुदेशकों का प्रशिक्षण ।

(3) इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र में अपग्रेडिंग और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

इस स्कीम पर विदेशी एजेंसियों द्वारा दिये गए अनुदानों सहित लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । इस स्कीम के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

दिल्ली में विभिन्न उद्योगों को जन उपयोग की सेवायें घोषित करना

1526. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री माधुर्य्य हालदार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 सितम्बर, 1974 को या उसके आस-पास दिल्ली के उप-राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों की 13 श्रेणियों को छः मास के लिये जन उपयोग की सेवायें घोषित कर दिया था और इस प्रकार उन उद्योगों में उक्त अवधि के लिये हड़तालों पर अपरोक्ष रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा इसके कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जन उपयोगी सेवाओं के संबंध में हड़तालों पर अपरोक्ष रूप से कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 (1) में निर्दिष्ट किया गया है, श्रमिकों का नियोजकों को 14 दिनों का हड़ताल संबंधी नोटिस देने का केवल एक दायित्व है।

अधिसूचना, जो कि 1 सितम्बर, 1974 से प्रभावी है और जो उद्योगों की 13 श्रेणियों को जन उपयोगी सेवाएं घोषित करती हैं, उन पिछली अधिसूचनाओं का विस्तारण है जो कि पहले समय-समय पर जारी की गई। ये उद्योग इस प्रकार के है कि जहां बिना पूर्व नोटिस के अचानक हड़ताल समुदाय को कठिनाई और असुविधा में डाल सकती है। इन उद्योगों को लोक हित में जन उपयोगी सेवायें घोषित किया गया था।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

1527. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में एल्यूमिनियम का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उद्योगों की एल्यूमिनियम की कुल मांग कितनी है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार एल्यूमिनियम की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों में हुए कुल एल्यूमिनियम उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	उत्पादन टनों में
1971-72	181,435
1972-73	174,774
1973-74	147,845
1974-75	125,000 (अनुमानित)

(ख) चालू वर्ष (1974-75) में एल्यूमिनियम धातु की अनुमानित आवश्यकता लगभग 2,00,000 टन की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में आयातित एल्यूमिनियम की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	आयात टनों में
1971-72	21,236
1972-73	1,664
1973-74	1,605.6

उत्तरी बंगाल में छोटा इस्पात कारखाना

1528. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल में इस्पात के छोटे कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव, जिसके लिये स्थान चयन सहित सभी प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी की जा चुकी थी, के त्यागने के क्या कारण हैं ; और

(ख) छोटे इस्पात कारखाने के लिये इन प्रारम्भिक व्यवस्थाओं को पूरा करने पर कुल कितनी राशी व्यय हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) संभवत: अभिप्राय मैसर्स सिलिगुरी स्टीलज लि० से है जिन्हें एक सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया है। स्थल के परिवर्तन के बारे में उनकी प्रार्थना पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जे० एन्ड के०, पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय एल्यूमिनियम नियम

1529. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० एंड के०, पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय एल्यूमिनियम निगम को अपने अधिकार में लेने का सरकार का विचार है ;

(ख) एक वर्ष पहले बन्द होने के बाद एल्यूमिनियम निगम को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) हानि को पूरा करने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) भारतीय एल्यूमिनियम निगम के मामलों का वस्तुपूरक मूल्यांकन करने के लिये सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन एक समिति गठित की है । इस समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।.सितम्बर, 1973 में इस संयंत्र के बन्द रहने के कारण एल्यूमिनियम धातु का लगभग 8,000 टन का उत्पादन हुआ ।

Number of Heavy Steel Plants

1530. **Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :**

(a) the total number of heavy steel plants functioning in the country;

(b) the number out of them, which are working to their full capacity; and

(c) the reasons for non-utilisation of full capacity by the remaining ones?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) At present 5 integrated steel plants are functioning in the country, namely, Bhilai Steel Plant, Durgapur Steel Plant and Rourkela Steel Plant under Hindustan Steel Limited and the steel plants of Indian Iron and Steel Company and Tata Iron and Steel Company at Burnpur and Jamshedpur respectively. Another integrated steel plant is being set up at Bokaro. Only a few units of this plant have been commissioned so far and the others are under erection.

(b) None of these plants is presently working to its full installed capacity.

(c) The lower utilisation of capacity at these plants during the last few years has been due to a variety of reasons differing from plant to plant and often from year to year. Broadly speaking, the main factors were the unsatisfactory working of coke even batteries, backlog of maintenance/inadequate maintanance leading to equipment torubles and break-downs; collapse of the steel melting shop roof of Rourkala Steel Plant in July, 1971, affecting the operation of the entire steel plant for, several months; inadequate replacement, repairs and maintenance programme in IISCO; disturbed industrial relations, particularly in the Durgapur Steel Plant and IISCO and/to some extent in the Rourkela Steel Plant; power restrictions/failures and severe power cuts/ interruptions, inadequate availability of coal,and serious dislocation in rail movement on account of intermittent slow down and industrial unrest in the Railway in 1973-74. In the current financial year, the production at these plants had to be regulated and kept low during the months, April-June, 1974, with a view to conserving stocks of raw materials, first on account of the possibility of the strike by the Railway employees and then on account of the strike itself and its after-math. There have been certain difficulties in regard to supply of power and coal also.

इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड राडार डिवेलपमेंट एस्टेबलिशिमेंट, बंगलौर द्वारा 'इलेक्ट्रोस्लीप उपकरण का बनाया जाना

1531. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स एण्ड राडार डिवेलपमेंट एस्टेबलिशमेंट, बंगलौर ने हाल में एक 'इलैक्ट्रो-स्लीप' उपकरण तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों में यह किस प्रकार काम करता है और आगामी तीन वर्षों में इसकी भावी मांग कितनी होगी ;

(ग) उपकरण की कार्य-क्षमता कितनी है ; और

(घ) क्या उपकरण तैयार करने के लिये गैर सरकारी फर्म को लाइसेंस देने का भी निर्णय किया गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) यह उपरकण नींद के रोग से ग्रस्त रोगियों पर इलैक्ट्रो-स्लीप उपचार करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है । यह उपकरण एक बार में एक रोग का उपचार कर सकता है ।

इस उपकरण की तकनीकी 'जानकारी' व्यावसायिक उपयोग के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास परिषद् (एन० आर० डी० सी०) को दे दी गई है । नया उपकरण होने के कारण इसकी मांग उन पार्टियों द्वारा आंकी जायेगी जिन्हें एन० आर० डी० सी० उक्त 'जानकारी' उपलब्ध कराएगी । अब तक एन० आर० डी० सी० ने इस जानकारी के लिये एक निजी फर्म को लाइसेंस दिया है । इस लाइसेंस की मुख्य शर्तों में एक मुश्त विनियम और निबल फैक्ट्री बिक्री पर आवर्ती रायल्टी का भुगतान है । इस लाइसेंस की अवधि 7 वर्ष है और यह गैर निबारक प्रकृति का है ।

हिन्द महासागर में अमरीकी युद्धपोत

1532. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी नौसैना के परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक 'एन्टरप्राइज' को हिन्द महासागर में रुसी नौसैना की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध करने के लिये अमरीका ने सातवें फ्लीट में लौट जाने का आदेश दिया है, जैसा कि "मैनिची शिम्बून"

(ख) क्या 75,000 टन का जहाज लगभग 30 आधुनिकतम एफ-14 टोमकैट सुपरसैनिक लड़ाकू विमान ले जायेगा जिन्हें एफ-14 फैंटम जैट विमानों के स्थान पर रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं ।

(ग) सरकार ऐसे किसी भी कार्य अथवा घटना पर गंभीर चिन्ता का भाव रखती है जो हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रतिकूल है ।

पश्चिम बंगाल में कंडोम निर्माण संयंत्र

1533. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक कन्डोम निर्माण संयंत्र की स्थापना के बारे में अन्तिम रूप से अपना निर्णय नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) कंडोमों की संपूर्ण मांग और धनराशि की उपलब्धता की दृष्टि से फरक्का (पश्चिम बंगाल) में एक अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में संशोधन

1534. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत "उद्योग" शब्द की परिभाषा में संशोधन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र

1535. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिये जिलावार स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई ; और

(ख) कैरा जिला के गांवों तथा कस्बों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन संपूर्ण राज्य के लिये योजनावार किया जाता है न कि जिलावार । जिलावार और विभिन्न ग्रामों तथा कस्बों के लिये आवंटन का वितरण स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाता है । 1973-74 और 1974-75 के दौरान गुजरात में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये नियत की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

	1973-74	1974-75
	(रुपये लाख में)	
ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्र . .	155.00*	152.50*
नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	26.00	14.85
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र ।	—	100.00**

*इसके अतिरिक्त 1973-74 के दौरान 18.81 लाख रुपये की ब्लाक सहायता और 1974-75 के दौरान पी० ओ० एल० के लिये और मुख्य मरम्मतों के लिये तथा विभिन्न वाहनों की प्राप्ति के लिये, जिनमें ग्रामीण केन्द्रों के लिये वाहन शामिल हैं, 13.80 लाख रुपये का भी निर्धारण किया गया था ।

**यह व्यवस्था 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है । 1973-74 में इसके लिये ऐसी कोई सहायता नहीं थी ।

गुजरात में खेतिहर मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं

1536. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिये सरकार ने अब तक किन-किन मुख्य कल्याण योजनाओं को अनुमोदित किया है ; और

(ख) इन योजनाओं में से आज तक किस-किस योजना को किस प्रकार क्रियान्वित किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, नई जमीन पाने वालों को, जिनमें अधिकांशतः भूमिहीन श्रमिक होंगे, अधिकार संबंधी स्थिति को दोष-रहित करने और निवेश संबंधी सहायता के लिये कार्यान्वियन तंत्र को सुदृढ़ करने के वास्ते एक योजना की परिकल्पना की गई है ।

चौथी योजना के दौरान गुजरात के बादोदरा (बड़ोदा) और वालसाद (बुलसार) जिलों में उपान्तस्थ काश्तकारों और कृषि श्रमिकों (उ० का० कृ० श्र०) संबंधी दो केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोजनाएं शुरु की गई थीं । उपान्तस्थ काश्तकारों और कृषि श्रमिकों संबंधी प्रायोजनाओं में सहायक व्यवसायों और गैर-मौसमी अवधियों के रोजगार पर बल दिया गया है क्योंकि संकीर्ण भूमि आधार के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश कुछ सीमित सी है । मजदूरों के रोजगार पैदा करने के लिये ग्रामीण कार्यों का एक छोटा सा संघटक भी शामिल किया गया था । ये ग्रामीण कार्य ऐसे हैं जो स्थानीय क्षेत्र में चल रहे अन्य मुख्य कार्यक्रमों को अवलम्ब प्रदान करते हैं, जैसे बाजारों गोदामों, सामुदायिक सिंचाई कार्यों आदि को जोड़ने वाली सड़कें । 1975-76 में समाप्त होने वाली पंच-वर्षीय प्रायोजना अवधि के लिये ग्रामीण कार्यों के कार्यक्रम के वास्ते गुजरात की इन दो प्रायोजनाओं में से प्रत्येक के लिये पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इनमें जो योजनाएं शामिल हैं वे सहायक/पहुंच-मार्गों, सामुदायिक तालाबों आदि से संबंधित हैं । सितम्बर, 1974 तक ग्रामीण कार्यों के कार्यक्रम के अधीन मजदूरी के रोजगार से वालसाद में लगभग 11,4700 और बादोदरा में लगभग 4,025 शरीक होने वाले लाभांन्वित हुए हैं ।

कृषि श्रमिकों को, दुग्धशाला, मुर्गीपालन, आदि जैसे पशु-पालन कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाता है । तथापि, ऐसे लाभनुभोगियों की संख्या मालूम नहीं है । गहन खेती से भी कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचने की आशा है क्योंकि इस प्रकार के विकास से उन्हें और पूर्ण रोजगार मिलेगा । तथापि इस प्रकार के लाभों की प्रमात्रा नहीं बताई जा सकती ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कृषि एक अनुसूचित रोजगार है । इस अधिनियम के अन्तर्गत, समुचित सरकार समय-समय पर कृषि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की मजदूरी दरें निर्धारित करती है।

सूखा उन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (जो पहले ग्रामीण कार्यों का कार्यक्रम था) कोई कल्याण संबंधी योजनाएं नहीं हैं । चौथी योजनाओं के दौरान यह एक रोजगार योजना थी । 1970-71 से 1973-74 तक चार वर्षों की अवधि वाले इस कार्यक्रम के लिये आरम्भ में 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे । तथापि, 1973-74 में बजट संबंधी बन्दिशों के कारण इसे घटाकर 84.88 करोड़ रुपये करवा लिया गया था । तथापि, बताया गया है कि राज्य सरकारों ने 88 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की है जिसके परिणामस्वरूप चौथी योजना की अवधि से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, रोजगार के 15 करोड़ से अधिक श्रम-दिनों की उत्पत्ति हुई है ।

तथापि, पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम का केन्द्र, रोजगार के उत्पादन से हट कर क्षेत्रीय विकास उन्नयन पर आ गया है । केन्द्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के लिये 187 करोड़ रुपये आवंटन निर्धारित किये गये हैं ।

इस कार्यक्रम में गुजरात के 10 जिले, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, शामिल हैं । चौथी योजना के दौरान सूखा उन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिये शुरू-शुरू में राज्य को कुल 14 करोड़ रुपये निर्धारित किये थे । बताया गया है कि राज्य सरकार ने कुल 10.73 करोड़ रुपये खर्च किये हैं जिसके परिणामस्वरूप चौथी योजना की अवधि के दौरान रोजगार के 149.61 लाख श्रम दिनों की उत्पत्ति हुई है।

सरसों के तेल का दिल पर प्रभाव

1537. **श्री वेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने समुचित रूप से अनुसंधान करने के पश्चात् यह कहा है कि लंबी अवधि तक सरसों के तेल के उपभोग की आदत दिल के लिए अच्छी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो जनता को शिक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे लोग इसके उपयोग में कमी करें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए कार्य से यह पता चला है कि बंदरों द्वारा अधिक मात्रा में सरसों का तेल खाने से उनके हृदय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इन निष्कर्षों का मानव शरीर के साथ क्या संबंध है इसका पता लगाने के लिए आगे और शोध करने की आवश्यकता है। यह परिषद् इस दिशा में शोध कार्य कर रही है।

(ख) यह कदम उठाने का अभी समय नहीं आया है।

पांचवीं योजना के दौरान गुजरात तट पर पत्तनों का विकास

1538. **श्री वेकारिया** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तट पर उन छोटे, मध्यम स्तर के और बड़े पत्तनों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पत्तन विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) प्रत्येक पतन के लिये कितनी कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कांडला का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास किया गया है और केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत पांचवीं योजना प्रारूप में साधन उपलब्ध होने पर कांडला में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है।

बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तन संविधान की समवर्ती सूची में हैं और उनके विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित समुद्रवर्ती राज्य सरकारों की है। चौथी योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन, प्रत्येक समुद्री राज्य से एक छोटे पत्तन के विकासार्थ ऋण सहायता दी गई। इस योजना के

अन्तर्गत गुजरात में पोरबन्दर शामिल किया गया पांचवीं योजना में, इसी योजना के अन्तर्गत छोटे पत्तनों के विकास के लिये व्यवस्था चौथी योजना की आगे लाई गई योजनाओं तक सीमित है, जिसमें पोरबन्दर शामिल है और ऐसी योजनाओं के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। अन्य छोटे पत्तनों, जो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते, विकास के लिये व्यय राज्य सरकार को अपनी राज्य योजनाओं में से पूरा करना होगा।

पश्चिम बंगाल में तालाबन्दी के कारण जन दिवसों की हानि

1539. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मार्च, 1972 के पश्चात् तालाबंदी के कारण महीनेवार कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई; और

(ख) किन-किन संस्थानों में तालाबदी की घोषणा की गई तथा क्या उनमें से कोई संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र में भी है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) संलग्न विवरण, पश्चिम बंगाल में तालाबंदियों की संख्या, महीने के अनुसार और इनके कारण मार्च, 1972 से अगस्त, 1974 तक क्षति हुए श्रम-दिनों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना का खुलासा करता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8535/74]** उपर्युक्त अवधि के दौरान, एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, अर्थात्, हिंदुस्तान केबल्स, बर्दवान, में केवल एक तालाबन्दी की सूचना दी गई थी।

असैनिक कार्यों के लिए सैनिकों को तैनात किया जाना

1540. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आपातकालीन स्थितियों तथा विपत्ति के समय सैनिकों को असैनिक कार्यों के लिए तैनात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी असाधारण परिस्थितियों के मुख्य संकेत क्या हैं; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में 1972, 1973 और 1974 के दौरान इस प्रकार तैनात किए गए सैनिकों के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित परिस्थितियों में सिविल प्राधिकारियों के अनुरोध पर सैनिकों को असैनिक कार्यों के लिए तैनात किया जाता है :—

(1) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए।

(2) आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए।

(3) बाढ़, तुफान, भूचाल और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान।

(4) विकास परियोजनाओं के लिए सहायता सहित अन्य प्रकार की सहायता।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8536/74]**

उड़ीसा और बिहार में गैर सरकारी क्षेत्र में लोह अयस्क खानों का कार्यकरण

1541. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार के बड़ाजामदा क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के गैर-रक्षित खान मालिकों और सरकार के बीच भावी कार्यकरण के बारे में कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) लोह अयस्क बोर्ड ने एक समिति बनाई थी जिसका काम अन्य बातों के साथ-साथ बड़ाजामदा में लोह अयस्क के निक्षेपों विकास के बारे में सिफारिशें करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों को विकास के लिए चुना है जिससे पांचवीं, छठी तथा सातवीं योजनावधियों में इस क्षेत्र से लोह अयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। लोह अयस्क बोर्ड ने पांचवीं योजनावधि में जिन क्षेत्रों को और अधिक विकास करने के लिए चुना है उन क्षेत्रों की पट्टेदारी गैर-सरकारी पार्टियों से बातचीत आरंभ कर दी है।

दिएगो गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे के बारे में ब्रिटेन के साथ पत्र व्यवहार

1542. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंद महासागर के दिएगो गार्शिया द्वीप में अमरीकी नौसैनिक तथा हवाई अड्डे के विकास के प्रस्ताव के बारे में भारत ने ब्रिटेन से चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(ग) क्या अब तक कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उत्तर का सार क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यू० के० की सरकार ने बताया है कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

भारत-पाक द्विपक्षीय वार्तायें

1543. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री राज सिंह देव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान विभिन्न शेष मामलों पर वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हो गया है और क्या वह कश्मीर को एक पहली शर्त न बनाने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान ने शिमला करार में लिखित सामान्यीकरण के विभिन्न उपायों पर अमल करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। जैसा कि सदन को मालूम है कि 14 सितम्बर को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित विषयों के करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(1) डाक वस्तुओं का विनिमय

(2) दूर-संचार करार

(3) वीजा करार

(4) धार्मिक पूजास्थानों की यात्रा पर प्रोतोकोल।

पाकिस्तान सरकार के साथ इसी महीने ऊपरी हवाई उड़ानों सहित हवाई कड़ी फिर से जोड़ने और व्यापार पुनः आरम्भ करने के विषयों पर नए करारों को अंतमि रूप दिए जाने के संबंध में बातचीत हो रही है।

कश्मीर के बारे में, शिमला करार में व्यवस्था है कि सामान्यीकरण के उपायों पर अमल करने के बाद और स्थायी शांति की स्थापना के संदर्भ में द्विपक्षीय वार्ता की जाए।

कानपुर ग्लूकोस काण्ड के बारे में जांच कार्य का पूरा होना

1544. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और अन्य स्थानों पर नकली दवाइयों और ग्लूकोस के उत्पादन के मामले में आरम्भ कराया गया जांच कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) क्या जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई है और यदि नहीं, तो किस एजेंसी द्वारा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) कानपुर ग्लूकोस काण्ड के बारे में सभी दोषियों के विरुद्ध एक शिकायत कानपुर न्यायालय में दर्ज कर दी गई है। अपराध अन्वेषण विभाग (सी०आई०डी०) की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है नकली दवाइयों के निर्माण को रोकने के लिए अलग से कोई जांच नहीं की जा रही है।

(ग) राज्य अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारियों की मजूरी तथा उनकी कार्य की शर्तें

1545. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारियों की मजूरी तथा कार्य की शर्तों में संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कार्य मूल्यांकन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी हां।
(ख) जी नहीं।
(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान समुद्र में नौसैनिक अड्डा बनाने का थाईलैण्ड का निर्णय

1546. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या थाईलैण्ड ने अण्डमान समुद्र में नौसैनिक अड्डा बनाने का निर्णय किया है जैसा कि आल इंडिया रेडियो ने 13 सितम्बर, 1974 को समाचार प्रसारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सरकार को इस खबर की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

विशिष्ट व्यक्तियों के लिए औषधियां

1547. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 सितम्बर, 1974 के नई दिल्ली के एक दैनिक समाचार पत्र में "ड्रग्स फार वी०आई०पीज० एण्ड नाट फार अदर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) यह बात ठीक है कि दिल्ली के अस्पतालों में समय-समय पर दवाइयों की कमी होती रहती है। इसका कारण इस प्रकार है :—

(1) दवाइयों के आयात के लिए निर्माताओं को अपर्याप्त आयात लाइसेंस दिया जाना ;

(2) शीशियों का न मिलना।

(3) भारतीय खाद निगम द्वारा अमोनिया सल्फेट जैसी वस्तुओं का न दिया जाना।

(4) कतिपय नलीदार चीजों की अपर्याप्त सप्लाई।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औषधियों का न मिलना/सीमित मात्रा में मिलना।

इस मामले पर सभी उचित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(1) आर्थिक मामलों का विभाग कम मात्रा में मिलने वाली जीवन रक्षक औषधियों के आयात के लिए और लायसेंस देना मान गया है।

(2) शीशियों की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठा लिए गए हैं।

(3) खाद्य और कृषि मंत्रालय और अधिक अमोनियम सल्फेट देने के लिए राजी हो गया है। ताकि औषध यूनिटों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

(4) देश की तात्कालिक ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए 10 टन क्लोरोक्वीन फास्फेट हवाई जहाज से लाने का निर्णय किया गया है।

Chinese Propaganda against India regarding Sikkim

1548. **Shri Hari Singh :**
Shri C. K. Chandrappan :

Will the Minister of **External** Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the recent propaganda of China against India regarding Sikkim; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the steps taken against tarnishing the image of India by China abroad?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have maintained that Indo-Sikkim relations lie outside the purview of any other country. Suitable steps have been taken to keep our Missions and the countries of their accreditation fully informed of developments in Indo-Sikkim relations. India's position has been generally accepted internationally.

शिमला समझौते का पुनर्विलोकन

1549. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ग्रौर पाकिस्तान ने हाल में उपयुक्त क्रियान्वित के लिए शिमला समझौते का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) क्या इस पुनर्विलोकन के कारण मुख्य समझौते में कोई नई बात जोड़ी जानी है ग्रथवा उसमें निकाली जानी है ; ग्रौर

(ग) शिमला समझौते को किन-किन दिशाग्रों में लागू किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से इसके विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए भारत ग्रौर पाकिस्तान के बीच कई बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में ग्रावश्यकतानुसार क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) शिमला समझौते के विभिन्न प्रावधानों में से पैरा 4 का क्रियान्वयन यानी 17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध विराम के परिणामस्वरूप जम्मू ग्रौर काश्मीर में नियंत्रण रेखा का ग्रंकन तथा भारतीय ग्रौर पाकिस्तानी सेनाग्रों का ग्रपनी ग्रपनी तरफ की ग्रंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापसी दिसम्बर, 1972 में संपन्न हुई। दिल्ली समझौते तथा बंगलादेश, भारत ग्रौर पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के फलस्वरूप युद्धबंदियों ग्रौर ग्रसैनिक नज़रबंदों का, जिन्होंने बंगलादेश में संयुक्त कमान के समक्ष ग्रात्मसमर्पण किया था, देश प्रत्यावर्तन 30 जून, 1974 तक संपन्न हो गया। शिमला समझौते के पैरा 3 में उल्लिखित सामान्यी-करण के विविध उपायों पर ग्रमल किया जा रहा है ग्रौर डाक वस्तुग्रों के ग्रादान-प्रदान तथा दूर-संचार

सेवा संबंधी समझौते पर और बीज़ा विषयक समझौते पर इस्लामाबाद में 14 सितम्बर, 1974 को हस्ताक्षर हो गये हैं। हवाई संपर्क फिर से चालू करने के संबंध में, जिसमें एक दूसरे के विमानों की एक दूसरे देश के ऊपर से उड़ाने भी शामिल हैं, वार्ता 18 नवम्बर को शुरू हुई है और पाकिस्तान के साथ व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वार्ता इस महीने के अन्त में होने वाली है।

सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मध्य प्रदेश में चूना पत्थर तथा बाक्साइट निक्षेपों को निकाला जाना

1550. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के विस्तृत क्षेत्र में विद्यमान चूना पत्थर, और बाक्साइट के विशाल निक्षेपों को सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा निकाले जाने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में यह कार्य आरंभ कर दिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा प्रतिरक्षा पर व्यय

1551. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रतिरक्षा कार्यों पर किए जा रहे कथित अधिक व्यय की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तान अपने कुल राजस्व खर्च का अब लगभग 51.4% रक्षा पर व्यय कर रहा है जो उसके जी०एन०पी० का लगभग 9% भी होता है। ऐसी सूचना है कि उसका रक्षा व्यय का बजट 1971-72 में 340 करोड़ रुपए से 1974-75 में 557.90 करोड़ रुपए बढ़ गया है।

(ख) हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी संबंधित गतिविधियों की लगातार समीक्षा की जाती रहती है।

विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र

1552. **श्री राम सहाय पांडेय** :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में विशाखापत्तनम में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के संबंध में सरकार पुनः विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मच्छरों द्वारा फैलाये जाने वाले ज्वर से भारत को खतरा

1553. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में 'मोस्कीटो फीवर पोजिज डेंजर टू इंडिया' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां। यह समाचार डेंग्यू हैमोरेजिक ज्वर के बारे में है।

(ख) पिछले दशक में देश के कुछ शहरी क्षेत्रों में डेंग्यू हैमोरेजिक ज्वर की छुट-पुट घटनाएं हुई हैं। इनका कारण एडीच-मच्छर बतलाये जाते हैं। ये मच्छर वे वेक्टर हैं जो आमतौर पर घरों में जमा हो जाने वाले पानी में पैदा होते हैं। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन मच्छरों के पैदा होने के ऐसे स्थलों को समाप्त करने के लिए कदम उठाये ताकि ये मच्छर पैदा ही न हो सकें।

ब्रिटेन को जहाजों का निर्यात

1554. **श्री सी० जनार्दनन** :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री धामनकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन को जहाज निर्यात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) यू० के० की एक फर्म ने प्रत्येक 16000 जी०आर० टी०/21500 डी० डब्लू० टी० (लगभग) के पांच जहाज जो प्रायः पायनीयर श्रेणी के जहाज कहे जाते हैं, के लिये आदेश देने में रुचि दिखाई थी और इस बारे में हिन्दुस्तान शिपयार्ड से कुछ बातचीत भी की थी। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

चांदीपुर प्रूफ एण्ड इस्टेब्लिशमेंट हाउस से गुम हुए अधुनातन टेलिस्कोप का बरामद किया जाना

1555. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के चांदीपुर प्रूफ एण्ड इस्टेब्लिशमेंट हाऊस से गुम हुए बहुत दूरी तक दिखाने वाला अधुनातन टेलिस्कोप बरामद कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रंगे हाथ पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) दूरबीन को राज्य पुलिस द्वारा बालासोर प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंटल इस्टेब्लिशमेंट के एक भूतपूर्व कर्मचारी के घर से 29 अप्रैल 1974 को प्राप्त किया गया था। पुलिस की जांच पड़ताल के परिणाम स्वरूप उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के उस भूतपूर्व कर्मचारी तथा वर्तमान दो कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिए हैं।

लघु इस्पात संयंत्र के लाभ

1556. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाल आकार के संयंत्रों की तुलना में लघु इस्पात संयंत्र के क्या आधारभूत लाभ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : संभवतः अभिप्राय लोह खनिज का इस्तेमाल करने वाले सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के मुकाबले में कच्चे माल के रूप में फैरस स्क्रैप का इस्तेमाल करने वाली विद्युतचाप भट्टियों के लाभ के बारे में है। यदि ऐसा है तो यह स्पष्ट कर दिया जाए कि विद्युत चाप भट्टी इकाइयां सर्वतोमुखी लोहा और इस्पात कारखानों की पूरक इकाइयां हैं और इनका उत्पादन मुख्यतः छड़ें और गोल छड़ें तैयार करने के काम में लाया जाता है।

इसके अलावा स्क्रैप तथा बिजली की सीमित उपलब्धि विद्युत चाप भट्ठी इकाइयों की कुल क्षमता के सृजन में बाधक है। फिर भी इन बाधाओं के बावजूद विद्युत चाप भट्ठी इकाइयों के कुछ लाभ हैं अर्थात् (1) इनमें पूंजी निवेश कम होता है, (2) पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में कम समय लगता है और (3) इन इकाइयों से कुछ स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और इसलिए यातायात पर कुछ कम बोझ पड़ता है। इसके अलावा विद्युत चाप भट्टी इकाइयां लगाने में जिन उपस्करों की आवश्यकता पड़ती है वे समस्त उपस्कर देश में उपलब्ध हैं।

Non Deposit of E.P.F. By Delhi Municipal Corporation

1557. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of Labour be pleased to state ;

(a) whether amount of Rs. 1 crore of Delhi Municipal Corporation employees was not deposited in the Employees Provident Fund; and

(b) if so the reaction of Government thereto and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Provident Fund Authorities have reported that the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course

वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान आए शरणार्थियों की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति

1558. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कुल कितने शरणार्थी भारत आये और भारत में सरकारी नौकरी कर रहे हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ कर्मचारियों को अपने कार्यों में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी राजस्थान और गुजरात राज्य सरकारों से मांगी गई है और जैसे ही यह प्राप्त हो जाएगी सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

रॉयल थाई नेवी के कमांडर-इन-चीफ से बातचीत

1559. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रॉयल थाई नेवी के कमांडर-इन-चीफ ने भारत का दौरा किया था।

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा उनके साथ किन विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) थाई रक्षा अधिकारियों को भारत में किस प्रकार की सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं इत्यादि प्रदान की जायेंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) नौसेनाध्यक्ष के साथ मुख्य वार्ता हुई जिसमें आपसी सैनिक हितों पर विचार-विमर्श हुआ।

(ग) भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के तटीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और डिफेंस सर्विस स्टाफ कालेज में कुछ प्रशिक्षण सुविधाएं देने की पेशकश की हैं, जैसे कि अन्य मित्र देशों को पेशकश की जा रही है।

आयुध कारखानों में उत्पादन और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए आयात

1560. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने आयुध कारखाने कार्य कर रहे हैं ;

(ख) देश की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को यह कारखाने किस सीमा तक पूरा करते हैं ;

(ग) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विदेशों से किस प्रकार के गोला-बारूद आयात किये जा रहे तथा इन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ; और

(घ) आवश्यकताओं को स्वदेशी स्तर पर पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय देश में 30 आर्डनेंस कारखाने कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन कारखानों में फेरोस गैर-फेरोस, धातुओं, एलायसज, विस्फोटक छोटे हथियार मशीन गन, फील्ड गन के स्वचालित रायफल, रिकायलैस गन, विमान रोधी गन, डप्थ चार्जज पनडुब्बी रोधी अस्त्र, ट्रक, गश्ती मोटर गाड़ियां, मशीन के औजार, डपकरण, जनरल स्टोर पुल और बेड़ों का निर्माण किया जाता है। इन मदों का निर्माण रक्षा सेवाओं द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) आयातित हथियारों और गोला-बारूद की किस्म और मात्रा के संबंध में ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) सरकार की नीति महत्वपूर्ण रक्षा उपस्करों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की है। तदनुसार, विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम रक्षा उपकरण के स्वदेशी निर्माण के कार्यों को उत्तरोत्तर हाथ में लिया गया है।

हरियाणा में अविवाहित युवकों का नसबंदी आपरेशन

1562. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हरियाणा में सोनीपत के खरखोदा ग्राम में कई अविवाहित युवकों को नसबंदी आपरेशन कराने के लिए बाध्य किया गया ;

(ख) क्या खरखोदा ग्राम के लोगों ने इस अवैध नसबन्दी के विरुद्ध एक दिन की हड़ताल की थी ; और

(ग) संबद्ध जिम्मेदार व्यक्तियों को दंड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ दुकानें बंद की गई थी, हालांकि उनके विरोध का कोई आधार नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे हुगली पुल का डिजाइन

1563. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित दूसरे हुगली पुल के डिजाइन पर विभिन्न विदेशी परामर्शदाताओं के बीच नये विवाद उत्पन्न हो गये हैं;

(ख) यदि परामर्शदाता सहमत नहीं हुए तो उस स्थिति में मामले को कैसे निपटाने का विचार है; और

(ग) किस सीमा तक विलम्ब होने की संभावना है तथा निर्माण कार्य आरंभ करने में लागत कितनी बढ़ेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) राज्य सरकार जो मामले में मुख्यतः संबंधित है, से अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस के बदले मजूरी का भुगतान

1564. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों ने जिन्हें गैर-सरकारी स्टेवेडोर फर्मों ने रोजगार पर लगाया था, वर्ष 1973 में बोनस के बदले 37 दिन की मजूरी प्राप्त की थी;

(ख) क्या उन्होंने इस वर्ष भी इतनी ही राशि की मांग की थी;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें मजूरी के 8.93 प्रतिशत के बराबर से अधिक राशि नहीं मिलेगी; और

(घ) वर्ष 1973-74 के दौरान गोदी कर्मचारियों के अधिक कार्य तथा बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत अदायगी से उन्हें वंचित रखने को ध्यान में रखते हुए, सरकार के इस दृष्टिकोण के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड के रजिस्टर्ड गोदी कर्मचारियों को 1972-73 वर्ष के लिये 37 दिनों की औसत आय के बराबर बोनस के बदले अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) चूंकि गोदी कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते अतएव यह फैसला किया गया है कि उन्हें 1973-74 के लिये कम से कम अर्थात् 8⅓ प्रतिशत से अधिक दर पर बोनस के बदले अनुग्रहपूर्वक भुगतान नहीं किया जा सकता। यह बता दिया जाए कि 1972-73 की तुलना में 1973-74 में कलकत्ता में गोदी कर्मचारियों द्वारा माल की कुल धराउठाई में कोई सुधार न था।

संयुक्त राज्य अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा डिएगो गार्सिया के मामले पर बातचीत

1565. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के दिनांक 16 दिसम्बर, 1971 के संकल्प, जिसमें हिंदमहासागर को 'शांति क्षेत्र' कहा गया है, के उल्लंघन में डिएगो गार्सिया को पूर्ण रूपेण सैनिक अड्डा बनाने की अमरीका सरकार की योजना के बारे में अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट की हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान उनके साथ कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का सारांश क्या है और अमरीका की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) अड्डे की स्थापना पर भारत सरकार की चिंता अमरीकी विदेश मंत्री के सामने प्रकट की गई थी। उन्होंने अमरीका के इस विचार को पुनः दोहराया कि यह भारत को अथवा किसी तटवर्तीय देश को धमकी नहीं है।

साइप्रस समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्ताव

1566. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गुटनिरपेक्ष समूह के कुछ अन्य राष्ट्रों के साथ साइप्रस समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार किये हैं और वे राष्ट्र संघ को प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस प्रकार के हैं और उनके मंजूर किये जाने की क्या संभावना है; और

(ग) सुरक्षा परिषद के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों का प्रस्तावों के प्रति क्या रुख है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पांच निर्गुट राष्ट्र दल द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मसविदे में सभी देशों से कहा गया है कि वे साइप्रस गणराज्य की प्रभुसत्ता, स्वाधीनता, प्रादेशिक अखंडता और गुट निरपेक्षता का आदर करें; साइप्रस गणराज्य से विदेशी सैनिकों, कर्मचारियों और सभी विदेशी सशस्त्र सेनाओं को जल्दी हटाया जाए; संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सद्भावना से, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच संपर्क

और वार्ता हो। उसमें यह भी कहा गया है कि सभी शरणार्थी सुरक्षापूर्वक अपने-अपने घरों को लौटें और यह आशा व्यक्त की है कि अगर आवश्यक हो तो प्रस्ताव की व्यवस्थाओं पर अमल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अन्दर और प्रयास किए जा सकते हैं, जिनमें बातचीत करना भी शामिल है। इस तरह साइप्रस गणराज्य की स्वाधीनता, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता के मूलभूत अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह प्रस्ताव महासभा द्वारा 1 नवम्बर, 1974 को पास कर दिया गया, इसके पक्ष में 117 मत पड़े, विरोध में कोई मत नहीं पड़ा और न कोई अनुपस्थिति रही। सुरक्षा परिषद् के सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया।

भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन के अधिकारियों का घेराव

1567. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना को समय पर पूर्ण करने में भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन की असफलता के लिए बम्बई में उत्तेजित भीड़ ने हाल ही में कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों का घेराव किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। कोंकण परिषद् कार्यवाही समिति के कुछ सदस्य 23 अक्टूबर, 1974 को रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना के मुख्य सिविल इंजीनियर से उनके बंबई स्थित कार्यालय में मिले और उन्होंने रत्नगिरि एल्यमिनियम परियोजना के निर्माण कार्य के आरंभ होने में देरी का विरोध किया। यही सदस्य 29 अक्तूबर, 1974 को महाराष्ट्र सरकार के उद्योग तथा श्रम विभाग के सचिव के कमरे में परियोजना के विशेष कार्य अधिकारी से उनके बंबई दौरे के समय मिले और यही मांगें उनके सामने रखीं। निर्माण कार्य आरंभ करने में हुई देरी के बारे में सही स्थिति बताये जाने पर वे लोग शांतिपूर्वक चले गए।

रत्नागिरि परियोजना का पूरा होना

1568. **श्री शंकर राव सावन्त :**

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रत्नागिरि स्थित एल्यूमिनियम परियोजना पर अब तक कितना काम हुआ है और 31 मार्च, 1975 से पूर्व कितना काम करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस परियोजना पर काम को धीमा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) से (ग) सरकार ने 78.825 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की रत्नागिरि एल्यूमिनियम परियोजना को अप्रैल, 1974 में स्वीकृति दे दी है। पांचवीं योजना में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है तथापि,

चालू वर्ष में धन की उपलब्धि न होने के कारण केवल एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। परियोजना को पूरा करने के कार्यक्रम का निश्चय, धन उपलब्धि की स्थिति साफ हो जाने पर ही किया जा सकेगा ।

इज़राइल, तैवान तथा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के साथ राजनैतिक संबंध

1569. **श्री शंकर राव सावन्त:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इज़रायल, राष्ट्रवादी चीन (तैवान), उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के साथ हमारे किस प्रकार के राजनैतिक संबंध हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : इन देशों के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों का साररूप इस प्रकार प्रस्तुत है :--

(i) **इज़रायल :** इज़रायल के साथ भारत के कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं।

(ii) **ताइवान (राष्ट्रवादी चीन) :** भारत ताइवान को मान्यता नहीं देता। इसलिये ताइवान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों का प्रश्न नहीं उठता।

(iii) **वियतनाम लोक गणराज्य (उत्तरी वियतनाम) :** वियतनाम लोक गणराज्य के साथ हमारे राजदूतावास-स्तर के राजनयिक संबंध हैं।

(iv) **वियतनाम गणराज्य (दक्षिणी वियतनाम) :** वियतनाम गणराज्य के साथ हमारे कौंसली-स्तर के संबंध हैं ।

मालवाही जहाजों को अदा किया गया विलम्ब शुल्क

1571. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन महीनों के दौरान कुल कितने मालवाही जहाज किन-किन देशों से भारतीय बंदरगाहों पर आए ;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान सरकार द्वारा उन जहाजों को विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी राशि अदा की गई ; और

(ग) विलम्ब शुल्क अदा करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में अनियमितताएं

1572. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत चार वर्ष में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के कार्यकरण जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी अनियमिततायें सरकार के ध्यान में आई हैं ; और

(ग) इस उपक्रम का कार्यकरण सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र का संस्थान है। इस संस्थान के बारे में किसी प्रकार की अनियमितता इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आयी है। अतः इसके काम-काज के बारे में जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर के प्रश्न पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव

1573. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है,कि निकट भविष्य में कश्मीर के प्रश्न पर द्विपक्षीय वार्ता की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) खबर है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बयान दिए हैं कि पाकिस्तान शिमला करार के अन्तर्गत कश्मीर पर बातचीत करने को तैयार है।

(ख) कश्मीर और शिमला करार के बारे में भारत के विचार सर्वविदित हैं। शिमला करार में व्यवस्था है कि सामान्यीकरण के उपायों पर अमल करने के बाद और स्थायी शांति की स्थापना के संदर्भ में कश्मीर पर द्विपक्षीय वार्ता की जाए। जैसाकि सदन को मालूम है कि सामान्यीकरण के उपायों के अमल पर वार्ता अभी पूरी होनी है।

दक्षिण एशिया को अणु रहित क्षेत्र बनाने का पाकिस्तान का राष्ट्र संघ में प्रस्ताव

1574. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 21 अगस्त, 1974 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित वह समाचार देखा है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा है कि राष्ट्र संघ महासभा को दक्षिण एशिया को अणु रहित क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान चाहेगा कि महा सभा दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार से मुक्त क्षेत्र की धारणा को स्वीकार कर ले, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र के देशों के परमाणु कार्यक्रमों की जांच और निरीक्षण की योजना भी सम्मिलित होगी।

(ग) भारत सरकार के विचार में इस प्रस्ताव को रखने में पाकिस्तान का उद्देश्य साफ तौर पर प्रचार करना है। इस उद्देश्य से कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ठीक निर्णय ले, भारत ने एक प्रारूप प्रस्ताव रखा है जिसमें संबद्ध देशों से परामर्श के बाद एशिया के उचित क्षेत्र में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर ठोस रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

फिलीस्तीन मुक्ति संगठन द्वारा निर्वासित सरकार का गठन करना

1575. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री सरजू पांडे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा श्री अराफत के नेतृत्व में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के साथ किसी स्तर पर कोई संपर्क रखा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन द्वारा निर्वासित सरकार की स्थापना किए जाने के निर्णय का पता है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान संदर्भ में फिलीस्तीनी प्रश्न के बारे में भारत सरकार का क्या मत है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) फिलीस्तीनी प्रश्न के समर्थन में भारत सरकार के सुविदित विचारों को ध्यान में रखते हुए राजनयिक सूत्रों के जरिये पी० एल० ओ० नेताओं से संपर्क रहा है जैसाकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र में "फिलस्तीन के प्रश्न" नामक शीर्षक के मद को हाल में अन्य देशों के साथ भारत द्वारा प्रस्तुतीकरण से सिद्ध होता है। दिल्ली में भी अरब लीग का एक कार्यालय है जो फिलस्तीनी मामलों का और पी० एल० ओ० से संबद्ध कार्य करता है।

(ख) सरकार को इस आशय की रिपोर्टों की जानकारी है।

(ग) सरकार के विचार सर्वविदित हैं। पश्चिम एशियाई समस्या का तब तक न्यायोचित समाधान नहीं हो सकता जब तक कि इसराईल सशस्त्र आक्रमण द्वारा हथियाए गए सभी अरब प्रदेशों को खाली नहीं कर देता और फिलिस्तीनी लोगों को उनका न्यायोचित अधिकार नहीं दे देता।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के समुद्री विभाग में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर देय राशि के बारे में निर्णय करने में विलम्ब

1576. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के समुद्री विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर देय राशि के बारे में निर्णय करने में असाधारण विलम्ब होता है;

(ख) गत तीन वर्षों में किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति और उसको देय राशि के भुगतान में न्यूनतम तथा अधिकतम कितना समय लगा; और

(ग) क्या कलकत्ता के बाहर से आने वाले कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिये कोई विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उनको इस प्रयोजन के लिये बार-बार कलकत्ता आने की आवश्यकता न हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) पूरे कागजातों के प्राप्त होने पर भुगतान सामान्यतः छः महीने के अन्दर कर दिये जाते हैं। मृत कर्मचारियों से संबंधित देय राशि के मामलों में पुलिस की तसदीक रिपोर्ट मिलने और संपदा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने में समय लगने के कारण कुछ विलम्ब हो जाता है।

(ग) पैंशन की देय राशि के लिये आयुक्त पत्तन आयुक्त भविष्य निधि तथा पैंशन के नियमों में कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के लिये विशेष रूप से विचार करने की व्यवस्था नहीं है। परन्तु पत्तन आयुक्तों द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जाता है ताकि संबंधित कर्मचारियों को कोई कठिनाई न हो।

देश में हौम्योपैथिक इलाज को लोकप्रिय बनाना

1577. **डा० सरदीश राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में होम्योपैथिक इलाज को लोकप्रिय बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित कदम पहले ही उठा लिये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली में पहले ही तीन होम्योपैथिक औषधालय चल रहे हैं जो राजधानी में रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का होम्योपैथिक इलाज करते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लागू है, अधिक औषधालय नहीं खोले जा सके हैं। चिकित्सा राज्य का विषय है। इसलिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में होम्यो-पैथिक औषधालय खोलें। कुछ राज्यों ने इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठा लिये हैं।

(2) उन स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथिक औषधालय नहीं हैं केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्या नियमावली के अन्तर्गत होम्यो-पैथिक उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

(3) कुछ विशिष्ट रोगों के उपचार और उनसे संबंधित अनुसंधान कार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान खोल दिया है। साथ ही होम्योपैथिक चिकित्सा का एक राष्ट्रीय संस्थान खोलने का भी प्रस्ताव है। इस संस्थान में एक पूरा अस्पताल काम करेगा।

(4) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला खोली जा रही है जो होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला का भी काम करेगी।

(5) देश के बहुत से अंडर ग्रेज्युएट होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के विकास के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

(6) होम्योपैथी की दवाइयों सही रूप में मिलती रहें इसके लिए एक होम्योपैथिक भेषज समिति बना दी गई है जो भारत की होम्योपैथिक भेषज संहिता तैयार करेगी। 180 दवाइयों के मानक वाला पहला खंड छप चुका है और सौ दवाइयों वाला दूसरा खंड छपने के लिये जा रहा है। तीसरे खंड का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है।

Geological Survey in Rajasthan

1578. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of places in Rajasthan where geological survey is being conducted;

(b) the results of survey so far; and

(c) the next step to be taken by Government in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) In the current annual field programme (1974-75) of the Geological Survey of India, Geological Mapping is being carried out in almost all the districts of Rajasthan. Regional Mineral investigations proposed to be carried out in different districts are for base-metal and Polymetallic ores in Jaipur, Sikar, Alwar, Banswara, Udaipur, Bhailwara, Ajmer, Pali, Bharatpur and Jhunjhunu; Bauxite in Kota and Jhalawar; Mica in Bhilwara, Graphite in Banswara; Phosphorite in Udaipur, Fluorite in Dungarpur and Udaipur, Wollastonite in Pali, Sirohi, Udaipur; Fuller's earth, Bentonite, Siliceous earth and Glass Sand in Jaisalmer.

(b) As a result of the surveys carried out so far in Rajasthan, the estimated reserves of the major mineral deposits are of the order of 133.81 million tonnes of Copper ore, 53 million tonnes of Lead-Zinc ore, 16 million tonnes of iron ore, 7,335.55 million tonnes of limestone, 101 million tonnes of Dolomite, 48.43 million tonnes of Phosphorite, 1103.13 million tonnes of Gypsum, 66.90 million tonnes of Bentonite, 28.86 million tonnes of China Clay, 5.197 million tonnes of Fireclay, 239.34 million tonnes of Fuller's earth, 75.912 tonnes of Barytes, 2.475 million tonnes of Steatite, 80.34 million tonnes of Pyrite-Pyrrhotite, 4,000 tonnes of Vermeculite, 62 million tonnes of Wollastonite and 20.30 million tonnes of Lignite.

(c) Some of the deposits located till now, are already under exploitation and about the rest, a view can be taken only after establishing economic feasibility, pattern and growth of demand and availability of infra-structure facilities.

भारतीय जहाजों के विदेशी व्यापार में गिरावट

1579. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जहाजों में विदेशी व्यापार में गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में वर्षवार कितनी गिरावट आई है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) विदेश व्यापार में भारतीय जहाजों के योगदान की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं, हाल ही में हमारे विदेशी व्यापार के वहन में भारतीय नौवहन का हिस्सा बढ़ गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय व्यापार बेड़े के विस्तार और हमारे पत्तनों के विकास से हमारे विदेशी व्यापार में भारतीय जहाजों के हिस्सों की वृद्धि करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

1580. **श्री धामनकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में औद्योगिक श्रमिकों के बारे में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों और निर्णयों पर विचार करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने में कितने समय लगेगा ;

(ख) क्या सम्मेलन के सुझाव के अनुसार न्यूनतम मजूरी अधिनियम में बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल मंहगाई भत्ते को आवश्यक रूप से जीवन-निर्वाह सूचकांक के साथ संबद्ध करने, पुरुष एवं महिला श्रमिकों के लिए मजूरी की एक समान दरें नियत करने, उनकी कानूनी सहायता देने ताकि वे कानूनी विवादों की पैरवी कर सकें और न्यूनतम मजूरी का भुगतान न करने को प्रज्ञेय अपराध मानने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जायेगा ; और

(ग) क्या सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) ये निर्णय सितम्बर, 1974 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 25वें अधिवेशन में लिए गए थे। इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम पर दृढ़ रहना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, व्यवहार्य हद तक तथा सम्मेलन के मार्गदर्शन के अनुसार इस के कुछ निर्णयों की कार्यान्विति के लिए कुछ समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। ये बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी दरों के संशोधन, आंध्र प्रदेश में जूट उद्योग में मजदूरी के मानकीकरण के लिए स्थापित की गई समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुत करने, और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय सं० 100 की कार्यान्वित में असंगतियों को हटाने से संबंधित हैं।

यूनिफार्म टैस्ट स्टैंडर्ड

1581. **श्री धामनकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में "यनिफार्म टेस्ट स्टैण्डर्ड अर्ज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) सभी जन विश्लेषकों और खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सलाह दी है कि वे खाए जाने वाले तेलों, विशेषकर सरसों के तेल के बारे में परीक्षण के एक समान तरीके अपनायें।

रक्षा अधिकारियों की सेवा निवृति की आयु को बढ़ाना

1582. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मूल्य वृद्धि के कारण सैनिक अधिकारी विशेषकर ऐसे अधिकारी जो स्थल सेना से हाल में सेवा निवृत होने वाले हैं, सेवा से निवृत होने अथवा सेवा मुक्त होने पर असैनिक जीवन में प्रवेश करने के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं ;

(ख) क्या रक्षा सेवा अधिकारी अपने असैनिक समकक्ष अधिकारियों की अपेक्षा पहले, 48 और 52 वर्ष की आयु में, सेवा निवृत कर दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार रक्षा अधिकारियों की सेवा निवृति की आयु को उनके असैनिक समकक्ष अधिकारियों की सेवा निवृति की आयु के बराबर करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) अफसर एक ऐसी आयु में सेवानिवृति होते हैं जबकि वे असैनिक जीवन में अपना नया पेशा प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त होते हैं और ऐसा करने में विभिन्न योजनाओं के अधीन सरकार उनकी सहायता करती है। वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ कार्य करें।

(ख) जी हां श्रीमन्। रक्षा सेवाओं के अधिकांश अफसर इस आयु के बीच सेवा निवृत होते हैं।

(ग) सेवा को युवा रखने के लिए शीघ्र सेवानिवृति आवश्यक है ताकि लड़ाकू कार्मिक कठोर जीवन के कष्ट और दवाब को बर्दाश्त करने में सक्षम हों। अतः सेवा के अफसरों की सेवानिवृति की आयु को उनके समकक्ष असैनिक अफसरों के समान करना समझदारी नहीं होगी।

नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास को क्षति

1583. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री विभूति मिश्र :

श्री फूल चन्द डागा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू स्थित हमारे कुछ कार्यालय भवनों को सितम्बर, 1974 में प्रदर्शनकारियों ने क्षति पहुंचाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्षति के लिए मुआवजे का दावा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी, हां। 3 और 4 सितम्बर, 1974 को काठमांडू में हुए प्रदर्शनों के फलस्वरूप राजदूतावास के सांस्कृतिक केन्द्र तथा भारतीय सहयोग मिशन को क्षति पहुंची जिसमें प्रदर्शन खिड़कियां (डिस्प्ले विंडोज्) टूटी थीं तथा परिसर के बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा था।

(ग) नेपाल सरकार से विरोध व्यक्त करतें हुए हमने क्षतिपूर्ति की मांग का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

मुंगेर में दो बीड़ी प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

1584. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एस० के० खलीउद्दीन ए० सत्तार बीड़ी फैक्टरी, शेखपुर, मुंगेर और उसी क्षेत्र के मैसर्स एस० के० नासारीउद्दीन बीड़ी मर्चेण्ट नामक दोनों प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई योजना क्रमशः 31 दिसम्बर, 1965 और 10 मार्च, 1966 से लागू है ;

(ख) क्या इन दोनों प्रतिष्ठानों को अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने की तिथि से ही दोनों द्वारा भविष्य निधि देयताओं की अदायगी और विवरणियां भेजने में चूक की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बिहार द्वारा उनसे पालन कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इन प्रतिष्ठानों को अधिनियम के अन्तर्गत लाने के बारे में फाइलें इधर उधर कर दी गई हैं ; और

(ङ) क्या प्रादेशिक आयुक्त, बिहार ने फाइलों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ङ) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। वह यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले शीतागार प्रतिष्ठान

1585. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में, विशेषकर पटना डिवीजन में 30 सितम्बर, 1974 तक कितने शीतागार प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया गया और अभी कितने प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना है ; और

(ख) जिन प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है वे कौन-कौन से हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना इस समय उपलब्ध नहीं हैं और एकत्र की जा रही है। यह यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

मैसर्ज बिहार सिरेमिक वर्क्स, मुंगेर के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामले

1586. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में मुंगेर की मेसर्स बिहार सिरेमिक वर्क्स के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत दायर किए गए 10 आपराधिक मामलों को भविष्य निधि निरीक्षकों की मिली-भगत से समाप्त हुआ माना जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो न्यायालय में पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं हैं और एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय, सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Recovery of Adulterated Drugs in Bombay

1589. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) wheather 5 lakhs of spurious tablets manufactured by Utter Pradesh drug-manufacturing firm were recovered in Bombay; and

(b) the action taken against the persons who were behind the big spurious drug manufacturing firm unearthed in Ghaziabad some-time back?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Spurious sulpha tablets numbering 3,17,000 alleged to be manufactured by a drug manufacturer in Uttar Pradesh were recovered in Bombay.

(b) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

Prices of Steel

1590. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the selling prices of various kinds of steel during the last three years and the prices thereof now;

(b) the amount-invested so far by Government in steel factories indicating the names of the factories in which Government have their capital investments; and

(c) the names of the factories together with the amount of loss suffered or profit earned by them so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L. T. 8537/74]

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात में सामरिक सीमावर्ती सड़कों का निर्माण

1591. **श्री सोमाचन्द सोलंकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक सड़कें बनाने का क्या प्रस्ताव था ;

(ख) इस सड़क की लंबाई क्या थी और उसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(ग) क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) 1965 से मार्च, 1969 तक की अवधि में 19.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 1522 कि० मी० के आठ सड़कों का विकास।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा का विस्तार

1592. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली के मुख्य क्षेत्रों में बस सेवा का विस्तार करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या नये सिरे से लागू की गई बस सेवायें पूरी तरह से मांग को पूरा करने में समर्थ हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो बस सेवाओं को और आगे सुधारने के लिये मंत्रालय की योजनायें कौन सी हैं ; और

(घ) इस विस्तार प्रक्रिया में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और वाणिज्यिक दृष्टि से ये कहां तक न्यायोचित है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) एक व्यापक कार्य क्रम, जिसमें बेड़े का सुधार एवं विस्तार, नये डिपुओं के निर्माण द्वारा रखरखाव में सुधार तथा कार्यविधि में सुधार और रुट पद्धति को पुनः निर्धारण के लिए कार्यक्रम शामिल है, को क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्च, 1974 से बेड़े में 350 नयी बसें लगाई गई हैं, 6 नये डिपो चालू किये गये हैं, हालांकि इन डिपुओं पर सुविधाओं का पूर्ण विकास अभी किया जाना है।

(ख) और (ग) सेवाओं की नयी पद्धति से यात्री जनता को कुछ राहत मिली है। यह आशा की जाती है कि दिल्ली परिवहन निगम एक क्रमबद्ध ढंग से संपूर्ण शहर में सेवा उपलब्ध करेगा।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नयी बसें प्राप्त करने तथा डिपुओं के निर्माण आदि के लिए 10.33 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। उपरोक्त व्यवस्था पूर्ण रूप से वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर नहीं है, परन्तु दिल्ली परिवहन निगम सेवाओं के सार्वजनिक उपयोगी पहलुओं की दृष्टि से है।

दिल्ली में बसे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के स्वामित्व अधिकार

1593. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की विस्थापितों की कालोनियों में बसे पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के 50,000 से अधिक परिवारों को स्वामित्व अधिकार नहीं दिये हैं; **और**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सरकार की नीति के अनुसार दिल्ली में नाजुल भूमि पट्टे के आधार पर आबंटित की जाती है। पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के मामले में भी, दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में विकसित किए गए प्लाटों को पट्टे के आधार पर बेचा या आबंटित किया गया है और अधिकांश मामलों में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में यथा-निर्धारित पट्टे नामे पहले ही निष्पादित किये जा चुके हैं।

सलेम, विशाखापत्तनम और विजयनगर स्थित इस्पात मिलों में बहु-राष्ट्रीय निगमों की अभिरुचि

1594. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम, विशाखापत्तनम और विजयनगर स्थित नई इस्पात मिलों में किसी बहुराष्ट्रीय निगम ने अभिरुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां तो उन बहु-राष्ट्रीय निगमों के नाम क्या हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निर्वासित पूर्व पाकिस्तान सरकार के गठन के बारे में समाचार-पत्रों में समाचार

1595. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निर्वासित पूर्वी पाकिस्तान सरकार के गठन से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) बंगला देश की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को न केवल भारत अपितु पाकिस्तान तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता मिली है: बंगलादेश की वर्तमान सरकार को बंगलादेश की वैध सरकार के

रूप में भी मान्यता मिली है। स्पष्ट है कि तथा कथित पूर्व पाकिस्तान की निर्वासित सरकार का न तो कोई आधार है और न कोई अस्तित्व।

रत्नगिरी के कुंडल तालुक में इस्पात की बिक्री

1596. **श्री मधु दंडवते** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के कुंडल तालुक में लघु इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए प्राप्त किया गया इस्पात का कोटा बम्बई में चोरबाजारी में बेचा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है; और

(ग) ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Use of D.D.T. for killing Mosquitoes

1597. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether D.D.T. is not sprayed in time and in adequate quantity and also proves ineffective in killing mosquitoes and bees, and

(b) the preventive measures being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) and (b) D.D.T. is used for anti-malaria and crop protection purposes. In so far as its use in the anti-malaria programme is concerned, it is sprayed inside houses in adequate quantities and generally in time. It proves effective in killing mosquitoes. It is not used against bees. In areas where mosquitoes have become resistant to D.D.T. alternative insecticides namely B.H.C. and Malathion are being used.

Location of Sainik Schools

1598. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number and locations of Sainik Schools in the country; and

(b) the criteria for opening of Sainik School at a place?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) There are, at present, 17 Sainik Schools in the country. Their locations are given in the attached statement. [Placed in Library. *See* No. L.T. No. 8538/74]

(b) Sainik Schools are opened in States/Union Territoires on the request by them to the Sainik Schools Society with the understanding by them to provide land, buildings, equipment and to make provision for grant of scholarships to the wards. The schools are established at a suitable site indicated by the State Government/Union Territory.

Re-establishing of Military Training Centre in Naugaon, Chhatarpur, (Madhya Pradesh)

1599. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Naugaon (Chhatarpur—Madhya Pradesh) was a military training centre before Independence;

(b) whether as a result of shifting this military centre to some other place the buildings there are lying vacant and unutilised,

(c) whether Government will consider the question of re-establishing the military training school there as this place is near Jhansi and Babina Cantonment and vacant buildings are available; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefore?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) (a) Yes, Sir.

(b) The military buildings at the station are fully utilised, mostly by the Ministry of Home Affairs.

(c) and (d) : There is no proposal to raise any school at Naugaon. The existing schools are meeting adequately the needs of various stations.

कुछ स्टील फर्मों द्वारा कथित जालसाजी

1600. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्टील फर्मों द्वारा पूरे निर्यात कोटे को जमा कर लेने संबंधी कोई जालसाजी का मामला सरकार के नोटिस में आया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत के हित को भारी आघात पहुंचा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की जिम्मेदारी कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) ऐसे किसी कदाचार की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re : Question of Privilege

आयात लाइसेंस संबंधी मामला

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : यह आगे कुछ नहीं बता रहे हैं बल्कि शायद अपने कागजात आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं .... **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वे तो तब आयेंगे जब प्रधान मंत्री सचिवालय वे पत्र देगा । इस बीच वह कुछ प्रश्नों का उत्तर ही दे डालें ... **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order (*interruptions*)

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : He has not come prepared. Is it the way to run Parliament?

Mr. Speaker : What is the trouble if the papers come one minute late? Why cann't every body sit down?

श्री पीलू मोदी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चर्चा को पांच मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाये तब तक प्रधान मंत्री सचिवालय पत्र भी भेज देगा ..(व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : You kindly listen to my point of order!

Shri Atal Behari Vajpayee : He has not come prepared (*interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप सब चिल्ला रहे हैं, सब खड़े हैं । आप सभा की कार्यवाही में बिघ्न मत डालिये । आप उनकी बात सुनिये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्रः वह तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने बोलना आरम्भ किया था भले उनके पत्र उनके पास नहीं थे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकता-उत्तर-पूर्व) : संसद सदस्यों विशेषकर मंत्रियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही हमने पहले कभी नहीं देखी जैसी कि गृह मंत्री ने इस समय दिखाई है । हम जानते हैं कि मंत्रियों को अफसरों आदि की सहायता लेनी पड़ती है, सामग्री प्राप्त करनी होती है। परन्तु जब मंत्री को एक दिन पहले सूचना मिल जाती है कि उन्हें फलां वक्त पर वक्तव्य देना है तो उन्हें पूरी सामग्री सहित तैयार होकर आना चाहिये । हम मंत्री महोदय को इसके लिये तो क्षमा कर सकते हैं कि वे पत्र भूल आये परन्तु यह सहन नहीं कर सकते कि वह विवश होकर इधर-उधर बोक्स की तरफ बार बार देखें, चुप खड़े रहे तथा सारी सभा की कार्यवाही रुकी रहे । आपने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है आप भी मंत्री महोदय को संभलने का अवसर दे रहे हैं ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये । मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं । मंत्री महोदय बोल रहे थे । मंत्री के लिये पत्र एकत्रित करके देना उनके सहयोगियों का काम था ..(**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : Kindly listen to us.

Mr. Speaker : What for ? I would not listen.

श्री पीलू मोदी : अध्यक्ष को तो सुनना ही पड़ेगा । ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह पत्र भूल आये हैं तो वह उन्हें एकत्रित कर सकते हैं । इस में गलत क्या है।

श्री पीलू मोदी. व्यवस्था के प्रश्न पर ।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था के प्रश्न पर ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं । सभा के पास सात मिनट से कोई काम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं । गृह मंत्री । वह बोलना आरम्भ कर चुके थे ।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था के प्रश्न पर

श्री पीलू मोदी : आप या तो मेरी सुनिये या उनकी ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये वह कैसे स्वर में बोल रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी : मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सुन सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये की बात सुन रहा हूं ।

Shri Madhu Limaye : The opposition is agitated over your overlooking the hon. Minister's cries about the papers. What has been he doing till now? Was he shaving all alone? We come to the House well prepared whereas he can't despite having hundreds of stands secretaries and peons etc. He is not ready even at 12 O'clock. You please keep order in the house.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्री महोदय को अयोग्य समझा जाये, उन्होंने सभा के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

Shri Shyamnandan Mishra (Begu Sarai) : Fine him five rupees and the matter is over.

अध्यक्ष महोदय : हम सभी मानव हैं ।

Shri Jyotirmoy Basu : 16,000 people have been detained under MISA.

Mr. speaker : You are written in my destiny since my previous life.

Shri Atal Behari Vajpayee : Please end the matter here.

श्री पीलू मोदी : अब क्योंकि आप ने सभा में फिर से हास्य का वातावरण पैदा कर दिया इस लिये मैं नम्रता से बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा ही ऐसा करता हूं । परन्तु जब आप बोलते हैं तब मुझे भी ऐसा करना पड़ता है ।

श्री पीलू मोदी : आखिर तो हम मानव ही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि हम दोनों मानव हैं ।

श्री पीलू मोदी : सिवाय इसके कि कुछ लोग तनाव की स्थिति में रहते हैं और कुछ नहीं ।

वैसे यह सच है कि 12.00 बजे से 12.15 के बीच मंत्री महोदय को बोलने के लिये कहा गया था । उन्होंने कुछ पत्रों के लिये पूछना शुरु किया । इस बीच मैंने प्रश्न पूछने चाहे थे । यदि आप अनुमति दे देते तो सरकार उतनी परेशानी से बच जाती ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उनको अनुमति दी थी जिनकी सूचना मुझे मिली थी । यदि मैं आप को अनुमति देता तो फिर दूसरों को कैसे रोकता ?

श्री पीलू मोदी : मुझे बात पूरी करने दीजिये । फिर मैंने एक प्रस्ताव रखा जिसे आपने स्वीकृति नहीं दी । फिर आप ने देखा कि 7½ मिनट तक कोई पत्र नहीं पहुंचे जिसके आधार पर मंत्री महोदय वक्तव्य देते । यदि वे इस बीच कुछ न कुछ बोलते रहते तो भी सभा में शांति रहती फिर दस मिनट बाद उन्हें दो पतली-सी फाइलें प्राप्त हुई ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें गलत क्या हो गया ।

श्री के० लकप्पा : वह इस प्रकार छींटाकशी नहीं कर सकते ।

श्री पीलू मोदी : संसद सदस्य मंत्री बन जाने के बाद थोड़े से अपने पत्र भी उठाकर नहीं चल सकते, साथ चपरासी होना चाहिये । एक बात तो यह नोट कीजिये । मेरी दूसरी बात यह है कि जब अध्यक्ष महोदय किसी बात के लिये स्पष्टीकरण करें तो वह उक्त कार्यवाही से ही संबद्ध हो ।

श्री धामनकर : क्या मंत्री हजामत करते रहे ?' कहना संसदीय गरिमा के अनुरूप है ।

श्री शंकरदयाल सिंह : उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिये ।

श्री पीलू मोदी : 'हजामत' शब्द असंसदीय तो नहीं है । यदि ये शब्द आप से कहे जाते तब तो कड़वे होते ।

Mr. Speaker : You have taken so much time. Now hear peacefully.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं राज्य सभा में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने गया था और ये पत्र लेकर गया था। अब यहां बारह बजे उत्तर देने के लिये मुझे उस फाईल की आवश्यकता थी .. **(व्यवधान)** मैं किसी टिप्पणी का उत्तर देना नहीं चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दे चूका हूं ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं पत्रों के बिना भी उत्तर देने को तैयार हूं परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को मैं इस पत्र की सहायता से ही दे सकता था । कल मैंने सभा को बताया था कि 20 हस्ताक्षर जाली थे--जाली पाये गये थे तथा उनमें से 14 मामलों में ये हस्ताक्षर श्री योगेन्द्र झा ने किये थे तथा दो के बारे में श्री तुलमोहन राम पर आरोप है । कुछ सदस्यों ने शेष चार के बारे में भी पूछा था वही नाम श्री जमीलुरहमान तथा राम शेखर प्रसाद सिंह में इन पत्रों में ढूंढ़ रहा था। शेष चार के नाम मैं पहले ही सभा को बता चुका हूं । इस प्रकार मैं सभा को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वे इस बारे में प्रश्न न पूछें । दूसरा वक्तव्य मैंने यह दिया था कि जांच से यह पता नहीं लगा लाइसेंसों संबंधी कोई अधिकारी भी इस अपराध में शामिल था वह अपराध जो कि चार्ज-शीट में आरोपित था कि श्री एस० एम० पिलै ने कहा था कि तुलमोहन राम तथा श्री योगेन्द्र झा ने उन्हें सूचित किया था कि श्री एन० के० सिंह ने श्री तुलमोहन राम को सलाह दी है कि कुछ संसद सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर फिर से अभ्यावेदन दे दो ताकि मंत्री महोदय के हाथ मजबूत हो जायें और वह मामला पुनः खुल सके तथा यह कि श्री तुलमोहन राम ने श्री एस० एम० पिल्ले को कहा कि इस संबंध में श्री एन० के० सिंह को देने के लिये 20,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । जांच के दौरान इस प्रकार के कथन की कोई पुष्टि नहीं हो सकी । बस इतना ही मैंने सभा को सूचित किया था और मेरे कहने का इससे अधिक कोई अभिप्राय नहीं है ।

श्री वाजपेयी ने एक स्कूल के निर्माण का मामला उठाया था जिसमें जांच के दौरान श्री तुलमोहन राम द्वारा लिखित एक पत्र के पकड़े जाने की बात थी । केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मुझे पता लगा है कि यह पत्र 13-3-73 को श्री तुलमोहन राम द्वारा सरैनी गांव के मुखिया श्री कालेश्वर को लिखा गया था । इस पत्र में श्री एल० एन० मिश्र या उनके स्वर्गीय पिता का कोई जिक्र नहीं है । उसमें केवल श्री तुलमोहन राम द्वारा सार्वजनिक रूप से स्कूल के निर्माण का जिक्र है जिसके लिये उन्होंने धन एकत्रित करने की बात कही है ।

लायसेंसों को जब्त करने की बात यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इन लायसेंसों के दुरुपयोग का सन्देह था इसलिये इन का उपयोग रोक दिया गया । मैंने यह बात भी अपने वक्तव्य में कही थी । अब यह जांच की जा रही है कि इन लायसेंसों का दुरुपयोग हुआ है या नहीं । वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में सूचना मिलते ही इन लायसेंसधारियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये हैं तथा अन्तिम निर्णय होने तक अपनी कार्यवाही की है । श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने 1 सितम्बर को साफ-साफ कहा था कि जांच के बाद यदि कोई कदाचार पाया गया तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

चर्चा के दौरान कहा गया था कि सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट तथा चार्ज-शीट सभा पटल पर नहीं रखी । मैं कहना चाहूंगा कि सभा की परिपाटी यह रही है कि सामान्यतः सुलभ पत्र सभा-पटल पर नहीं रखे जाते । मुझे भी ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उक्त जांच सभा में किये गये वायदे के अनुसार शुरु की गई थी और इस में संसत्सदस्य अन्तग्रस्त हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । —(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं अपने 12 सितम्बर के मूल विशेषाधिकार प्रस्ताव पर दृढ़ हूं । मंत्री महोदय को इन सभी परिणामों का पता होना चाहिये । ये उन्होंने वायदा किया था कि जांच के बाद सभा के सामने सारा मामला रख दिया जायेगा । उन्होंने कहा था कि वह आश्वासन दे रहे हैं. . .(**व्यवधान**) उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हम सभा को बतायेंगे कि हम कहां पहुंचे हैं तथा फिर सभा चाहे जो निर्णय करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप भाषण मत कीजिये । ये सब बातें आप अपने मुख्य भाषण में कह चुके हैं और आप उन्हें ही दोहरा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गृह मंत्री महोदय ने यह विशिष्ट आश्वासन दिया था । उन्होंने कहा था कि जांच के पूरा होने के बाद सारा मामला सभा के सामने रखा जायेगा तथा इसके बाद. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । कृपया बैठ जाइये ।

श्री नटवर लाल पटेल : आप हर बात पर अपना एकाधिकार मत जमा बैठें । मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं । आपने जो कुछ पूछना है बाद में पूछिये ।

अध्यक्ष महोदय : लिमये जी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है . . .(**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has said that it is not the convention to lay the accessible documents on the Table. But on Member's insistence he placed I.I.R.

which is an accessible document. He should have no hesitations in placing such papers when demanded by the hon. Members here. Do you expect as to waste our valuable time in collecting these papers from the courts?

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि मंत्री महोदय को सुलभ पत्र रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । वैसे यदि वे अपनी मर्जी से सभा-पटल पर रखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता । इस संबंध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है । आप इस विषय में मुझ से झगड़िये मत ।

Shri Madhu Limaye: You do not want to help the Members. May I devote to the Parliament or go round in the courts to collect certified copies. You are making a mockery of Parliamentary practices. You get impressed when they shout, but you are not giving yo u ruling on my point of order.

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय दे चुका हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई सदस्य 'व्यवस्था' के प्रश्न के नाम पर कुल कितनी बार सभा में अव्यवस्था फैला सकता है ? इस बारे में आप स्पष्ट रूप से तथा सदैव के लिये फैसला कर दीजिये ।

श्री मधु लिमये : : मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर आपका निर्णय चाहता हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत : अव्यवस्था के कितने प्रश्न उठाए जा सकते हैं ? आप यह निर्णय दें . . . (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना सुलभ दस्तावेज है परन्तु क्या गजट को सभा पटल पर नहीं रखा जाता ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि एक सुलभ पत्र को सभा पटल पर रखने के लिये मंत्री महोदय को बाध्य नहीं किया जा सकता । यदि वह अपनी इच्छा से रखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Atal Behari Vajpayee: You have said that the hon. Minister is not bound but he has placed that on your instance.

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्देश नहीं दिया है । मैं उन्हें वाध्य नहीं कर सकता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have got a point of order, The hon. Minister was reading portions of C.B.I. report. So, I can demand that the entire report should be laid on the table. He has quoted from the C.B.I. report concerning the construction of a school in the name of Shri L. N. Mishra's father. But he has not revealed the remaining part of the report. It is a very serious matter. I have got the remaining portion of the report. He is not placing the facts of the case. The C.B.I. officers had seized the minutes register of Managing Committee of the school and I have got the copy of the minutes. The hon. Minister says that there is no mention of Shri L. N. Mishra. I hereby read the minutes. On Feb. 22, 1973 the following were present in the meeting : Shri Tul Mohan Ram, Shri Kaleshwar Mandal, Shri Narayan, Shri Raghubir Mandal, Shri Ram Karan Singh, Shri Kaleshwer Paswan. Shri Jai Narayan Shah. All these names are known to the C.B.I.

On the issue of naming the school Shri Raghubir Mukhia, the Mukhia wanted the name to be Koshi High School since this school centered to needs of the Kosi affected areas. But Shri Tul Mohan Ram insisted and stressed upon naming it after Shri L. N. Mishra's father late Shri Ravi Nandan Mishra. Advocating for that Shri Tul Mohan Ram hoped that this would once for all solve the financial problems of the school since Shri L.N. Mishra was himself a rich man and also that he could secure financial aids from Government out of his influence and pressures.

Mr. Speaker : Another speech has started.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister is hiding the facts. The fact C.B.I. report contains all these things.

श्री के० लकप्पा : व्यवस्था के प्रश्न पर आप इस समय भाषण की अनुमति कैसे दे रहे हैं ? यह सारा भाषण कार्यवाही से निकाल दिया जाये. . . . (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether the C.B.I. has not seen that record of proceedings? It they have seen why the hon. Minister has not made a mention thereof? If you permit. I am prepared to lay it on the Table of the House.

Mr. Speaker : When you have already read it out, it is as good as placing on the Table.

श्री पीलू मोदी : सबसे पहले मैंने अपना व्यवस्था का प्रश्न रखा था । नियम 368 में यह व्यवस्था है कि यदि मंत्री किसी ऐसी सरकारी पत्र को पढ़ता है जो कि पहले सभा पटल पर नहीं रखा गया तो वह उस पत्र को सभा पटल पर रखेगा. . . .इसके परन्तुक में यह कहा गया है कि यह नियम उन पत्रों पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये जो कि सार्वजनिक हित में रखने योग्य न हो ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसी परम्परा नहीं है कि सुलभ-पत्र सभा पटल पर रखे जायें । यह एक दम झूठा वक्तव्य है क्योंकि ऐसे अनेक सुलभ दस्तावेज हैं जो कि सभा पटल पर रखे जा चुके हैं । फिर इस जांच का आदेश भी सभा द्वारा दिया गया था किसी न्यायाधीश, अदालत अथवा सरकारी कार्यालय द्वारा नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : व्यवस्था का एक प्रश्न स्वयं अध्यक्ष पीठ से संबंधित है । गत सत्र में मैं एफ० आई० आर० सहित कुछ पत्रों की मांग की थी। तब आपने कहा था कि यदि मैं ने आपको सूचित किया होता तो आप वे पत्र उपलब्ध करा देते । तो इस प्रकार यह मामला ऐसे ही एक दम नहीं उठ खड़ा हुआ है बल्कि इसका एक इतिहास है ।

दूसरे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में मंत्री महोदय ने कहा था कि जांच के बाद सारे तथ्य सभा के सामने पेश किये जायेंगे ताकि सभा यह निश्चय कर सके कि क्या कार्यवाही होनी चाहिये । तो क्या ये विकृत तथ्य तथा रिपोर्ट के तोड़े-मरोड़े हुए अंश देना मात्र ही उस आश्वासन का अभिप्राय था ?

क्योंकि इस मामले में संसदसदस्य अन्तर्ग्रस्त है और इसमें सभा की गरिमा का मामला भी है अतः सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने चाहियें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : नियम 368 के अनुसार यदि किसी सरकारी पत्र का कोई हवाला सभा में दिया जाता है तो वह पत्र चाहे सुलभ हो अथवा नहीं, वह सभा पटल पर रखा जायेगा । यह एक विशिष्ट नियम है तथा इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । केवल देश की सुरक्षा की बात होने पर ही इस नियम से छूट मिल सकती है । अब माननीय सदस्यों को उक्त दस्तावेज प्राप्त

करने के लिये तीस हजारी कोर्ट के चक्कर कटवाना कोई शोभनीय बात तो नहीं है जबकि इनसे पूर्व-ती गृह मंत्री ने उक्त दस्तावेज सभा में पेश करने का वायदा किया था । मंत्री भले ही बदले परन्तु मंत्रालय तो जारी रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : अधिक उत्तेजित होने की आवश्यता नहीं है । नियम केवल सुलभ दस्तावेजों के बारे में है । जिसकी आप प्रतियां आदि प्राप्त कर सकते हैं । मेरी टिप्पणी केवल उन पत्रों के बारे में थी । मुझे अब भी पता नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सबको प्राप्य है अथवा नहीं ? एफ० आई० आर० आदि के बारे में तो मुझे विश्वास है । मेरी ये टिप्पणियां वस्तुत: आप लोगों के परेशान करने वाले लंबे-लंबे भाषणों के कारण की गई । यदि केवल यही प्रश्न पूछा जाता कि वह रिपोर्ट प्राप्त है अथवा नहीं तो हमारा काफी समय बच जाता ।

किसी पत्र के अंश पढ़ने के बारे में यहां भी यही प्रथा है जो हाऊस आफ कामन्स में है । इस संबंध में यहां समय-समय पर कुछ विनिर्णय भी हुए हैं । हम उनका अनुसरण करेंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपने इस परिस्थिति को ध्यान में रखना है कि सभा में एक वचन दिया गया था कि सभा को सारे तथ्य बताकर उसे आगे की कार्यवाही का निश्चय करने का अवसर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन शब्दों को भी देखूंगा । मेरे विनिर्णय का अर्थ आप की बात का खंडन करने का नहीं है लिमये जी । मैंने तो आपका ध्यान सुलभ दस्तावेजों संबंधी नियमों की ओर दिलाया था ।

Shri Madhu Limaye : I beg your pardon. I was saying just for the convenience of the members. Nothing else for.

Mr. Speaker : And I was citing the Rule.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज श्री वाजपेयी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से उद्धरण दिये हैं । इसी प्रकार की एक घटना तीसरी लोक सभा में घटी थी और श्री हुकम सिंह ने अपने विनिर्णय में मेरे से केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की एक प्रमाणीकृत प्रति प्रस्तुत करने को कहा था । उस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट श्री बीजू पटनायक से संबंधित थी । अब यह लाइसेंस जारी करने से संबंधित है । अत: भूतपूर्व अध्यक्ष के ऐतिहासिक विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए, सरकार को स्वयं ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखना चाहिये । प्रतिवेदन को ग्रंथालय में रखा जाना चाहिये जिससे हम सब इसका अध्ययन कर सकें ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं किसी प्रतिवेदन के उद्धरण नहीं दे रहा हूं । यह कहा गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर नहीं रखी गई है और आरोप पत्र की एक प्रति सभा को उपलब्ध नहीं की गई है । इस मामले में सरकार की स्थिति को समझा जाना चाहिये । सुलभ दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने की कोई परम्परा नहीं है । ऐसा कोई उदाहरण नहीं जब एक अपराध के मामले में आरोप-पत्र को सभा पटल पर रखा गया हो । आरोप-पत्र में निहित सब तत्संगत जानकारी मैंने सदन को पहले ही दे दी है । चूंकि कुछ माननीय सदस्यों का मत है कि सरकार सभा को जानकारी नहीं दे रही है । अत: संसद के ग्रंथालय से आरोप-पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था

कर रहा हूं । जहां तक जांच के दौरान रिकार्ड किये गये अन्य वक्तव्यों का संबंध है, कानून में यह व्यवस्था है कि अपराध के मुकदमे में इन वक्तव्यों को केवल सीमित प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो कानून के विरुद्ध हो । जांच अधिकारी का यह मुख्य कर्तव्य है कि जैसे ही जांच कार्य पूरा हो आरोप-पत्र अथवा अंतिम निर्णय संबद्ध मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाये ।

गत सितम्बर में इस विषय पर हुई चर्चा में यह पता लगा था कि केवल एक सदस्य के अलावा 20 अन्य सदस्यों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की बात से इंकार किया था । इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उक्त जालसाजी कैसे की गई और 20 संसद् सदस्यों के जाली हस्ताक्षरों के पीछे किन-किन व्यक्तियों का हाथ था । जब सदन में इस बात की बार-बार मांग की गई कि इस मामले की जांच संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिये तो सरकार ने यह विचार प्रकट किया कि इस मामले में जांच का कार्य किसी सांविधिक एजेंसी को सौंपा जाना चाहिये, विशेषकर जबकि इस मामले में दाण्डिक अपराध किये जाने की शंका है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, भूतपूर्व गृह मंत्री और विधि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि जांच के परिणामों से सदन को अवगत कराया जायेगा ।

जांच से प्रथम दृष्टि में ही यह पता लगता है कि इस मामले में बाहर के लोग भी उतने ही दोषी हैं जितना सभा का एक सदस्य । अब बाहर के लोगों तथा उक्त संसद सदस्य के बारे में न्यायालय ने निर्णय देना है ।

कानून की यह अपेक्षा है कि जैसे ही जांच कार्य पूरा हो उसके बाद या तो आरोप-पत्र या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिये । संसदीय प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय में विचाराधीन मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

संसद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिये हम सदन से उचित मार्गदर्शन का अनुरोध करते हैं। हमारे विचार से सरकार ने इस संबंध में शीघ्र जांच कर और सदन के अनेक सदस्यों के जाली हस्ताक्षर करने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिये उचित कार्यवाही की है।

इस संबंध में मुदगल संबंधी मामले का उल्लेख किया गया है । जहां तक मुदगल संबंधी मामले का प्रश्न है, मुदगल ने कोई दाण्डिक अपराध नहीं किया था । इस मामले में केवल उसके आचरण की औचित्य का प्रश्न था । लेकिन ऐसे मामले में जिसमें आचरण की औचित्यता का प्रश्न दाण्डिक अपराध से जुड़ा हो सभा की यह स्वस्थ परम्परा होगी कि वह अनौचित्यता के संबंध में कार्यवाही करने पर विचार करने से पूर्व न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा करे । दूसरे, मुदगल संबंधी मामले में कोई बाहर का व्यक्ति शामिल नहीं था । इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से केवल एक संसद् सदस्य है । इस महत्वपूर्ण अन्तर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ।

अतः मेरे किसी भी सहयोगी ने किसी प्रकार के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया है ।

श्री **मधु लिमये** (बांका) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह अन्य मंत्रियों की ओर से नहीं बोल सकते । वह केवल अपने लिये ही कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हुआ तो अन्य मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प०, तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. As the hon. Minister has read out some portions of the C.B.I. report, the hon. Members have the right to demand the laying of the full report of C.B.I. you kindly give your ruling under Rule 368.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताया गया है कि उक्त मामला अध्यक्ष महोदय ने लम्बित रखा है **(व्यवधान)** गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद जब कुछ माननीय सदस्य बोलने को उत्सुक थे तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह इस मामले की जांच करेंगे । अतः मेरी सलाह है कि इस मामले को यहीं समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री मधु लिमये : नियम 368 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि विनिर्णय किस आधार पर स्थगित किया जा रहा है । इससे कोई नया मामला नहीं है । दर्जनों बार ऐसे मामले उठाये जा चुके हैं और उन पर अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिर्णय दिये जा चुके हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया प्रश्न वैध है । कुछ वक्तव्यों और रिपोर्ट के बारे में यह कहा गया है कि वे सी० बी० आई० की रिपोर्ट से लिये गये हैं । हमें यह नहीं पता कि यह ठीक है अथवा नहीं ।....नियम 368 के अन्तर्गत यह मांग की गई है कि यदि किसी विशेष प्रतिवेदन से कोई विशेष भाग पढ़ा गया है, तो उक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : How can we discuss this matter without obtaining the C.B.I. report? I think the Members of the ruling party should not have any objection in this matter. We are demanding this report because a member of the House and the dignity of the House is involved.

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय यह कह चुके हैं कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इसलिये इस मामले पर वही विनिर्णय देंगे । आप मेरे से इस मामले में विनिर्णय की आशा न करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अध्यक्ष महोदय ने यह उल्लेख किया है कि नियमानुसार असुलभ दस्तावेज सभा पटल पर रखने के लिये मंत्री बाध्य नहीं हैं । नियमानुसार, मंत्री महोदय ऐसा करने के

लिये बाध्य न हो लेकिन उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता । यदि वह सभा को सहयोग देने का रुख अपनाते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की भांति सदन को आरोप पत्र उपलब्ध न हों । पहले भी अनेक बार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन सभा को उपलब्ध होते रहे हैं ।

न्यायालयों के अधिकार का उल्लंघन न करते हुए इस मामले में संसद के भी कुछ अधिकार तथा जिम्मेदारियां हैं । इसके लिये संबद्ध दस्तावेज तथा कागजात की जरूरत है । किसी तकनीकी मुद्दे पर अड़े रहने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री मधु लिमये : नियम है "रखा जायेगा" ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अध्यक्ष ने पहले जो कुछ कहा है उस पर विवाद हो सकता है ।

श्री मधु लिमये : हमें इस बात से मतलब नहीं है कि अध्यक्ष ने क्या कहा, हम केवल नियमों तथा संविधान को जानते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि मैं इन सभी मामलों पर विचार करूंगा, इन मामलों पर उन्होंने निर्णय लेना है, मुझे कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय का यह निदेश है कि हम आगे की कार्यवाही चलायें । मैं इससे पीछे हट नहीं सकता ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अनेक सदस्यों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । जो मामले उठाये गये हैं, वे अनेक मंत्रियों से संबंधित हैं । आज गृह मंत्री ने विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में वक्तव्य दिया है । अध्यक्ष महोदय ने तब दो बजे तक सभा स्थगित की और मामलों पर बाद में बहस करने के लिये कहा । श्री लिमये ने जो मामला उठाया है, उसमें इन मामलों को अलग करना चाहिये । यदि हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिल जाती है, तब हम इस विषय पर अच्छी तरह चर्चा कर सकते हैं, आप यह निदेश दीजिये कि यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐसी स्थिति है, जिसके लिये मुझे कहीं से सहायता नहीं मिल रही है । मैंने अधिकारियों से पता किया है कि सभा की कार्यवाही अभी उपलब्ध नहीं है । उनका केवल यह कहना है कि अध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित की है और वह दो बजे पुनः समवेत होगी और फिर वे मामले पर विचार करेंगे, आप मुझे बताइये कि इस मामले में क्या किया जाये ।

Shri Madhu Limaye : I will help you. As soon the Home Minister finished his speech, the speaker adjourned the house for lunch. Till then he had not made any pronouncement. Then it should be taken that this matter should go on namely the subject of Privilege Motion. I will respect any decision taken during lunch.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : You are talking both ways. On the one hand you say that you do not know about the proceedings and then interruption goes on in this matter. You should at least see Rule 368.

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम की चर्चा मत कीजिये, सावल यह है कि सभा का कार्य किस प्रकार चलाया जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री की इस बारे में क्या राय है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : अध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न भोजन के दौरान मुझ से कहा था कि सभा की आगे की कार्यवाही को जारी रखा जाए और यह मामला ऐसे ही रहेगा।

श्री मधु लिमये : मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहता हूं।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : When the hon. Minister finished his speech, the hon. Speaker while adjourning the House for lunch said that the matter will be taken up again. You can see the record which is explicit.

श्री पी० बी० मावलंकर (अहमदाबाद) : जब 1 बजे गृह मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे थे तब अनेक व्यवस्था के प्रश्न उठाए गए थे। उनको अध्यक्ष महोदय ने भी सुना। जब तक भोजन का समय आया तब उन्होंने दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित कर दी। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि पुनः समवेत होने पर वे अगली कार्यवाही को लेंगे और उन्होंने यह कहा कि जो कार्यवाही चल रही है उसी को वे आगे चलायेंगे। स्पष्ट ही इसका मतलब है कि जो कार्यवाही 1 बजे चल रही थी उसे आगे चलते रहना चाहिये। उस समय हम व्यवस्था के प्रश्न उठा रहे थे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमें इस विषय पर गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : विपक्षी सदस्यों का कहना है कि चूंकि गृह मंत्री महोदय केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को उद्धृत कर रहे हैं, इसलिये रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिये। गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि वे रिपोर्ट से उद्धृत नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि वे इस मामले की जांच करेंगे कि क्या दस्तावेज को सभा पटल पर रखा जा सकता है या नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने इस मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अब विपक्षी सदस्य इस मामले को बार-बार उठा रहे हैं और आपसे अभी अपना विनिर्णय देने पर जोर दे रहे हैं। यदि अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि वे मामले का अध्ययन करके बाद में अपना विनिर्णय देंगे तो क्या उन्हें तुरन्त अपना विनिर्णय देने के लिये विवश किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले का निपटारा हो जाना चाहिये। यहां मेरा काम सभा की कार्यवाही को नियमानुसार चलाना है। नई परिस्थितियों के अनुसार संसद को चलाने के लिये ये नियम पर्याप्त नहीं हैं। अधिकारियों ने मुझे बताया है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी और तब अध्यक्ष महोदय ने यह कहते हुए सभा स्थगित कर दी कि हम 2 बजे पुनः समवेत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि उस विषय को पुनः लिया जा सकता है, जिस पर चर्चा हो रही थी। आप यह मानते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बाहर भोज के समय जो कुछ हुआ है उस पर हम विचार नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी माननीय सदस्य जब बोलता है, तो मुझे बहुत शांतिपूर्वक उसे सुनना चाहिए।

श्री रघुरमैया ने जो जानकारी सदन को दी है, उससे मेरे विचार में सहायता मिलेगी... **(व्यवधान)** जो कुछ उन्होंने कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है और पीठासीन अधिकारी को उस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : वह भोजन-काल के दौरान हुई प्राइवेट बातचीत का उल्लेख कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के बाहर कही गई बात और सदन के अन्दर कही गई बात में बहुत बड़ा अन्तर है। श्री रघुरमैया ने सदन में वक्तव्य दिया है और वह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को उद्धृत किया है और कहा है कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हें यह बताया था कि इस मद को 2 बजे लिया जायेगा। मुझे यह उन्होंने नहीं बताया था। मंत्री महोदय ने सदन को बताया और सदन के माध्यम से मुझे पता चला है।

नियम 25 के अनुसार अध्यक्ष महोदय को कार्यवाही का सदन के नेता से परामर्श करके व्यवस्थित करने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय पर्याप्त कारण होने पर कार्यवाही की व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a new point of order. Discussion on the Privilege notice is not contained in the order paper. This is a priority motion. Discussion was going on Privilege issue and how could it be left?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सरकारी कार्य नहीं है। यह सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव से उत्पन्न कार्य है और निर्देशों के अनुसार इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष और मेरे समक्ष प्रस्तुत कार्य-सूची में इसका उल्लेख है। प्रश्नों के तत्काल बाद अध्यक्ष महोदय ने इस मद को लिया था और सदन ने इससे सहमति प्रकट की थी। कार्यवाही के क्रम को व्यवस्थित करने का विशेषाधिकार अध्यक्ष महोदय का है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

डाक कर्मकार (परामर्शदात्री समिति) संशोधन नियम, 1974, व्यापार पोत अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और गुजरात राज्य सड़क परिवहत निगम का वर्ष 1972–73 के लिए वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन), अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक कर्मकार (परामर्शदात्री समिति) संशोधन नियम, 1974 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 2820 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 8522/74]

(2) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) मास्टरों तथा मेटों की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1129 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) व्यापार पोत (व्यापार बेड़े में इंजीनियर परीक्षा) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 1130 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 8522/74]

(3) (एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपयुक्त प्रतिवेदन के हिंदी संस्करण को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8524/74]

प्राग टूल्स लि० सिकन्दराबाद का वर्ष 1972-73 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और नौसेना (पेंशन) संशोधन विनियम, 1974 के बारे में अधिसूचनायें

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1965 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8525/74]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) नौसेना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां नि०आ० 309 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 337 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नौसेना (पेंशन) तीसरा संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 19 अक्तूबर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि०आ० 363 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नौसेना (पेंशन) चौथा संशोधन विनियम, 1974 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 364 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 8526/74]

खान अधिनियम, 1952 के अधीन अधिसूचनायें और कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, 1974

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति —

(एक) धातुमय खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० गां० नि० 1009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोयला खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कोयला खान (तीसरा संशोधन) विनियम, 1974 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1092 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) धातुमय खान (तीसरा संशोधन) विनियम, 1974 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० गां० नि० 1093 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 8527/74]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1095 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8528/74]

46 LSS/74—10

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम में आदिम जातियों के लोगों तथा पुलिस के बीच कथित मुठभेड़

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमान्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"असम में आदिवासियों और पुलिस के बीच कथित मुठभेड़, जिसके परिणामस्वरूप आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।"

गृहमंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : महोदय, असम के गोलपाड़ा जिले में हाल की घटनाओं पर जिनमें अनेक जाने गईं तथा भारी संख्या में लोग घायल हुए, सरकार को अत्यधिक खेद है।

2. 18-11-74 को बोरो लोग मुख्यतः बोरो साहित्य सभा तथा असम के मैदानी आदिवासी, परिषद के स्वयंसेवकों ने लाठी, भाले, दाव आदि से लैस होकर असम के गोलपाड़ा जिले में सिदली, कोकराझाड, बिजनी तथा गोसाई गांव जैसे केन्द्रों में स्थित सरकारी प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों पर धरना देने तथा उनको बन्द करने के लिए संवेदनशीन क्षेत्रों में लागू दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निरोधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए जलूस निकाले। उन्होंने पुलिस तथा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को वश में करने तथा सरकारी प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने तथा व्यवस्था को बहाल करने के लिए लाठी चार्ज किया तथा अश्रुगैस के गोले छोड़े। तेज हथियारों से पीछे से अचानक हमला करने से फलस्वरूप सिदली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दो कर्मचारी मारे गये। केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियों को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप एक नागरिक मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ।

3. 19-11-74 को बिजनी में मैजिस्ट्रेट और पुलिस दल पर हिंसात्मक आक्रमण किये गये थे और लाठी चार्ज और अश्रुगेस के कारगर सिद्ध न होने पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। आंदोलनकारियों में से तीन व्यक्ति मारे गये और कुछ जख्मी हुए। यह भी मालूम हुआ है कि कोकराझाड़ में पुलिस की गोली से दो व्यक्ति मारे गये और कुछ जख्मी हुए। बिजनी, गोसाई गांव, कोकराझाड़ में पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के अनेक कर्मचारी घायल हुए और कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।

4. हाल में 16 नवम्बर को राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि बोरो भाषा के लिये रोमन लिपि के प्रश्न के संबंध में उन्होंने 12 नवम्बर को बोरो साहित्य सभा के प्रतिनिधियों के साथ बात-चीत की थी और दुबारा बातचीत करने पर विचार किया गया था। अतः यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटनाओं ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया है।

प्रो० मधु दन्डवते : यह बड़े दुख की बात है कि गृह मंत्री ने इतनी भयंकर घटना हो जाने के बाद भी उपद्रवों के कारणों का अध्ययन नहीं किया है। जो व्यक्ति मरे हैं और घायल हुए हैं, उनका ब्यौरा नहीं दिया गया है। अपने वक्तव्य में गृह मंत्री ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि समाचारपत्रों में घटना के जो विविध विवरण प्रकाशित हुए हैं, क्या वे सही हैं ?

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय आदिवासियों जैसे समाज के एक कमजोर वर्ग से संबंधित है और वह भी भारत की सीमा पर स्थित एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र में। यह वक्तव्य नौकरशाहों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें घायल हुए व्यक्तियों की संख्या या उन व्यक्तियों की संख्या दी है, जिन्होंने पुलिस स्टेशन को घेरने का प्रयास किया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पुलिस और आदिवासी स्वयंसेवकों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें पहले की खबरों के अनुसार सात आदिवासी मरे थे और दो पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी ? एक आदिवासी की बाद में मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार कुल मरे आदिवासियों की संख्या आठ हो गई थी। समाचार-पत्रों में यह काफी व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था कि 10,000 आदिवासी स्वयंसेवकों ने गोलपाड़ा जिले के बिजनी में डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि बोडो भाषा के लिए असमिया लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को लागू किया जाए। उनकी यह भी मांग थी कि स्कूलों में बोडो भाषा लागू रहनी चाहिए। इसकी एक गहन पृष्ठभूमि है। बोडो साहित्य सभा ने काफी पहले से इस बारे में आंदोलन प्रारंभ कर रखा था। असम सरकार के प्रवक्ताओं के साथ आंदोलनकारियों के नेताओं की बातचीत चल रही थी और यह आशा थी कि सोहार्दपूर्ण समाधान निकल सकेगा और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जायेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 नवम्बर से शुरू होने वाले आंदोलन को 18 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

1952 में बोडो भाषा को प्राइमरी स्तर तक अध्ययन की भाषा स्वीकार किया गया था। इसके बाद इस बात के लिए आंदोलन किया गया था कि बोडो भाषा को मैट्रिक स्तर तक अध्ययन के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। एक मंत्री महोदय ने इस मांग को बढ़ावा दिया और इस भाषा को मैट्रिक स्तर तक अध्ययन की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। बोडो साहित्य सभा ने रोमन लिपि के बारे में मांग रखी। मैं नहीं कह सकता कि यह मांग सही है या नहीं, परन्तु सरकार को जहां एक और तालमेल का रुख अपनाना चाहिए, वहीं दृढ़ता भी दिखानी चाहिए। आदिवासियों के साथ मिल बैठकर उनके दिमाग से पूर्वाग्रह निकाल देना चाहिए। जायज़ मांगों को भी नहीं माना जाता जो मांगें बहुत ज्यादा हों, उनके बारे में भी बातचीत करके सोहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए।

अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि रोमन लिपि की मांग से आगे बढ़कर कुछ आंदोलनकारी तो पृथक राज्य की ही मांग करने लगे हैं। मैं नहीं चाहता कि असम का और ज्यादा विभाजन हो, क्योंकि वह काफी संवेदनशील भाग है। अगर सरकार और आदिवासियों के नेताओं के बीच कोई सहमति हो जाती, तो उग्रवादी तत्व पृथक् राज्य की मांग नहीं करते। यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि पश्चिम बंगाल में अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देकर नवयुवकों को असम भेजा जा रहा है। कुछ तत्व ऐसे भी हो सकते हैं जो बंगाल और असम के लोगों में दुश्मनी पैदा करने के इच्छुक हों। अगर इस प्रकार की खबरों का खंडन नहीं किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों ही राज्यों में उग्रवादी तत्व भड़क सकते हैं। गलत सूचना का खंडन होना चाहिए और अगर जानकारी सही है, तो इस प्रकार की गतिविधि को शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए।

अगर असम सरकार ने आदिवासी नेताओं के साथ मिल बैठकर बातचीत करके समाधान निकाला होता, तो संभवतः उग्रवादियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। सत्ता के नशे में चूर असम सरकार ने केवल यही सोचा कि वह आंदोलनकारियों को कुचल सकती है। भाषा संबंधी आंदोलन के बारे में हमें

46 LSS/74—11

स्वयं अनुभव है कि अगर ऐसे आंदोलन को शुरू में ही समाप्त नहीं कर दिया जाता, तो ऐसे आंदोलनों से देश की अखंडता और राज्य की अखंडता प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस बारे में सरकार का उदासीन व्यवहार अक्षम्य है।

अन्त में, मैं गृह मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी जैसे समाज के कमजोर वर्ग द्वारा प्रारंभ किये गये आंदोलन के प्रति पुलिस को ज्यादा खतरा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आंदोलन से मानवीय तरीके से निपटना चाहिए। फ्रांस में छात्रों के आंदोलन के कारण ऐसी स्थिति आ गई थी कि सरकार को अपने अस्तित्व तक का खतरा पैदा हो गया था, परन्तु छात्रों पर फिर भी गोली नहीं चलाई गई थी। इसलिए समाज के कमजोर वर्ग के आंदोलन के प्रति सरकार को कुछ तो सहन शक्ति दिखानी चाहिए। इन लोगों को शताब्दियों तक कुचला जाता रहा है, इसलिए समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा इनके प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। यह सरकार चोर बाजारियों, जमाखोरों और तस्करों के प्रति सहानुभूति दिखा सकती है, उनके प्रति उदार व्यवहार कर सकती है, तो उसे समाज के कमजोर वर्गों, जैसे आदिवासी आदि के प्रति भी उदारता का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप उनका दमन गोलियों के बल पर करेंगे तो आपको भी बदले में गोलियां ही मिलेंगी मंत्री महोदय को इस समस्या का हल मानवीय ढंग से करने का प्रयत्न करना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : यह कहना सही नहीं है कि आसाम सरकार ने मनमाने ढंग से एक पक्षीय रूप से कार्यवाही की है। आसाम सरकार ने इस आदिवासियों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया है। 150 लाख लोगों में से आसाम ने 13 लाख के लगभग आदिम जातीय लोग हैं और उनमें से 4 लाख बोरो लोग हैं। चार लाख के लगभग यह बोरो लोग इधर-उधर के जिलों में बसे हुए हैं। मैं इस बात का भी खण्डन करता हूं कि सरकार काला बाजारियों के हितों की रक्षा कर रही है। सरकार तस्करों और काला बाजारियों के विरुद्ध कड़े उपाय अपना रही है। सरकार निर्धन लोगों की यथासंभव सहायता करने का प्रयत्न कर रही है और जहां तक हो सकेगा उनकी उचित मांगों को पूरा करेगी।

बोरो लोगों ने रोमन लिपि अपनाने को कहा है। आसाम सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व आदेश दिए थे कि प्राइमरी शिक्षा स्कूलों में बोरो भाषा पढ़ाई जा सकती है और इसे माध्यमिक स्तर पर भी लागू किया गया है। मुझे बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक समितियों ने इस पर विचार विमर्श किया है और वह उनके लिए कुछ पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। यह केवल अभी तक नहीं किया जा रहा है अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि आसाम सरकार बोरो लोगों की मांगों और शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार पहले से ऐसा करती आ रही है। राज्य प्राधिकार विशेष रूप से शिक्षा विभाग और असम सरकार के शिक्षा सचिव ने इन समस्याओं तथा रोमन लिपि के बारे में नेताओं तथा प्रतिनिधियों से बातचीत की किन्तु दुर्भाग्य से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। वास्तव में हमारे भाषायी अल्पसंख्यक संबंधी आयुक्त ने दिनांक 31-10-74 को बोरो लोगों के नेताओं से बातचीत की। राज्य सरकार के साथ बोरो नेताओं की 11 अक्तूबर और 12 नवम्बर को बातचीत हुई थी। आसाम के मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि शिक्षा विभाग तथा शिक्षा सचिव से बातचीत करके कोई निर्णय हो जाता है तो ठीक है और यदि नहीं होता तब वह शिक्षा मंत्रालय के पास जा सकते हैं और अगर मामला तब भी नहीं निपटता तो वह मुख्य मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। हमें खेद है कि 8 व्यक्तियों की जानें गई और 100 के लगभग लोग घायल हुए। उनमें से कुछ पुलिस के लोग भी थे। यह संभव है कि बाह्य तत्व उन्हें उकसा रहे हैं तथापि उन्हें हिंसात्मक कार्यवाही करने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए थी।

वास्तव में बोरो लोगों का असमिया लोगों से घुल-मिल जाना उनके हित में है।

***श्री अजीत कुमार साहा** (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय 18 और 19 नवम्बर 1974 को आसाम के गोलपाड़ा जिले में कुछ दुखद घटनाएं घटित हुईं और पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप 9 व्यक्तियों की जानें गईं। इन घटनाओं को आप अचानक हुआ नहीं कह सकते क्योंकि आन्दोलन पिछले दो सालों से भी अधिक समय से जारी था और इन घटनाओं के लिए केन्द्र सरकार और आसाम सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने मामले को समय पर नहीं निपटाया। 27 वर्षों के कांग्रेस राज्य में सरकार ने इन आदि-वासी लोगों के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आसाम के बोरो आदिवासियों की ओर से राज्य की भाषा नीति के बारे में शिकायत के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आसाम की अल्पसंख्यक बोरो जाति ने आसाम में असमिया भाषा को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाने तथा उन पर जबर्दस्ती थोपने के संबंध में कोई विरोध पत्र दिया है, यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस विरोध पत्र पर क्या प्रतिक्रिया है। तीसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का, उन परिस्थितियों की जांच कराने के लिए जिनके परिणामस्वरूप 9 व्यक्तियों की जानें गईं, एक उच्च शक्ति प्राप्त गैर-सरकारी समिति की नियुक्ति करने का विचार है और क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है। अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों, प्रसिद्ध शिक्षाविदों और बोरो अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधियों की कोई समिति बनाई है जोकि बोरो भाषा को रोमन लिपि के जरिये चालू करने के उपायों पर विचार करेगी।

आशा है मंत्री महोदय मेरे प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट रूप से उत्तर देंगे।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे विचार में जांच हेतु विशेष समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। असम सरकार तथ्यों से पूर्णतया अवगत है और मामले की जांच कर रही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या आपको आसाम के आदिवासी लोगों की ओर से उनकी भाषा को रोमन लिपि में सिखाए जाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : भारत सरकार को उनकी ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : Mr. Deputy speaker, Sir, the hon. Minister has stated that the discussions were held with the leaders on the sixteenth. I want to know the topics that were discussed and the reasons of promulgating section 144 Cr. P.C. in these areas.

The hon. Minister has also stated that since these tribal people were armed with lathis, spears etc., they had to take action against them. I want to know why such an action was not taken against C.P.I. people in Patna. This double standard is not fair I want to know who is responsible for all this agitation?

Is it a fact that the Vice Chancellor of their University is a priest and most of the other lecturers are christians and it is these people who want to bring Roman script whereas it has always been stressed in the report of schedule caste and schedule Tribes that the tribal people should be taught in their own language.

---

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपांतर।

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.**

It has also been stated that few C.R.P. men lost their lives too but has the Government ever tried to find out how much they harass tribal people.

Ancient history of India is not being taught in their school. Importance is being given to English and Mougal History. Will the hon. Minister look into it.

Lastly I want to know whether a committee of a members of Parliament will be constituted to probe into the matter. If not, whether a judicial enquiry will be held and whether steps are being taken to pay compensations to the families of the deceased.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जैसाकि मैंने पहले भी बताया कि जांच हेतु संसद् सदस्यों की समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आसाम सरकार निश्चय ही मामले की जांच करेगी। बोरो भाषा को प्राइमरी स्कूलों तथा माध्यमिक स्तर पर भी लागू किया जा रहा है अतः यह कहना उचित नहीं कि आसाम सरकार लोगों की उचित मांगों के प्रति जागरूक नहीं है।

जहां तक मुआवजा देने का सवाल है यह आसाम सरकार का मामला है वह ही इस पर विचार करेगी।

Shri M. C. Daga (Pati) : Mr. Deputy Speaker sir you have expressed your sorrow on the death of persons who have been killed as a result of police firing. I want to know whether these incidents will not reoccur in future. Can you suppress them by bullets. What steps has the Government taken to avoid the reccurance of such incidents.

The Plans Tribal Committee has been referred to. Who are the members of this committee and what were their demands and what decision was taken by your department on their demand. When was the need of promulgation of Section 144 Cr. P. C. was felt and who are persons who violated it. What was the reason of police firing.

When an order under Section 144 is issued by a magistrate it is issued for a particular locality, either 10,000 persons assembled at one place or in different parts of that area. I want to know this fact. How many people were encountered by the Police. 100 on this side and 200 on that side or 400 or were all the 10,00 persons at one place?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : माननीय सदस्य ने जो जानकारी जाननी चाही है उसका अधिकांश उल्लेख वक्तव्य में किया गया है।

"18-11-74 को बोरो लोग मुख्यतः बोरो साहित्य सभा तथा आसाम के मैदानी आदिवासी परिषद के स्वयंसेवकों ने लाठी, भाले, दाव आदि से लैस होकर गोलपाड़ा जिले में सिदली, कोकराझाड़, बिजनी तथा गोसाई गांव जैसे केन्द्रों में स्थित सरकारी प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों पर घरना देने तथा उनको बंद करने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में लागू दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन विरोधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए जलूस निकाले"।

श्री मूल चन्द डागा : मैं जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश को देखना चाहता हूं। कृपा आदेश पढ़ कर बताइये कि कौन-कौन से स्थानों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई थी।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे पास आदेश नहीं है। 18 तारीख को दो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के और एक असैनिक व्यक्ति की मृत्यु हुई। 19 को तीन असैनिक व्यक्ति बिजनी में और 2 कोकराझाड़ में मारे गए और 100 के लगभग व्यक्ति घायल हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चट्टोपाध्याय वक्तव्य देंगे।

विवरण

कुछ राज्यों में कपास के मूल्यों की कथित कमी के बारे में वक्तव्य

Statement Re. repeated decline in Prices of Cotton in certain States

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : 11-11-1974 को चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य भागों में रूई की कीमतों में तीव्र गिरावट आई है जिससे किसान आपात बिक्रियां करने के लिये विवश हो गए हैं। यह भी कहा गया है कि भारतीय रुई निगम बाजार में प्रवेश करने और कपास की न्यायोचित कीमतें सुनिश्चित करने में असफल रहा है।

सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्सुक है कि उपजकर्ताओं को अपनी रूई के लिये उचित कीमतें प्राप्त हो और रुई का उत्पादन पांचवीं योजना के लक्ष्यों के अनुसार बढ़ता रहे। इसके साथ ही, मेरे लिये यह कहना अनावश्यक है कि कच्ची रुई की ऊंची कीमतों के फलस्वरूप धागे और कपड़े की कीमतें अनिवार्यतः बढ़ जायेंगी जिससे देश में उपभोक्ताओं पर, जिनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, और साथ ही निर्यात बाजारों में हमारे सूती वस्त्रों की प्रतियोगिता स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

1972-73 रुई वर्ष के लिये कपास की मूल किस्म अर्थात पंजाब अमरीकन 320—एफ० की न्यूनतम समर्थन कीमत 142 रु० प्रति क्विंटल थी। 1973–74 मौसम के लिये, उसी किस्म के लिये सिफारिश की गई समर्थन कीमत 170 रु० प्रति क्विंटल थी। इसकी तुलना में, 1972-73 और 1973-74 में औसत बाजार कीमतें क्रमशः 225 रु० प्रति क्विंटल और 290 रु० प्रति क्विंटल थीं। इस प्रकार कपास की कीमतों में 1973-74 के मौसम में 1972-73 के स्तरों की अपेक्षा लगभग 26.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई।

यह पता चला है कि पंचाब, हरयाणा और राजस्थान के बाजारों में 320—एफ किस्म की कपास की कीमतें इस समय 280 रु० से 320 रु० प्रति क्विंटल के बीच चल रही हैं। यद्यपि इन कीमतों से अगस्त, 1974 के बाद के उच्चतम स्तरों की तुलना में गिरावट का संकेत मिलता है, फिर भी ये कीमतें औसतन गत वर्ष की उसी अवधि की अपेक्षा ऊंची हैं। व्यापारी वर्ग तथा मिलों द्वारा खरीदारियों के स्तर का भी रुई की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है और धागे तथा कपड़े का कुछ स्टाक इकट्ठा होने के कारण गत कुछ सप्ताहों में निस्संदेह खरीदारी में दिलचस्पी कम रही है। यदि कीमतों को स्थिर करना है तो समस्या के इस पहलू का प्रभावशाली हल निकालना होगा। हम इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या उपाय किये जा सकते हैं।

लिंट कीमतों के संबंध में यह देखा जाता है कि अगस्त, 1973 और अगस्त, 1974 के बीच कुछ मुख्य किस्मों की कीमते 50—80 प्रतिशत बढ़ीं। पंजाब अमरीकन 320—एफ की कीमत 2276 रु० प्रति केन्डी से बढ़कर 3901 रु० प्रति केन्डी हो गई जो कि 70 प्रतिशत अधिक थी। बंगाल देशी रुई की कीमत, जोकि उत्तरी राज्यों में भी उगाई जाती है, 1686 रु० प्रति केन्डी से बढ़कर 2699 प्रति केन्डी हो गई जोकि 60 प्रतिशत अधिक थी। पश्चिम भारत में उगाई जाने वाली कल्याण नामक लोकप्रिय किस्म की कीमत अगस्त, 1973 में 2130 रु० थी और बढ़कर अगस्त, 1974 में 4245 रु० हो गई जो शतप्रतिशत वृद्धि है। यद्यपि इस विषय में सरकार द्वारा जो उपाय किये गये जैसे कि सूती वस्त्र मिलों पर स्टाक की सीमा निश्चित करना, रुई की खरीद तथा स्टाक करने के लिये बैंक से उधार देने पर प्रतिबन्ध लगाना और अहस्तांतरणीय विनिर्दिष्ट सुपुर्दगी, संविधाओं की वैद्यता अवधि को

3 मास से कम करके एक मास कर देना, इन उपायो का उस प्रवृत्ति पर काबू पाने में कुछ हद तक असर पड़ा, परन्तु तथ्य यह है कि कीमतों में अभूतपूर्व ढंग से वृद्धि हुई ।

मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायेगा कि गत वर्ष में रुई की कीमतों के असाधारण रवैये को चालू मौसम में कपास की कीमतें तय करते समय आधार नहीं बनाया जा सकता । यह ठीक है कि इस अवधि के दौरान कंट्रोल की किस्मों के अलावा अन्य कपड़े की कीमतों में भी वृद्धि हुई है । इन मूल्य वृद्धियों का असर कंट्रोल के पकड़े का उत्पादन 40 करोड़ वर्ग मीटर से बढ़ा कर 80 करोड़ वर्ग मीटर प्रतिवर्ष करके कम किया गया है । अब हमारा यह उद्देश्य होना चाहिये कि उपभोक्ताओं के हित में रुई तथा सूती वस्त्रों दोनों की कीमत स्थिति को स्थिर बनाया जाये । साथ ही कपास की कीमतों को इस ढंग से विनियमित किया जाना है जिससे विदेशों में हमारे वस्त्र उत्पादों की प्रतियोगिता क्षमता नष्ट न हो और जो वस्त्रों से होने वाली निर्यात आय को अधिकाधिक बढ़ाने में सहायक हो ।

मैं कपास उपजकर्ताओं की आशाओं के प्रति पूर्णतः सजग हूं और ऐसा वातावरण बनाये रखूंगा जिससे उनके उत्पादक प्रयास निष्फल न हों । ऐसा करते समय हमें दोनों लक्ष्य ध्यान में रखने होंगे— एक ओर उपजकर्ताओं को उचित दाम दिलाना और दूसरी ओर सूत तथा कपड़ा समोचित कीमतों पर उपलब्ध कराना । हमारा विचार है कि भारतीय रुई निगम इस दिशा में निश्चित भूमिका निभा सकता है । हम वर्तमान स्थिति का सावधानीपूर्वक जायजा ले रहे हैं और भारतीय रुई निगम को उपलब्ध कराने के लिये कितना धन मिल सकता है, इस पर निर्भर रहते हुए, तथा चेज्ञग्र राष्ट्रीय हित के अनुरूप हम सावधानीपूर्वक नियंत्रित खरीदारी करने पर विचार कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दन्डवते : अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यह एक अविलम्बनीय मामला है अतः इस विषय पर चर्चा बाद में होगी । चूंकि इस विषय पर चर्चा बाद में होगी हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री बसन्त साठे : (अकोला): आज मैंने इस मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। मेरा अनुरोध है कि आप सरकार से इसे स्वीकार करने के लिये कहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस मामले पर सदन में चर्चा की जाए इस पर निर्णय करना सरकार का काम नहीं । यह निर्णय केवल अध्यक्ष महोदय लेते हैं ।

श्री वसंत साठे : मैं इस विषय की गंभीरता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महाराष्ट्र में जहां कि एकाधिकार खरीद होती है कृषक बहुत कठिन स्थिति में हैं । धनाभाव के कारण सूत कपास निगम कोई खरीद नहीं कर सकता . . . (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मामला इतना गंभीर है तो इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिये लेकिन अध्यक्ष महोदय इस मामले में निर्णय लेंगे ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

Representation of the People (Amendment) Bill

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं, प्रस्ताव करता हूं कि "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री एस० एम० बनर्जी को विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करना है ।

प्रो० मधु दंडवते : जैसा कि श्री माठे ने कहा है कि यदि इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती तो कम से कम इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कीजिए . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में और अधिक कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा . . . . . **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय—जारी

क्या आप सदन की कार्यवाही के चलने देंगे ? श्री गोखले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव किया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री गोखले द्वारा पुरःस्थापित इस जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं । आप मेरी बात सुनें और गोखले को यह स्पष्टीकरण देने को कहें कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया और यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है ।

यह अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री कंवर लाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला, संबंधी चुनाव याचिका पर दिये गये निर्णय के बाद जारी किया गया ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कुछ सिफारिशों को संयुक्त समिति के सामने पेश किया गया था । उस समिति का मैं भी सदस्य था। समिति ने चुनाव व्यय को कम करने और भ्रष्ट तरीकों को रोकने पर विस्तार से चर्चा की । परन्तु यह प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया । उपरोक्त मामले के निर्णय के तुरन्त बाद, विभिन्न उच्च न्यायालयों और निर्वाचन न्यायाधिकरणों में विचाराधीन पड़े मामलों को बचाने के लिये अध्यादेश जारी कर दिया गया जो कि गलत है । यह ठीक है कि पूरे देश में यह हवा फैल गयी है कि यह अध्यादेश प्रधान मंत्री को बचाने के लिये जारी किया गया है जिनके विरुद्ध चुनाव याचिका विचाराधीन है यदि प्रधान मंत्री अथवा हम में से किसी ने कोई पुष्ट तरीका अपनाया है तो उसे इसकी सजा मिलनी चाहिये ।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I rise to oppose this Bill on constitutional, political and moral grounds. The ordinance was issued with a view to by pass a recent judgement, given by the Supreme Court. Therefore this ordinance virtually amount to the contempt of the Supreme Court.

Every candidate shall have to keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election according to the provisions of the Bill and a maximum of the expenditure has been prescribed. Now the explanation which is being added with the Act is going to defeat the very purpose of the clause. That is most unfair. It is stated that this ordinance has been issued in order to cover the 186 election petitions pending in various courts in the country. The election petition is also pending against the Prime Minister. We should not interfere with the law.

I suggest that accounts of all political parties should be regularly audited and efforts must be made to minimise the influence of money in the elections. Only then we can have fair elections.

. The judgement of the Supreme Court should not be allowed to be by passed by passing this Bill.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise to oppose the Bill. This Bill violates the fundamental rights as enshrined in Article 13(2) of the Constitution. This Bill also violated Article 14 of the Constitution which relates to the equality before the law.

A petition in the name of Rajnarain Vs. Smt. Indira Gandhi is pending in the Allahabad. Court. The affidavit given by Shrimati Indira Gandhi, is an accessible public document..

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु इस पर अभी निर्णय किया जाना है ।

श्री मधु लिमये : शपथ-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज होता है और उसे भारत का प्रत्येक नागरिक पढ़ सकता है ।

I do not want any thing which may prejudice the case. But it is interesting to know the admission made by Shrimati Indira Gandhi.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधि मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या इसको इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह मामला न्यायालय में अनिर्णित पड़ा है, न्यायालय के विचाराधीन माना जायेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मेरा नम्र निवेदन यह है कि मुझे उस शपथ-पत्र की कोई जानकारी नहीं जिसका उल्लेख किया जा रहा है । परन्तु उनके कथन से पता चलता है कि वह प्रधान मंत्री द्वारा शपथ-पत्र में कही गई बातों का उल्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में इलाहबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में कही है । वह तथ्यों का एक विवरण है जो निर्णायाधीन है । इस बात पर न्यायालय विचार कर सकता है कि क्या शपथ-पत्र स्वीकार किया जाये या नहीं । न्यायालय को सच्चाई का पता लगाना है । इस सीमा तक यह मामला निर्णाधीन है ।

Shri Madhu Limaye : 180 cases are sub-judice. They will introduce legislation in respect of them and I cannot mention anything about any sub-judice case. What are you talking?

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर बात यह है कि श्री मधु लिमये ने जिस शपथ-पत्र का उल्लेख किया है वह न्यायालय के विचाराधीन है या नहीं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने यह कदापि नहीं कहा कि कानून को निर्णयाधीन समझा जाये । मैंने केवल इतना कहा है कि यह मामला . . . (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात भली भांति जानना चाहता हूं कि क्या उपरोक्त शपथ-पत्र न्यायालय के विचाराधीन है या नहीं । यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपकी बात सुनने के लिये तैयार हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : शपथ-पत्र लिखित में सक्ष्म मात्र होता है । साक्ष्य दो प्रकार होता है —एक मौखिक और दूसरा लिखित । उपरोक्त दस्तावेज चुनाव याचिका के संबंध में दिया गया है कि उस चुनाव को रद्द कर दिया जाये या नहीं । वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । यह मेरा निवेदन है ।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का संबंध है, यह व्यवस्था विचाराधीन चुनाव याचिकाओं के संबंध में लागू की जानी है। अतः ये विचाराधीन मामले हैं। हम इस समय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस विधेयक को इस समय प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये या नहीं। न्यायालय में विचाराधीन का नियम कानून बनाने के मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। निश्चय ही हम इस विधान पर चर्चा कर सकते हैं। यदि विचाराधीन चुनाव याचिकाओं पर चर्चा में निर्णयाधीन का नियम बाधक बने तो इस विधेयक पर चर्चा करने का क्या लाभ होगा ? यह संविधान के साथ धोखा है।

उपाध्यक्ष महोदय: हम विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि क्या इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना चाहिये या नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : He is going to introduce this Bill and thereafter, he will move a motion to consider it. If you want to say that we are not discussing the Bill so this point cannot be raised, then shall we be allowed to raise this point at the time of discussion? If so, whether the question of the issue being sub-judice will not be applied in that case? When these provision is to affect pending election petitions then we should be allowed to refer to the aforesaid affidavit and know the facts. Sub-judice ruled does not apply to the legislation.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जिस दस्तावेज का उल्लेख किया जा रहा है वह सभा में पहले भी तीन बार पढ़ा जा चुका है। फिर हम उस शपथ-पत्र को सही मान रहे हैं। हम इसे गलत नहीं बता रहे और न ही उसमें उल्लिखित बात को चुनौती दे रहे हैं। हम तो उसमें से उद्धृत कर रहे हैं और यह प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ स्वीकार किया है वह इस अध्यादेश और विधेयक के आधार पर बच जायेंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह व्यवस्था विचाराधीन चुनाव याचिकाओं को प्रभावित करेगी। मुझे पता चला है कि ऐसे 272 मामले विचाराधीन हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 188 मामले।

श्री एस० एम० बनर्जी: प्रधान मंत्री के मामले को मिला कर 188 मामले हैं। यदि इस शपथ-पत्र को न्यायालय में विचाराधीन मानकर इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता तो क्या इस विधेयक को प्रस्तुत करना उचित है जिसका प्रभाव 188 विचाराधीन मामलों पर पड़ेगा ?

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : पहली बात यह है कि क्या यह सभा इस संबंध में कानून बना सकती है या नहीं। किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि क्या सरकार संवैधानिक दृष्टि से इस विधेयक को पुरःस्थापित कर सकती है या नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी विधेयक पर चर्चा करते समय दो सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। नियम 352 में लिखा है कि जिस तथ्य के मामले में न्यायालय ने निर्णय देना है उसपर कोई चर्चा नहीं होगी। जहां तक जीपों के उपयोग का संबंध है, वह तथ्यात्मक विवरण है जिस पर न्यायालय ने निर्णय देना है। अतः उस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय: यह कहना ठीक नहीं कि विधेयक पुरःस्थापित करने का विरोध केवल संवैधानिक आधार पर किया जा सकता है, यह बात नियमानुसार नहीं है। यदि वह नियमों को ध्यान से पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि विरोध किसी भी आधार पर किया जा सकता है परन्तु जब वैधानिक अक्षमता के आधार पर विरोध किया जाये तब पूरी चर्चा की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि वह इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री विक्रम महाजन : आप कृपया नियम 72 देखें . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 72 में संवैधानिकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । परन्तुक में लिखा है कि यदि किसी प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा । फिर यदि नियम 352 की बात है तो वह नियम अभी इस पर लागू नहीं होता क्योंकि मुझे इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या यह विधेयक इस पहलू विशेष से संबंधित है ; अन्य सभी विचाराधीन मामलों से नहीं परन्तु इस पहलू विशेष से संबंधित है या नहीं; चाहे वह न्यायालय के विचाराधीन है या नहीं, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है ।

Shri Madhu Limaye : It has been admitted that there are 180 election petitions in the courts including the one against the Prime Minister and this Bill is related to all these petitions. It has been stated in May's Parliamentary Practice that :

> "Matters pending judicial decisions : matters awaiting adjudication of a court of law should not be brought forward in debate except by means of a Bill."

It has been dealt with by **'Kaul and shakdhar'** in detail which states that :

> "The rule of sub-judice cannot stand in the way of legislation ... "

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है ।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने इस स्थिति का विरोध नहीं किया है ।

Shri Madhu Limaye : This Bill violates article 14 and I am giving facts to establish this—I do not want to say anything else.

This Bill also violates Article 14 of the Constitution which I will prove. The question is whether that expenditure was authorised by the candidate for his election agent.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विधेयक के गुणावगुणों में जा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : The Prime Minister is heading the Government. Every Government expenditure is incurred under her authority. Can the expenditure on jeeps, helicopters etc. during her election be incurred without her approval ? Rae Bareli is the constituency of the Prime Minister and any expenditure met by the Rae Bareli District Congress Committee will be included in the expenditure.

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी विशेष निर्वाचन-क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं **(व्यवधान)** हम इस विधेयक को पुर:स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं लेकिन आप इस पर बहस कर रहे हैं। जहां तक मैं समझा हूं कि आप इस विधेयक पर संवैधानिकता के आधार पर आपत्ति उठा रहे हैं। लेकिन यह इस सदन की विधायी क्षमता से अलग चीज है । क्या आप इस आधार पर इस विधेयक पर आपत्ति कर रहे हैं कि यह सदन की विधायी क्षमता से बाहर है ? क्या आप का यही आधार है।

Shri Madhu Limaye : I have already said that this House can not enact any law against the fundamental rights. Permission can be granted by you for a comprehensive discussion.

श्री बसंत साठे (अकोला) : यह विधायी क्षमता का सामान्य मामला है। यदि हम कोई कानून पारित करते हैं जो असंवैधानिक है और वह मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इसे गैर-कानूनी ठहराया जा सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप औचित्य के प्रश्न को उठा सकते हैं, लेकिन इस सदन की विधायी क्षमता के प्रश्न को नहीं उठा सकते। अत: श्री मधु लिमये अपने आप को विधायी क्षमता के संक्षिप्त विषय तक ही सीमित रखें तभी हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं, अन्यथा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यह विधेयक हमारी विधायी क्षमता से बाहर है अतः इस पर पूरी बहस होनी चाहिये। अब इस पर कौन निर्णय करेगा कि प्रथम दृष्टि में यह बहस के लिये मामला बनता है। अतः मुझे इस पर निर्णय करना होगा। आपने अपने पत्र में भी एक आधार के रूप में इसका उल्लेख नहीं किया है।

श्री मधु लिमये : मैं अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। क्या यह सदन मूल अधिकारों के खिलाफ कानून बनाने की क्षमता रखता है?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि न्यायालय इस पर क्या निर्णय देगा। मैं इस का कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता हूं।

Shri Madhu Limaye : If any expenditure was authorised by the Prime Minister or any other Minister that would form part of her election expenditure according to earlier decisions of the Supreme Court. Now, after this Bill is passed, expenditure by bodies associations etc. would not form part of the election expenditure. There would thus be no equality before law and no future for a poor party or a poor candidate.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक को पारित करने के बाद यदि यह मान लिया जाये कि उच्चतम न्यायालय ने मेरे विरुद्ध निर्णय दे दिया तो मुझे न्यायालय के पास पुनर्विचार हेतु जाने का अधिकार नहीं होगा। मैं विधि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता कि वह इसका उत्तर दें।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : There is general impression in the country that the Ordinance for replacing which the present Bill has been brought forward, has been issued to give protection to the Prime Minister against whom an election petition is pending. This Bill which has bearing on the election of the Prime Minister, should not be allowed to be introduced in the Lok Sabha on moral considerations.

If this Bill is passed it would become difficult for ordinary people to contest elections. This Bill would, therefore, weaken democracy and spread corrupt practices. Such a Bill should not be allowed to be introduced. The Government should respect the judgement of the Supreme Court and should not press for the introduction of this Bill.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। संबद्ध पार्टियां न तो बहस में भाग ले सकती हैं और न वे कानून प्रस्तुत कर सकती हैं। अतः इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री पी० के० देव : (कालाहांडी) : श्रीमान् मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने इस पर पूर्ण बहस की अनुमति दी है .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को सुनने के बाद अपना निर्णय बताऊंगा।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : पहला प्रश्न विधायी क्षमता के बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मामलों तथा संसद और राज्य विधानमंडलों के समान क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में संसद और राज्य विधान मंडलों, दोनों की क्षमता की परिभाषा दी गई है। अतः जब हम संसद की विधायी क्षमता पर विचार करते हैं तो हमें सातवीं अनुसूची में यह पता लगाना पड़ेगा कि क्या सूची-I, संघ सूची में कोई ऐसी प्रविष्टि है जिसमें यह विधान अन्तर्निहित है अथवा नहीं। ऐसी एक सीधी प्रविष्टि है जिसके अन्तर्गत चुनाव संबंधी विधान संसद द्वारा बनाये जा सकते हैं।

संघ सूची की प्रविष्टि 72 के साथ पठनीय अनुच्छेद 246(1) में स्पष्ट है कि संसद, राज्य विधान मंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों तथा निर्वाचन आयोग के बारे में विधान संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि संसद को चुनावों के विनियमन तथा चुनाव कराने के बारे में विधान पास करने का अधिकार है तो उसे विधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है। यही आशय इस विधेयक का भी है।

जहां तक अनुच्छेद 13 या 14 का संबंध है, इस संबंध में अनुचित तर्क किये गये हैं। यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि यह विधान केवल एक ही व्यक्ति के लिये पास किया जा रहा है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रधान मंत्री की याचिका नहीं बल्कि इस प्रकार की सभी याचिकाओं के लिये लाया गया है, यह तो अनिर्णीत पड़ी सभी दलों की सभी याचिकाओं पर सामान रूप से लागू होगा। यह कहना कि कानून की सफलता से इनकार किया गया है तभी उचित होगा जबकि इसका लाभ एक ही व्यक्ति को दिया जायेगा और अन्य लोगों को नहीं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : क्या श्री अमरनाथ चावला को इसका लाभ पहुंचेगा ?

श्री एच० आर० गोखले : यह बात इस मामले से संबंधित नहीं है। यह एक मान्य सिद्धांत रहा है कि जब संसद के वास्तविक आय को स्पष्ट करने की दृष्टि से कानून बनाया जाता है तो सदा यह प्रथा रही है कि जिस मामलों मे कोई निर्णय लिया जाता है जिससे कि एक दल को लाभ होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। प्रस्तावित विधेयक में वह विषय बिल्कुल शामिल नहीं है, जिनपर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है या जिनमें निर्णयों को अंतिम रूप दे दिया गया है। संसद को चुनाव संबंधी कानून बनाने के अधिकार हैं। अनुच्छेद 13 और 14 का वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है।

अनुच्छेद 137 की भी चर्चा की गई है। इस विधेयक के पुनर्विलोकन से याचिकाओं पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : श्री अमरनाथ चावला ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका दायर की है।

श्री एच० आर० गोखले : पुनर्विलोकन याचिका दायर की गयी है और न्यायालय ने नोटिस जारी किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव संबंधी निर्णय को तो स्वीकार नहीं किया लेकिन गोलकनाथ के मामले के बारे में निर्णय को स्वीकार किया है।

श्री एच० आर० गोखले : संभवतः माननीय सदस्य अनुच्छेद 143 और 141 का जिक्र कर रहे हैं। इसका विधायी क्षमता से कोई संबंध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी कानून की संवैधानिकता अथवा असंवैधानिकता संबंधी निर्णय देना इस सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। अनुच्छेद 13,14 अथवा 137 के उल्लंघन पर तो न्यायालय ही निर्णय दे सकता है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि यह इस सदन की विधायी क्षमता के बाहर नहीं है और यह सदन कानून बना सकता है.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नैतिक दृष्टि से अक्षम है..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन को इस संबंध में कानून बनाने के लिये पूर्ण क्षमता है **(व्यवधान)** अतः मैं इस प्रश्न को...

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे और क्या करना है ?

श्री **मधु लिमये** : पीठासीन अधिकारी सहित हम सभी को सदन से बाहर जाना चाहिये ।

श्री मधु लिमये तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गए ।
Shri Madhu Limaye and some other Hon. Members then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश 1974 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जैसाकि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

उपाध्याक्ष महोदय : अब हम अगले विषय को लेते हैं ।

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक
INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : इस विधेयक के लिये केवल एक घंटा समय रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर बोलना चाहते थे ।

डा० कैलाश (बंबई दक्षिण) : मैं बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा ।

डा० कैलाश : आप मेरे समय हमेशा ही ऐसा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आवेश में न आयें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : जब यह विधेयक सभा में चर्चा के लिए पेश किया गया तो मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बहुत ही साधारण विधेयक है। किंतु पिछले तीन दिनों से इस पर जो चर्चा हो रही है उससे यह साबित हो गया है कि यह इतना साधारण नहीं है जितना इसे बनाया गया है। कोई भी यह बात स्वीकार कर सकता है कि यह 10 रुपये की राशि कोई कर नहीं है। यह तो सेवा के लिये एक प्रकार का शुल्क है।

(श्री इसहाक सम्बली पीठासीन हुए)
Shri Ishaque Sambbali in the chair

किसी न किसी बहाने से हमारी सरकारों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार यह आदत सी हो गयी है कि सभी जनसुविधाओं का शुल्क बढ़ाया जाये। परन्तु इसकी तुलना में जनता को सुविधाओं नहीं दी जा रही हैं। सेवाओं में शुल्क की दर तो बढ़ रही है किंतु सेवाओं का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है, अतिरिक्त शुल्क लेना सरकार के लिये उचित नहीं है।

भारतीय डाक और तार विभाग भी अन्य विभागों की तरह एकाधिकारी से बने हुए हैं क्योंकि हमारे देश में सरकार के अतिरिक्त कोई और टेलीफोन नहीं दे सकता। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह इस एकाधिकार स्थिति का लाभ न उठायें और जनता को मनमाने ढंग से न लूटे। आखिर जनता तथा सरकार के बीच यह एक प्रकार का सौदा है। यदि ऐसी वृद्धि होती रही तो यह असहनीय हो जायेगा।

देश के डाकतार विभाग में कुछ खराबियां हैं, बिल सामान्य से भी अधिक लिए जाते हैं। उपभोक्ताओं को पहले बड़े बिलों का भुगतान करने के लिए कहा जाता है और छोटे बिलों का निवटारा बाद में होता है। जनता से इस प्रकार ठेके के तरीके से व्यवहार करना ठीक ढंग नहीं है। सरकार को भी देखना चाहिये कि उपभोक्ताओं के अलावा सरकार भी उसके अंतर्गत कार्य करती है।

टेलीफोन सेवा में भी कमियां हैं। मैं वेस्टर्न कोर्ट होस्टल में रहता था। वहां क्रासबार एक्सचेंज होने से टेलीफोन बहुत ही कम ठीक रहता था। देश में सभी जगह टेलीफोन की क्रास-बार प्रणाली निष्प्रभावी और अव्यावहारिक सिद्ध हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात का उत्तर दें। एक बात यह है कि टेलीफोन पर चोरी छिपे बात न केवल दिल्ली में ही सूनी जाती है अपितु अन्य स्थानों पर भी ऐसा होता है। विशेषतः ऐसा संसद सदस्यों तथा विधायकों और विरोधी पक्ष के सदस्यों तथा प्रयोक्ताओं के टेलीफोनों में भी होता है। सरकार इस प्रकार की बात क्यों होने दे रही है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मंत्री महोदय को डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि मंत्री महोदय भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर ध्यान दें जिसकी उपेक्षा की जा रही है। अनेक बड़े-बड़े नगरों से कलकत्ता का सीधा संपर्क नहीं है। कलकत्ता को बम्बई से भी सीधा नहीं जोड़ा हुआ है। डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था में मंत्री महोदय को महत्वपूर्ण नगरों तथा महानगरों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

अहमदाबाद सहित प्रमुख नगरों में टेलीफोन का प्रयोग बाहरी क्षेत्रों में किया जाता है। सरकार की योजना यह है कि बाहरी क्षेत्रों को प्रमुख एक्सचेंजों से अलग कर दिया जाये। नगर के इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो गये हैं। परन्तु उनके कार्यालय तथा व्यापार और बैंकिंग कार्य नगरों में होते हैं। यदि इन बाहरी क्षेत्रों के साथ टेलीफोन संपर्क समाप्त कर दिया गया तो यह उद्योगों के लिये उचित नहीं होगा। यह उद्योगों के विकास के मार्ग में बाधा होगी। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे। अहमदाबाद की टेलीफोन सलाहकार समिति में मुझे नहीं लिया गया है। यद्यपि मैं इस बात से प्रसन्न हूं तथापि जिन व्यक्तियों को समिति में लिया जाये उन्हें राजनैतिक संरक्षण के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिये।

टेलीफोन और तार में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के साथ पूरा न्याय नहीं किया जा रहा है। उनके हितों की देखभाल नहीं की जाती है। रेलवे डाक सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की पदोन्नति रोक ली जाती है।

मंत्री महोदय डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की आवास संबंधी हालत की ओर भी ध्यान दें।

डाक का वितरण समय पर नहीं होता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों के हित उपभोक्ताओं के संतोष के मामले में सेवाएं कुशल नहीं हैं। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

Dr. Kailas (Bombay-South) : This amending Bill seeks to amend sub-clause 2 and sub-clause 5 of section 7 of the original Act. The hon. Minister has said that this Bill is innocent but I do not agree with him. My objection is that "one session or in two or more successive sessions". Why the word "more" is being added ? It means that they can bring it one or two or three years. The bureaucrats may change the turn of an applicant so long as this amendment is there. The hon. Minister knows that there are certain catagories of applicants. Why a fee of Rs. 3,500 is charged from the applicants under O.Y.T. scheme. Why not this amount is increased to Rs. 5,000 ? I fail to understand why the fee of Rs. 10 is there for the applicants coming under special category ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I welcome this Bill. But I would like to know whether the applicants are given honest treatment after they have paid the fee of Rs. 10 ? There are complaints that even after registration telephone connections are not given to several persons.

There are complaints from workers and consumers but they are not being removed. There are several persons who manage to get telephone connection on the pretext of being social workers. The hon. Minister should look into it.

There should be direct dialling system in Ujjain. There is no reason as to why Bhopal is not directly linked with Delhi.

The telephone exchanges are not working properly. During rains, a number of telephone lines remain dead.

I hope the hon. Minister will reply my points.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The subscribers are prepared to pay the fee but in return they should get proper service. The telephone service, in various parts of the country where STD facilities are not available is not satisfactory. We are repeatedly reminding PMG regarding the difficulties faced in dialling but there is no response from him. The hon. Minister should look into it and try to see that the telephone service is improved.

The service in Jaipur exchange is unsatisfactory and there is no response therefrom. The workers there are not responding because there overtime has been stopped. The Government should look into it and try to settle the issue.

There is no direct telephone link between Delhi and Jhunjhunu. The Government should try to establish a link between Jhunjhunu and Delhi and Jaipur and Pilani. There is no difficulty in that.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : I would like to draw the attention of the August House to the difficulties faced by the people regarding telephone and telegrams. Gaya is an important town which is visited by people from all over the world. Although automatic dialling has been sanctioned for Gaya but the same has not so far been implemented. The Government should try to see that automatic dialling system is provided there without any further delay.

It is not proper to impose a levy on the people when the service is not proper and satisfactory and the revenue earning of the department is dwindling. Gaya telephone exchange has been provided outdated machines. There is no response to the call from the exchange. Exchange is suffering from lack of efficiency. These are also the reasons which are contributing to the fall of the revenue. I think the problem will not be solved either by imposing block/levy or by amending laws.

The Ministry has decided that every work headquarter will be provided with a public call office and a telegraph office. But these facilities have not been provided in a member of block headquarters in my district even upto this day. The Government should look into it and provide necessary facilites.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Tikamgarh and Chatarpur are two dacoit infested districts. But the Tehsil headquarters of these districts have not been linked with district headquarters with telephones. This should be done immediately in order to save people from dacoit menace.

There is no telephone link between the capital and the district headquarters as well as between the district headquarter and Tehsil in Madhya Pradesh. This is necessary and should be done immediately.

There is discrimination in allotting telephone connections. This should also be looked into.

The Government should try to see that the committees at the division level are established so that the grievances of the public in respect of P&T department may be heard and removed.

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : Sir, I support the provisions of this bill. But, I would like to point out certain faults of Trunk Call System. It has become extremely difficult to get the lines on the Trunk System. Even urgent calls are not put through. As regard my constituency, it is not possible to get the time even after waiting for two days.

The building of the Head Post Office at Ganganagar is in a dilapidated condition. The post office should be given a better building and also proper furniture.

In Bikaner, some elements in the P&T Workers Union are making it difficult for the honest employees to work.

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : The number of telephone operators in Jaipur is less than what is required. The result is that the employees are over-worked. Therefore either the number of the employees should be increased or they should be given over time allowance. Under the present conditions, there is no efficiency in their working. They should be given loans for purchasing houses and their grievances about promotions etc. should be removed.

The Government should try to have an effective check or wrong hitting of telephone calls. This causes a lot of difficulty and harassment to the person concerned.

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : There is a peculiar situation in regard to telecommunication. The work of telecommunications cannot proceed without money and thereare financial constraints. Our telephone machines are old. There is a need to have uptodate equipments.

Our department is also called a public utility concern. On postal side there is a loss of more than Rs. 10 crores every year. During Fifth Five Year plan we need 800 crores of rupees for telecommunications schemes. P&T department is expected to provide that money out of its income.

There is a number of complaints in regard to telephones. The reason of this all is that our telephone lines are old and there is heavy load of traffic on these lines.

The traffic between Calcutta and the South passes through Delhi. That creates a difficulty between Delhi and Calcutta because of co-axial cable. The co-axial cable is exposed to a number of dangers like rains and lightening. We are making efforts to inprove the situation

As regards improvement in Calcutta Trunk Line, a co-axial line is being provided between Calcutta & Madras.

I hope that Bhubaneshwar and some other places would also be benefitted by Calcutta-Madras co-axial cable. Which work is likely to be completed by 31st March. In addition, work relating to linking Calcutta and Delhi through Micro-wave system is also in progress. When these two projects are completed, we would be able to link Calcutta with Patna, Delhi, Bhubaneshwar and Madras under S.T.D.

Steps are also being taken to set up more and more automatic exchanges. But financial difficulties are coming in our way. We are trying to have more facilites without incurring much expenditure.

We are also thinking of ways of augmenting our revenues. In this regard, we are considering to allow putting up of advertisement holdings in Post Office. Allowing small advertisements on Post Cards is also being considered. The Government also wants to link all state capitals with Delhi under S.T.D. system. We are making efforts to expedite the work.

The Belgian system of Penta centre exchanges was introduced in Delhi, but it proved to be defective. Efforts are being made to remove the defects. The work is expected to be completed by 31st March. There are other systems of cross bar which are being utilized in other countries. Therefore, it is being considered as to which system would be suitable for our country.

With regards to telegrams, there is no doubt that there has been some accumulation. It was largely due to imposition of restrictions on overtime allowance. New recruitment was also banned. After imposition of restrictions on overtime allowance the employees adopted go-slow tactics. Side by side, more people went on leave. As far as possible we are making efforts to get over the difficulties.

A number of complaints are received against the employees. There is no doubt that there is substance in these complaints. There are two ways to improve the situation. We could either take disciplinary action against the employees or try to inculcate a sense of discipline and dedicated services in them. If your co-operation is forthcoming, I hope to inculcate a sense of dedication to the service in the employees.

Presently, there is a ban on the construction of buildings for new post offices. Similarly, there is a ban on the construction of residential houses for postal employees. There is a ban on grant of advances. However, I am trying to find a solution for specific and genuine cases.

Questions had been raised about Telephone facilities at Kotah, Bundi, Jabalpur, Tikamgarh, Udaipur , Bhopal, etc. These questions would be considered one by one. So far as Telephone exchange at Ujjain is concerned, we had requested the state authorities to give us suitable Government land. Similarly, we are requesting all the Chief Ministers to give us suitable land for setting up telephone exchanges. We are also trying to provide S.T.D. connection between Indore and Ujjain. Investigations had been made and the work was in progress.

So far as this Bill is concerned, it has been stated that this is a fee and if necessary, the fee should be increased. I agree with this suggestion.

So far as Telephone Advisory Committees are concerned, we have little choice. Names are received from different categories and out of that Members are appointed . We would try to see that there is no discrimination in this regard in political considerations.

We also want Hindi and other regional languages to develop. We are trying to print all our forms in English as well as Hindi. Telegraph Department is a very big department. It is but natural that there would be mistakes. But improvements could be brought out by constructive criticism and constructive approach. If there are some individual or specific cases, which have not been mentioned I suggest that we could sit together and discuss.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Telephone Directory in Hindi is not available anywhere.

Dr. Shankar Dayal Sharma: Not only that we want that all the forms should be in two languages. So far as individual matters are concerned, we can sit together & settle.

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तार अधिनियम 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, 1 तथा विनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2, 3, 1, विनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2, 3, 1, enacting Formula and the title were added to the Bill.

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए" ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैंने कलकत्ता महानगर में टेलीफोन दरों का प्रश्न बार बार उठाया है। बंबई तथा दिल्ली में टेलीफोन का बिल स्थानीय कॉल के हिसाब से लिया जाता है परन्तु कलकत्ता महानगर में चन्द्रनगर त्रिवेनी आदि इलाकों में ट्रंक काल के आधार पर पैसे लिए जाते हैं। इस संबंध में कुछ किया जाये।

टेलीफोन सेवा में आए दिन दोष आए रहते हैं। सीरमपुर कलकत्ता की स्थानीय एक्सचेंज में सम्मिलित है। परन्तु लगातार 12 घंटे प्रयास करने पर भी कलकत्ता के लिए लाईन का संबंध नहीं मिलता। लाईन हमेशा खराब रहती है।

यह भी कहा गया है कि कलकत्ता में पत्रों व तारों आदि के जमा होने को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर दोषारोपण किया जा रहा है परन्तु कर्मचारियों द्वारा कहा जा रहा है कि काम का भार बढ़ गया है परन्तु कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। मंत्री महोदय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करें।

Shri Hukam Chand Kachhwai (Ujjain) : Sir, there is no quorum. The House should be adjourned.

Mr. Chairman : Now there is quorum.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): We have no objection to the proposed levy, but you should also try to improve the distorted face of your department.... •

श्री सुरेंद्र महन्ती (केन्द्रपाडा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

अब कोरम है।

Shri D.N. Tiwari : The letters are usually delivered late. Similarly, telegrames were unduly delayed. Sometimes these reach later than ordinary letters. If telegrames are not delivered in time, the telegrame charges should be refunded. Telephones are generally out of order.

Billing is often wrong and if a complaint is made, it is not properly attended. There is no discipline in the staff in the office. Employees are more concerned with over-time allowance than with their duties. The hon. Minister should look into it and tone up the administration in order to ensure the regularty and punctuality of the staff.

Shri Hamendra Singh Banera (Bhilwara) : Sir, this Bill should be withdrawn because there is no justification in enforcing its provisions with retrospective effect.

Although Bhilwara has been declared as a 'C' class city, the employees of P&T department are not being given the allowances due to them.

As regards automatic exchange at Udaipur there is no arrangement so far, the telephone operators installed at Bhanera in Bhilwar is outdated. It should be replaced.

श्री कृष्णचद्र हाल्दर (ग्रौसग्राम) : मंत्रीमहोदय का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विषद तार विधेयक लाया जाना चाहिये। बर्दवान जिला मुख्यालय है ग्रौर यहां की जन-संख्या दो लाख है। बर्दबान का तार कार्यालय 23 ग्रक्तूबर के सांयकाल 7 बजे से 26 ग्रक्तूबर तक ग्रव्यवस्थित रहा है। मैं स्वयं वहां तार देने गया तार इस कारण नहीं किया गया कि संदेशवाहक द्वारा कलकत्ता तक तार भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस मामले की मंत्री महोदय द्वारा जांच कराई जानी चाहिये ग्रौर मुझे उसके परिणाम से ग्रवगत कराया जाना चाहिये।

दुर्गापुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां के लिये बर्दबान से, टेलीफोन नहीं मिलाया जा सका। मुझे बताया गया है कि सरकारी ग्रधिकारियों तक को ग्रासनसोल ग्रथवा दुर्गापुर के लिये टेलीफोन संपर्क नहीं मिल पाता है। मंत्री महोदय को डाक, तार टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिये प्रयत्न करने चाहियें ताकि कठिनाइयां दूर की जायें। दुर्गापुर से कलकत्ता तक एस०टी०डी० की व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : This Bill is very simple and should have been brought rather earlier.

Bhagalpur is a big divisional town. But the facility of automatic telephone exchange has not so far been provided there the hon. Minister should try to provide a microwave station there. A number of requests have been made by the people to provide a Telex teleprinter, but no attention has been paid and the requests are going unheeded. Arrangements should also be made to establish STD system between Patna and Bhagalpur.

There is a lot of discrimination in P&T Department. This should be looked into. There is inordinate delay in transmission of telegrams. Steps should be taken. To see that the telegrams reach well in time.

Shri G.P. Yadav (Katihar) : Sir, I oppose this Bill. The hon. Minister should try first to bring efficiency in his department before asking for money. He should state clearly the steps he is going to take in this direction.

As mentioned earlier, Bhagalpur is a big industrial Complex but there is no STD system provided as yet between Patna and Bhagalpur, this should be provided there and an automatic telephone exchange should also be established there immediately.

There are rules in Post and Telegraph department under which, if an employee dies on duty his son gets a job in the department. I know a case where this has not been done, although the concerned boy has applied for the job long ago. This should be looked into.

Telephone provided at M.P.s houses are generally out of order. The billing is also faulty.

Naugochia is a big mandi in North Bhagalpur. The arrangements should be made to provide a direct telephone line from Patna to Naugochia.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) : If the backwardness of a region may be assessed with the number of telephones provided there then I would like to say that Madhya Pradesh is very backward state. May I know whether the arrangement will be made to provide direct telephone links between Delhi and Bhopal, Jabalpur and Raipur and if so, when ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं अधिकांश बातों का उत्तर दे चुका हूं। अब मैं जो विशेष बातें उठायी गयी हैं उनका उत्तर दूंगा। 25 और 50 लाइनों के लिये एस०ए०एक्स० की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु बड़े एक्सचेंजों के लिये हमें आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करनी होती है। इनके उत्पादन की कठिनाई है। हम आई०टी०आई० की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि हमारे सम्मुख वित्तीय कठिनाइयां हैं।

भागलपुर आदि में जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है हम व्यवस्था करेंगे। भोपाल के बारे में मैं ठीक कुछ नहीं कह सकता। मुझे महानिदेशक ने बताया है कि कलकत्ता और मद्रास 31 मार्च तक, तथा भोपाल और दिल्ली के बीच 2 अक्तूबर 1975 तक सीधी टेलीफोन व्यवस्था संभव हो जानी चाहिये।

मुझे आशा है कि सभा विधेयक को पारित करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात लोकसभा, शुक्रवार 22 **नवम्बर** 1974 (1 **अग्राहायण,** 1896 **(शक) ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई**

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday the 22 November 1974 (Agrahayana 1, 1896 (Saka).

GIPRRND—Sec. III—46 LSS/74—24-1-75—200.